लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-8-94
Scanned
Parliament Library

[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 34, शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1972/ 8 वैसाख, 1894 (शक)
No. 34, Friday, April 28, 1972/Vaisakka 8, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
601 'लीड' बैंक योजना	Lead Bank Scheme	... 1—5
604 पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली परिवहन एवं मनोरंजन सुविधाओं पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Transport-Cum-Entertainment Facilities provided for Tourists	... 5—7
605 पर्यटकों से लेने वाली आय के लक्ष्य में वृद्धि करने की योजना	Scheme to raise Tourists Income Target	... 7—10
606 स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा केवल कृषि कार्यों के लिए शाखाओं का खोला जाना	Opening of All Agricultural Branches by State Bank of India	... 10—13
608 1970-71 में सैनिक अस्पतालों और रिहायशी मकानों का निर्माण	Construction of Army Hospitals and Residential Accommodation in 1970-71	... 13—15
610 राजस्थान और मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Cehmical Fertilizer Factory in Rajasthan and Madhya Pradesh	... 15—16
611 हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा टेलीविजन सेट बनाने का प्रस्ताव	Proposal to manufacture T.V. Sets by H.A L.	... 16—18
616 पर्यटन केन्द्रों को मुख्य मार्गों से मिलाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश	Instructions to State Governments to link Tourists Centres with main Roads	... 18
617 पारादीप में तूफान का पता लगाने वाला राडार और भुवनेश्वर में मौसम वेधशाला की स्थापना	Installation of Cyclone Detecting Radar at Pradeep and Meteorological Observatory at Bhubaneshwar	... 18—19

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
619 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विशेष गाड़ियों का विकास	Development of Specialised Vehicles by Defence Research and Development Organisation	... 19—20
620 दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली के बीच सर्कुलर उड़ान को पुन: आरम्भ करना	Resumption of Circular Flight Delhi Kanpur-Lucknow-Delhi	... 20—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
602 इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा नि:-शुल्क कौच सेवा शुरू करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal regarding Free Coach Service by Indian Airlines	... 21
603 व्यापार चलाने के लिए बैंकों में जमा राशि से अधिक राशि निकालना	Taking of Overdrafts from Banks for running Business	... 21—22
607 हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पर्यटकों के सामान की जांच पड़ताल में अधिक समय लगाया जाना	Delay at Airports caused by Customs Authority in clearing tourists baggage	... 22
609 बैंकों के जमा धन पर ब्याज की दर में वृद्धि	Increase in Rates of Interest on Bank Deposits	... 23
612 गार्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था	Educational Arrangements for Children of Employees of Guard Training Centre, Kota	... 23
613 इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा न घलाये जाने वाले केरेविल विमान	Caravelle Aircrafts grounded by Indian Airlines	... 23—24
614 बड़ौदा के निकट पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro chemical Complex near Baroda	... 24
615 विदेशी मुद्रा की हेरा फेरी की समस्या पर अध्ययन दल	Study Team on Leakage of Foreign Exchange	... 24—25
618 भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में उत्पादव	Production in the Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India	... 25
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
4254 मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Oil Refinery in Madhya Pradesh	... 25
4255 मैसूर में पर्यटकों के लिए होटल आवास की कमी	Shortage of Hotel accommodation for Tourists in Mysore	... 25—26

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4256	मध्य प्रदेश के पूर्व निभाड़ जिले में 'लीड' बैंकों की स्थापना	Setting up of Lead Banks in East Nimar District of Madhya Pradesh	... 26
4257	केरल में फर्मों और व्यक्तियों की ओर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-tax against firms and individuals in Kerala	... 26
4258	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तांगे वालों को दिया गया ऋण	Loans given by Nationalised Banks to 'Tongawallas' in Madhya Pradesh	... 27
4259	मध्य प्रदेश में उन पर्यटन केन्द्रों के नाम, जहां सरकारी होटल नहीं हैं	Name of Tourist Centres in Madhya Pradesh where there are no Government Hotels	... 27
4260	बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में इन्दौर बैंक द्वारा विद्युत चालित करघों को दिया गया ऋण	Loan advanced to Powerlooms by Indore Bank at Burhanpur (Madhya Pradesh)	... 27
4261	मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम की खोज की योजना	Scheme to explore Petroleum in Madhya Pradesh	... 27—28
4262	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड (केरल) की कोचीन डिवीजन के उप-उत्पादों के प्रयोग के लिए सहायक उद्योग शुरू करने का प्रयास	Proposal to start Ancillary Industry for using by products of Cochin Division of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd (Kerala)	... 28
4263	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड को कोचीन डिबीजन में उत्पादन	Production in the Cochin Division of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	... 28—29
4264	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड की दूसरी अवस्था के विस्तार कार्यक्रम की अनुमानित लागत	Estimated cost of second stage expansion programme of Fertilisers and Chemical Travancore Ltd.	... 29
4265	बैंक के ऋणों का इक्विटी शेयरों में बदलना	Conversion of Bank Loans into Equity Shares	... 29—31
4265	फोर्ड संस्थान के नियंत्रण पर अमरीका में अध्ययन के लिए भेजे गये अधिकारी	Studies made by Officers sent to U.S.A. on Invitation from Ford Foundation	... 31
4267	कौकिंग कोयला खानों को विस्तार के लिए दिया गथा ऋण	Loan given to coking Colleries for Expansion	... 31—32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjcct	पृष्ठ/Pages
4268	बंगाल तथा बिहार की कोयला खानों को भारतीय वित्त निगम भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण	Loans Sanctioned by I.F.C., I.D.B.I. and I.C.I.C.I. to Coal Mines in Bengal and Bihar	... 23—34
4269	कोयला खनन कम्पनियों द्वारा पूंजी का बढ़ाया जाना	Capital Raised by Coal Mining Companies	... 34
4270	गैर निषिद्ध बोर की पिस्तौल का निर्माण	Manufacture of Pistols of non-Prohibited Bores	... 35
4271	इण्डियन एयरलान्स द्वारा अपने ट्रक स्टों पर यात्री किराये में वृद्धि की दर	Rate of Increase in Passenger Fares on Trunk Routes Operated by Indian Airlines	... 35—36
4272	अमरीका द्वारा भारत को सहायता बन्द करने के प्रयास	Efforts by U.S.A. to Stall aid to India	... 36—37
4273	केरल में इडिक्की का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Steps to Develop Idikki in Kerala as a Tourist Centre	... 37
4274	औद्योगिक पुनर्निर्माण वित्त निगम द्वारा ऋणों का दिया जाना	Giving of Loans by Industrial Reconstruction Corporation	... 37—38
4275	कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों के लिए डाक्टरी चिकित्सा की व्यवस्था	Medical Treatment for Ex-Servicemen suffering from Cancer	... 38
4276	कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों के लिए अशक्तता पेंशन	Disability Pension for Ex-Service Personnel Suffering from Cancer	... 38—39
4277	भारत को हथियारों के निर्यात पर स्वीडन द्वारा प्रतिबन्ध हटाना	Lifting of Ban by Sweden on Arms Export to India	... 39
4278	पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत कम करने संबंधी समिति	Committee on Curbing Consumption of Pertoleum Products	... 39
4279	आयकर निर्धारण	Assessment of Income Tax	... 40—41
4280	श्रीगंगानगर जिला राजस्थान में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने के लिए किसानों दिया गया ऋण	Loans Granted to Farmers for Installation of Tube Wells under Minor Irrigation Scheme in Sriganganagar District (Rajasthan)	... 41
4281	रक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली में गैर सरकारी मकान किराये पर लेना	Private Houses hired in Delhi by Ministry of Defence	42

विषय	Subject	पृष्ट/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4282 चीन के परमाणु विस्फोट का भारतीय वायुमंडल पर प्रभाव	Effect of Chinese Nuclear Explosion on Indian Atmosphere ...	42
4283 बंगला देश को विश्व बैंक की सहायता	Diversion of World Bank Aid to Bangla Desh ...	43—44
4285 आयात किये गये कपास और सोयाबीन तेल का मूल्य तथा मात्रा	Value and Volume of Import of Raw Cotton and Soybean Oil ...	44—45
4286 नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent allowance to employees of New Delhi Central Office of Fertilizer Corporation of India ...	45—46
4287 भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक द्वारा दिये गये ठेकों के बारे में जांच आयोग	Commission of Enquiry on contracts awarded by Trombay Unit of Fertilizer Corporation of India ...	46—47
4288 भारतीय उर्वरक निगम के विषणन विभाग में अनियमितताएं	Irregularities in the Marketing Division of Fertilizer Corporation ...	47
4289 राज्य स्तर पर उद्योगों का विकास करने के लिये समिति	Committe for development of Industries at State Level ...	47—48
4290 रेजर ब्लेड उद्योग को लाइसेन्स जारी करना	Issue of Licences to Razor Blade Industry ...	48—49
4291 वित्तीय संस्थाओं की सहायता से औद्योगिक एककों को पुनः खोलना	Reopening of Industrial units with the help of Financial Institutions ...	49
4292 ईराक, ईरान और सउदी अरब जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा की मजूरी	Sanction of Foreign Exchange to pilgrims visiting Iraq, Iran and Saudi Arabia ...	49—50
4293 भारत को अमरीकी सहायता के बारे में अमरीका के राज दूत का वक्तव्य	American Ambassador's statement regarding US Aid to India ...	50
4294 रिश्वत देने के आरोप में भावनगर के आयकर अधिकारी की गिरफ्तारी	Arrest of Income tax officer Bhavnagar for accepting bribe ...	50
4295 पश्चिम बंगाल के आयकर कर्मचारी संघ से ज्ञापन	Memorandum from West Bengal Incometax Employees Association ...	51

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		Subject		पृष्ठ/Pages
4296	जम्मू और काश्मीर के लिए पृथक सैनिक कमान बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a separate Army Command for Jammu and Kashmir	...	51
4298	भारतीय सुरक्षा उपकरणों के प्रति अफ्रीकी देशों द्वारा रुचि दिखाया जाना	Interest shown by African Countries for Indian defence Equipment	...	51—52
4299	सरकारी ऋण 'कन्वर्ज़न' संबंधी नीति के बारे में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ दारा व्यक्त किया मत	Views expressed by F.I.C.C.I. regarding policy on conversion of Government loans	...	52
4300	समाचारपत्रों पर उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Excise Duty outstanding against newspapers	...	52
4303	दिल्ली वित्त निगम के कर्मचारियों द्वारा अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए हड़ताल	Strike by employees of Delhi Finance Corporation regarding revision of their pay scale	...	52—53
4304	मीठापुर स्थित टाटा कैमिकल्स की विस्तार योजनाओं के बारे में एकाधिकार आयोग की सिफारिश	Recommendation of Monopoly Commission on the expansion Schemes of Tata Chemicals at Mithapur	...	53
4305	एकाधिकार आयोग का विस्तार	Expansion of Monopolies Commission	...	53—54
6306	सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं चालू करना	Commissioning of Industrial Projects in Public Sector	...	54—55
4307	कोयला उद्योग को धन देने के लिए बैंक से ऋण	Bank Credit for Financing Coal Industry	...	55
4308	भारतीय उर्वरक निगम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव	Discrimination with Scheduled Castes in the Fertilizer Corporation of India	...	55—56
4309	भारतीय उर्वरक निगम के तत्कालीन महाप्रबन्धक (अब निदेशक-उत्पादन और विपणन) द्वारा 1969 में विदेशों के दौरे	Foreign Tours Undertaken since 1969 by the General Manager (Now Director Production and Marketing of the Fertilizer Corporation of India	...	56
4310	पहाड़ी राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Hilly States	...	57
4311	व्यय में मितव्ययिता	Economy In Expenditure	...	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4312	फाजिलका-गंगानगर क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल की सैनिक कर्मचारियों द्वारा कथित चोरी	Alleged Pilferage of High speed Diesel by Army Personnel in Fazilka Ganganagar Sector	... 58
4313	आंध्र प्रदेश के चित्तौर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा केवल कृषि के लिये बैंक शाखाएं खोलना	Opening of All Agricultural Branches by State Bank of India in Chittor District of Andhra Pradesh	... 58
4314	समुद्र पार तेल निकालने के उपक्रमों में भारत का भाग	India's share in Overseas Oil drilling Ventures	... 58—59
4315	दिल्ली से मद्रास बरास्ता भोपाल और नागपुर दिन में विमान सेवा आरम्भ करना	Day Service from Delhi to Madras Via Bhopal and Nagpur	... 59
4316	निश्चित समय वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइवेट वाणिज्यिक बैंक का विलय	Merger of Private Commercial Banks under time bound Programme	... 59
4317	नए कैंटोनमेंटों की स्थापना तथा वर्तमान कैंटोनमेंटों को नया रूप देना	Setting up of new Cantonments and Re-Modelling of existing ones	... 59—60
4318	जीवन बीमा निगम द्वारा औद्योगी इकाईयों को दिये गये ऋण	Loans given to Industrial units by LIC	... 60
4319	खामरिया आर्डिनेस कारखाना (जबलपुर) में निर्मित होने वाले उपकरणों की किस्म	Nature of equipment produced at Khamaria Ordinance factory (Jabalpur)	... 60—61
4320	दिल्ली के निकट भारतीय वायु-सेना के विमान की दुर्घटना	I.A.F. Plane crash near Delhi	... 61
4321	गोलियों के प्रभाव से मुक्त प्लास्टिक का टोप	Bullet proof Plastic Helmet	... 61
4322	बंगला देश की सुरक्षा सेनाओं के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं	Training facilities for personnel in Defence Forces of Bangla Desh	... 61—62
4323	उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले स्थान	Places in Orissa proposed to be developed as Tourists Centres	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4324 गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा को दी गई भूमि पर खेती	Cultivation on Land Accredited to Gaurd Training Centre, Kota ...	62—63
4225 गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	Number of trainees at Gaurd Training Centre, Kota ...	63
4326 गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था	Accommodation for employees at Gaurd Training Centre, Kota ...	63
4227 कोटा राजस्थान में फर्मों और व्यक्तियों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of income tax against firms and individuals in Kota (Rajasthan) ...	63—64
4328 विमान दुर्घटनाओं के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति को स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up high powered Committee on Air Accidents ...	.64
4329 गोरखपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना	I.A.F. plane crash near Gorakhpur ...	64—65
4330 भारत के पर्यटक मान चित्र में बैराठ को दिखाये जाने का प्रस्ताव	Propo<sal for inclusion of Bairath on the Tourists Map of India ...	65
4331 विभिन्न राज्यों से जनसंख्या के अनुपात से सुरक्षा सेनाओं में भर्ती का प्रस्ताव	Proposal for recruitment to Armed Forces from different states in proportion of population ...	65
4332 उड़ीसा में बकाया ऋणों की वसूली	Recovery of outstanding loans in Orissa ...	65—66
4333 यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मध्य तथा एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशान्त के मध्य के मार्गों पर विमान किराये	Air fares on routes between Eurpoe, West Asia and Africa and between Asia and South West Pacific ...	66
4334 भारत में पाकिस्तानी युद्धबंदियों को धार्मिक पुस्तकें देना	Supply of religious books to Pakistani POWs in India ...	66
4335 भारतीय वायु सेना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण	Reservation for S.C./S.T. candidates in I.A.F. ...	67
4336 फाइलों के निरीक्षण के बारे में लाइन जांच आयोग का आदेश	Pipeline Inquiry Commission's ruling on inspection of files ...	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4337 कश्मीर में गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक रज्जुपथ बनाने का प्रयास	Proposal to construct a ropeway from Gulmarg to Khilenmarg in Kashmir ...	68
4338 रक्षा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना	Termination of services of defence personnel ...	69
4339 जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Cease fire violations by Pakistan in Jammu and Kashmir sector ...	69—70
4340 बेरहमपुर (उड़ीसा) में सैनिक भर्ती कार्यालय खोला जाना	Recruiting Office for Army at Berhampur (Orissa) ...	70
4341 बड़ी मात्रा में मूल्य औषधियों के निर्माताओं को पूंजी निवेश पर होने वाला लाभ	Return on capital investment to manufacturers on basis of bulk drugs ...	70
4342 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडटों को उन्नत प्रशिक्षण की योजना	Upgraded scheme of training for N.D.A. cadets ...	70
4343 डिफेन्स सर्विस स्टाफ कालिज, बेलिंगटन में प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि	Expansion of training capacity at Defence Services Staff College Wellington ...	71
4344 इन्दौर में हवाई अड्डा	Airport at Indore ...	71
4345 विदेशी बैंक में जमा धनराशि के वापस भारत में लाने की अनुमति देना	Permission to bring the money deposited in foreign banks back to India ...	71—72
4346 हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० भोपाल और हिन्दुस्तान स्टील लि०, भिलाई में इंजीनियर अधिकारी	Engineering Officers in H. E. L. Bhopal and H.S.L. Bhilai ...	72
4347 मेसर्स एंड्रियुयूल एन्ड कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की बिक्री	Sale of shares of M/s Andrew Yule and Co. Ltd. ...	72—73
4348 लेखा परीक्षा कार्य का कुल फर्मों के हाथों में होना	Concentration of audit ...	73
4349 नये आयुध कारखानों में उत्पादन की समय सूची	Production schedule of new Ordnance Factories ...	74
4350 इंडियन एयरलाइन्स को बोइंग 737 न खरीदने का निदेश	Directions to Indian Airlines not to purchase Boeing 737 ...	74
4351 बैंक शाखाओं की स्थापना करना	Setting up of branches of Banks ...	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4352	भारत और बंगला देश की सीमाओं से तस्करी	Smuggling across borders between India and Bangla Desh	... 75
4353	सैनिक स्कूल पुरूलिया में बंगाली विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व	Representation to Bengla Students in Sainik School, Purulla	... 75—76
4354	बंगला देश के चटगांव और छलना बन्दरगाहों की सफाई करने में भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता	Help rendered by Indian Navy in clearance of Chittagong and Chalna ports in Bangla Desh	... 76
4355	बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम में भारतीय सेना का योगदान	Role of Indian Military in Freedom struggle of Bangla Desh	... 76
4356	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये भर्ती सम्बन्धी नीति	Recruitment policy for Nationalised Banks	... 77
4358	मजगांव डाक लिमिटेड के पास सर्वेक्षण पोत और वकेट ड्रेजर के लिये क्रयादेश	Orders for survey ship and backet dredger with Mazgaon Dock Ltd.	... 77
4359	पाकिस्तान सेना द्वारा भारतीय युद्धबंदियों को यातना देना	Torture of Indian POWs by Pakistani Army	... 77—78
4360	ऋण व विदेशी मुद्रा में चुकाया जाना	Repayment of loan in terms of foreign exchange	... 78
4361	भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष उपकरण	Special Equipment for training of I.A.F. Personnel	... 78—79
4362	पाईलटों के प्रशिक्षण हेतु क्लबों स्कूलों तथा संस्थाओं को सहायता अनुदान	Grants in Aid to Clubs Schools and Institution for training Pilots	... 79
4364	कामर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त बेरोजगरों से ज्ञापन	Memorandum from Unemployed Commercial Pilot Licence Holders	... 79—80
4364	बड़े नगरों में 'रिलाविग' होटल निर्माण	Construction of Revolving Hotels in Big Cities	... 80
4365	भारत और ईरान के बीच विमानों का पुनः चलाया जाना	Resumption of Flights between India and Iran	... 80—81
4366	राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को दिया गया अनुदान	Grant given to Natlonal Council of Applied Economic Research	... 81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4367	जनसाधारण के प्रयोग के लिए खुले बाजार में शक्तिमान ट्रक की उपलब्धता	Availability of Civil Model of Shakti man Truck in open market	... 81
4368	जबलपुर के चहुओर स्थित आयुद्ध कारखाना के उत्पादन लक्ष्य	Production Targets of Ordinance Factory around Jabalpur	... 82
4369	उदयपुर में आय कर की बकाय राशि	Arrears of Income tax in Udaipur	... 82
4370	अमोनिया प्लांट की स्थापना के लिये ब्रिशि सरकार से ऋण	Loan from British Government for Setting up of an Ammonia Plant	... 82—83
4371	दिल्ली में सरकारी होटलों में हिन्दी की पत्र पत्रिकाओं का प्रबन्ध	Arrangement for Hindi Newspapers and Hindi Journals in Government Hotels in Delhi	... 83
4372	भारत में पाकिस्तानी युद्धबादियों पर व्यय	Expenditure on Pakistani POWs in India	... 83
4373	उत्कृष्ट लड़ाकू विमानों के निर्माण की योजना	Scheme to Manufacture Superior Fighter Planes	... 83—84
4774	बम्बई में तस्करी के माल की बरामदी	Seizure of Smuggled Goods in Bombay	... 84
4375	दिल्ली में हशीश का पकड़ा जाना	Seizure of Hashish in Delhi	... 84
4376	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अप्राप्य ऋण	Bad Debts of Nationalised Banks	... 85
4377	राष्ट्रीयकृत बैकों को डकैती और दुविनियोग के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss of Amount to Nationalised Banks as a result of Dacoity and Misappropriation	... 85
4378	मुफ्फलिस क्षेत्रों में आवश्यक औषधियों की अत्याधिक कमी	Scarcity of Essential Drugs in Mofusil Areas	... 86
4379	भारत में संयुक्त स्कंध कम्पनियां	Joint Stock Companies in India	... 86
4380	प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि	Arrears of Direct Taxes	... 87
4381	राजस्थान में कम्पनियों का पंजीकरण, और परिमापन	Registration and Liquidation of Companies in Rajasthan	... 87—88
4382	चाय उद्योग के वित्तीय पोषण के बारे में रिजर्व बैंक के कार्यकारी दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना	Report by Reserve Banks working Group regareing Finance for Tea industry	... 88—89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4383 राज्यों का गैर योजना व्यय	Non Plan Expenditure of States ...	89
4384 कर सम्बन्धी मामलों के निपटाने के लिए उच्च न्यायालय की विशेष बैंचों की स्थापना	Setting up of Special Benches of High Courts to Deal with Tax Cases ...	89—90
4384 दिसम्बर, 1971 में मदुर्रे के निकट इंडियन एयरलाइन्स के एककों विमान की दुर्घटना के बारे में जांच अदालत की रिपोर्ट	Report of the Court of Inquiry into the accident to the Indian Airlines AVRO aircraft near Madhurai in December, 1971 ...	90
4386 जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार गृहों का ऋण	Loan given by LIC to Monopoly Houses ...	91
4386 बजट का मुद्रासफितिजनक प्रभाव	Inflationary Impact of Budget ...	91—92
4388 दिल्ली में फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की और आय कर की बकाया धनराशि	Arrears of Income tax against Films Distributors, Cinema owners in Delhi ...	92
4389 कम्पनी अधिनियम का संशोधन	Amendment to Companies Act ...	92
4390 विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Credit from International Development Association for Marketing Facilities ...	93—94
4391 विदेशी सहायता के उपयोग में कमी	Shorfall in Utilisation of Foreign Aid ...	94
4392 बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of nationalised Banks in Bihar ...	95
4393 बिहार में कम्पनियों को लाइसेंस देना	Grant of Licences to Companies in Bihar ...	95
4394 विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up Explosives Factory ...	95—96
4395 भुवनेश्वर और काठमुंडु के बीच सीधी विमान सेवायें	Direct air services between Bhubaneshwar and Kathmandu ...	96
4396 त्रिपुरा में त्युसिन्दराये में हवाई अड्डे के निर्माण में प्रगति	Progress in the construction of airport at Tuisindrai in Tripura ...	96
4397 त्रिपुरा में पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Tripura ...	96—97
4398 20 बड़े उद्योग गृहों के कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा	Security of Services of employees in 20 big houses ...	97

तारां० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4399	गोआ के मुख्य मंत्री के नाम में खनिज कम्पनियों में शेयर	Shares held by Chief Minister of Goa in Mineral Companies	... 97—98
4400	बंगला देश में भारतीय युद्ध-बन्दियों पर अत्याचार करने वाले पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर मुकदमा चलाया जाना	Trial of Pakistani P. O. Ws who committed atrocities on Indian POWs in Bangla Desh	... 98
4402	भारत में तस्करी का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	International Smuggling Gang in India	... 99
4403	पाक द्वारा भारत के साथ दूसरा युद्ध करने की तैयारी	Pak preparedness for another war with India	... 99
4404	वर्ष 1971-72 में उड़ीसा सरकार की प्राप्त हुई धनराशि	Amount received by Government of Orissa during 1971-72	... 99—100
4405	पर्यटकों के लिये होस्टलों/होटलों की व्यवस्था	Hostels/hotels provided for tourists	... 101—102
4406	जहाजों की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा ऋण की मंजूरी	Credit Sanctioned by International Development Association for purchase of Ships	... 102
4407	सशस्त्र सेनाओं के लिए विशेष भत्तों की दरें	Rates of Special Allowances given to Armed Forces	... 102
4409	रोहतक, हरियाना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Rohtak (Haryana)	... 102—103
4410	सरकारी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में अंशदान	Subscription of General Provident Fund by Government Employees	... 103—104
4411	भारत को ऋण सम्बन्धी राहत के बारे में विश्व बैंक की सिफारिशें	World Banks Recommendations regarding Debt Relief to India	... 104
4412	जम्मू के निकट पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा नये बंकरों का निर्माण	Construction of New Bunkers by Pak Troops near Jammu	... 104
4413	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins	... 104—105
4414	भारतीय रिजर्व बैंक से छोटे सिक्के प्राप्त करने में कठिनाई	Difficulty in obtaining Small Coins from Reserve Bank of India	... 105
4415	सीमा शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में कार्य कर रहे कर्मचारी	Employees working in Customs House, Calcutta	... 105—106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4416 कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय निवारक अधिकारी	Preventive Officers in Calcutta Customs House	... 106—107
4417 आसाम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Assam	... 107
4418 पिथैरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में हवाई अड्डा तथा छावनी बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Aerodrame and Cantonement at Plthoragarh (U.P.)	... 107
4419 केरल में रसायन उर्वरक कारखाने	Chemical Fertilizer Factories in Kerala	... 108
4420 केरल में उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Excise duty in Kerala	... 108—109
4421 केरल में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income tax in Kerala	... 110
4422 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में पूंजी निवेश	Investment by Nationalised Banks in Kerala	... 110
4423 चंडीगढ़ में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों दारा प्रस्तावित हड़ताल	Proposed strike by Central Government Employees posted at Chandigarh	... 110—111
अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	... 111—113
कलकत्ता के एक बैंक में हुई धोखा धड़ी का समाचार	Reported Fraud on a Calcutta Bank	... 111—113
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	... 111
श्री के. आर. गणेश	Shri K. R. Ganesh	... 112—113
मई दिवस के लोक सभा में छुट्टी के रूप में मनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement regarding observance of May Day as a Holiday in Lok Sabha	... 114
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	114
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	... 115—117
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	... 117
सरकारी उपक्रमें सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	... 118
14वां, 15वां, 17वां और 21वां प्रतिवेदन और कार्यवाही—सारांश	Fourteenth, Fifteenth, Seventeenth and Twenty first Report and Minutes	... 118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	... 118—119
13वां, 14वां और 18वां प्रतिवेदन और कार्यवाही—सारांश	Thirteenth, Fourteenth and Eighteenth Reports and Minutes	... 118—119
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	... 119
25वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन	Twenty-fifth, forty-seventh and forty-eight Reports	... 119
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	... 119—131
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	... 119
श्री छोटे लाल	Shri Chhotey Lal	... 119
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukerjee	... 120—121
श्री पी. बी. जी. राजू	Shri P. V. G. Raju	... 121—122
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	... 122—123
श्री एच. एम. पटेल	Shri H. M. Patel	... 123—124
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	... 124 –125
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	... 125—128
श्री बृजराज सिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kotah	... 129—130
श्री शंकर राव सावन्त	Shri Shankar Rao Sawant	130—131
श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	Shri Jagdish Chandra Dixit	... 131
विधेयक—पुरःस्थापित	Bills-Introduced	... 131
1. श्री सी. के. चन्द्राप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक (नवम् अनुसूची का संशोधन)	1. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Ninth Schedule) by Shri C. K. Chandrapan	... 131
2. श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट का कृष्यकर रेल-भूमि का उपयोग विधेयक	2. Utilization of Cultivable Railway Land Bill by Shri Narendra Singh Bist	... 132 ... 132
श्री एस. सी. सामंत का चल-चित्र उद्योग कर्मकार विधेयक वापस लिया गया	Film Industry Workers Bill-Withdrawn by Shri S. C. Samanta	132
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	... 132—139

विषय	Subjecc	पृष्ठ/Pages
श्री डी. बी. चन्द्र गौडा	Shri D. B. Chandra Gowda	... 132—133
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapur	... 133
श्री एन. के. पी. साल्वे	Shri N. K. P. Salve	... 133
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	... 134—135
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	... 135—136
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	... 136—137
श्री वसन्त राव पुरुषोत्तम साठे	Shri Vasant Sathe	... 137
श्री वाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	... 137—138
श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	... 138—139
श्री ए. सी. सामन्त का संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri S. C. Samanta	... 139—146
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	... 139—146
श्री एस. सी. सामन्त	Shri S. C. Samanta	... 139—141
श्री एस. पी. भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharya	... 141
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	... 141—142
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	... 142—143
श्री नारायण चन्द पराशर	Prof-Narain Chand Parashar	... 143—144
श्री सी. के. चन्द्राप्पन	Shri C. K. Chandrappan	... 144—146

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1972/ 8 वैसाख, 1894 (शक)
Friday, April 28, 1972/Vaisakka 8, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

'लीड' बैंक योजना

*601. **प्रो• नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में आरम्भ की गई 'लीड' बैंक योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के बारे में तथा जनता को बैंक संबंधी सुविधाएं देने के बारे में कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरम्भ होने के समय से इस योजना के अन्तर्गत राज्य-बार कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या इसके वास्तविक कार्य-करण में कोई कमी है; और यदि हां, तो इसके क्या करण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जनवरी, 1970 से लेकर जबसे 'लीड बैंक' योजना प्रारम्भ हुई थी, जनवरी, 1972 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 3498 नये कार्यालय खोले गए । इनमें से 2351 ग्रामीण क्षेत्रों में और 575

अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं । लीड बैंक योजना के चालू हो जाने से वाणिज्यक बैंकों के शाखा विस्तार की गति में तेजी आ गई है । लीड बैंकों द्वारा अपने-अपने जिलों में किये गये शीघ्र सर्वेक्षणों की सहायता से यह पता चला है कि किन-किन केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाएं अतिशीघ्र उपलब्ध करने की आवश्यकता है । बैंकों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित किये गये विकास केन्द्रों की स्थिति सुविधा-जनक बनाने के लिए और इस काम को तेज करने हेतु, रिजर्व बैंक द्वारा प्रादेशिक बैठक का आयोजन किया गया था । इस प्रकार की बैठकें मद्रास, कलकत्ता, पटना, कानपुर, भोपाल, दिल्ली और जयपुर में आयोजित की गई थी । इसके अतिरिक्त, बैंकों ने स्वयं भी जिला स्तर पर उनके द्वारा निर्धारित केन्द्रों में शाखा विस्तार के कार्यक्रम बनाने के लिए बैठकों का आयोजन किया था । यह परिकल्पना की गई है कि 1972-74 के तीन वर्षों की अवधि में लगभग 5000 नये कार्यालय खोले जायेंगे और तदनुसार बैंकों को इस बारे में अपनी आयोजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है । बैंकों के साधनों को दृष्टिगत रखते हुए शाखा विस्तार के कार्यक्रम की प्रगति असन्तोषजनक नहीं रही है ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है ।

31-12-69 और 31-1-72 को वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालय का राज्यवार वितरण

	राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	31-12-69 को	31-1-72 को	31-12-69 और 31-1-72 के बीच खोले गये गये नये कार्यालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	618	923	305
2.	असम*	90	160	70
3.	विहार	309	510	201
4.	गुजरात	840	1194	354
5.	हरियाणा	191	284	93
6.	हिमाचल प्रदेश	48	103	55
7.	जम्मू और कश्मीर	48	107	59
8.	केरल	648	919	271
9.	मध्य प्रदेश	362	646	284
10.	महाराष्ट्र	1203	1612	409
11.	मैसूर	857	1203	346

* मेघालय और मिजोराम सहित ।

12.	नागालैण्ड		5	1
13.	उड़ीसा	111	187	76
14.	पंजाब	417	629	212
15.	राजस्थान	393	559	166
16.	तामिलनाडु	1110	1447	337
17.	उत्तर प्रदेश	817	1275	458
18.	पश्चिम बंगाल	537	736	199
19.	मणिपुर	2	6	4
20.	त्रिपुरा	6	12	6
21.	संघीय राज्य क्षेत्र	439	559	120
	जोड़	9050	13076	4026

श्री नारायणचन्द पाराशर : विवरण से यह पता लगता है कि बैंकों की नई शाखाएं खोलने की योजना है और उनको तदनुसार योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि योजनाएं बनाते समय जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायेगा अथवा यह एक पक्षीय कार्य होगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने की समस्या पर जब लीड बैंकों योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है तो उस समय हम विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों तथा सार्वजनिक जीवन से कुछ लोगों की शामिल करते हैं तथा उनकी खहायता लेते हैं।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या बैंकों के अधिकारी भविष्य के लिए योजनाएं बनाते समय संसद सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों को विश्वास में लेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे बिचार में हमें लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में अपने अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में जाकर जहां 'लीड' बैंक कार्य करेंगें अपने विचार रखने चाहिए। यदि माननीय सदस्यों के पास कोई रचनात्मक सुझाव हों तो हम उनपर विचार करने को तैयार हैं।

SHRI SARJOO PANDEY: The Banks are not advancing loans in the flood affected and drought-affected areas. May I know whether Government have issued such orders that loans should not be advanced to the farmers in the flood affected and drought affected areas ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : 'लीड' बैंक योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपेक्षित सैक्टरों तथा उन क्षेत्रों में, जिनमें अत्यधिक सहायता देने की आवश्यता है, विशेष सुविधायें प्रदान की जायें। हम माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न की जांच करेंगे और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो कुछ हम कर सकते हैं करेंगे।

श्री राम सहाय पांडे : विवरण में यह दिया गया है :

"कि उनके सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शाखाओं के विस्तार में अबतक जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है।"

साथ ही उनकी 1972-74 में 5,000 नई शाखाएं खोलने की योजना है। यह दोनों चीजें साथ साथ किस प्रकार चल सकती है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न बहुत संगत है। यदि वह समूचे बिवरण को पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि वर्तमान स्थिति यह है कि हाल ही में अनेक नई शाखाएं खोली गई है। मैं यह कह सकती हूं कि हाल ही में खोली गई शाखाओं की संख्या की तुलना किसी भी विकासशील देश में खोली गई शाखाओं की संख्या से की जा सकती है। 1972-74 के लिए 5000 शाखाएं खोलने का लक्ष्य है।

SHRI ARVIND NETAM: May I know whether the banks are helpless in advancing loans to the Adivasis as their land cannot the auctioned ? If so, the reasons therefor ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I will not say that the banks are helpless in advancing loans to Adivasis. Rather the emphasis is laid on giving special facilities to Adivasis, backward areas and the areas where bank facilites are not provided at present.

श्री सुबोध हंसदा : योजना आयोग ने समूचे देश में लगभग 200 जिलों को औद्योगिक तौर पर पिछड़े क्षेत्र घोषित किया है। क्या इन सभी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के कार्य को प्राथमिकता दीं जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उपेक्षित तथा पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

SHRI R.P. YADAV: May I know whether the hon. Minister has received such Complaints that loan is not being given to poor people inspite of the fact that new branches have been opened ?

SHRI PRATAP SINGH NEGI: May I know whether Government have issued any circular that loans should not be granted to those persons who do correspondence in Hindi or who give Cheques in Hindi ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: This question does not arise.

SHRI MULKI RAJ SAINI: I would like to know whether Government have issued such order that loans for purchase of tractors should not be given to those farmers whose villages lie on the kutcha road and which are away from the pucca road.

MR. SPEAKER: It is irreelvant

SHRI N.N. PANDEY: May I know whether hon. Minister will see that the loans to farmers in rural areas are granted at low rate of interest ? The farmers are unable to mortgage anything and hence they are deprived of the banking facilities.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR: The branches of the banks are being opened in various regions. The branches of many Cooperative banks are also functioning but the farmers are not getting loans for them because they have to face many difficulties. May I know the criteria for opening these banks and locations thereof ? May I also know whether these will be opened on the basis of the population of the area concerned or they will be opened at some already decided places ? May also I know the policy adopted in this regard ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: It is a very good question. There are some special aspects on the basis of which these banks have been opened. we extend these banking facilities to those areas where these facilities are lacking and which should have these facilities. Survey is undertaken for assessing all these things and for deciding the location of the banks. All the 337 districts of the country have been divided amongst the private and public sector banks. We have already opened 'lead' bank, in about 240 districts and in the remaning 2 percent surey is being carried on. In those areas also, banks will the opened shortly on the basis of survey and the policy.

SHRI K.C. PANDEY: The branches of the banks which have been opened....

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य बैठे बैठे प्रश्न पूछते हैं मैं उन पर ध्यान नहीं देता ।

SHRI K.C. PANDEY: **MR. SPRAKER: I cannot permit you like this. It will not go on record.

Expenditure Incurred on Transport-Cum-Entertatinment Facilties Provided for Tourists

*604. SHRI M.C. DAGA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to statee:

(a) whether the Department of Tourism provid es transport-cum-entertainment facilities to the tourists,

(b) if so, the total expenditure incurred on the provision of the facilities in 1969, 1970 and 1971 separately; and

(c) the various programmes organised for tourists in this connection ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और) (ग). पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को परिवहन और मनोरंजन सुविधायें प्रदान करने के लिए निम्न उपाय किए हैं :—

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**not recosded.

(1) परिवहन परिचालकों को वांछित स्तर की गाड़ियों और सेवाओं के संचारण में उनको सहायता करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(2) वाहन प्राप्त करके राज्य सरकारों और भारत पर्यटन बिकास निगम को परिचालन के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

(3) भारत पर्यटन विकास निगम काफी बड़ी संख्या में वाहनों का परिचालन करता है, और संध्या-कालीन मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(4) 'प्रकाश और ध्वनि' प्रदर्शनों का क्रमश: अधिकाधिक आयोजन किया जा रहा है।

(5) सांस्कृतिक संस्थाओं को संध्याकालीन मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिये भी यदाकदा सहायता प्रदान की जाती है।

(6) कई अवसरों पर राज्य सरकारों को भी पर्यटक उत्सवों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :—

लाख रुपयों में

	1969-70	1970-71	1971-72
परिवहन	7.27	—	7.665
मनोरंजन	3.44	21.385	9. 58
	10.71	21.385	17.245

SHRI M.C. DAGA: He has stated that in 1969-70 about 3 lakhs and 44 thousand rupees were spent and after one year 21 lakhs and 38 thousand rupees more were spent. May I know the names of the cultural bodies to whom aid was given and the details of the entertaiment they have prorvided ?

DR. SAROJINI MAHISHI : In 1970-71 about 21 lakh rupees were spent on the cultural as well as entertainment programmes. The aid was given to a number of institutes. In Gujarat about 12 lakh rupees were spent on *Son-et-humiere* at Sabarmati Ashram. The *Son-et-humiere* programme was held at Red Ford and it costs about four and a half lakhs of rupees. The programme is also going on at Shalimar and about 25 lakh rupees will be spent. Some of the money has already been paid. Subsidy is paid on entertainment programmes. We arrange Kathakali Dance in Kerala for incoming tourists. We give subsidy ranging from 500 to 1000 rupees.

SHRI M. C. DAGA : He has told that assistance is also given to States. May I know the assistance given to Rajasthan ?

DR. SAROJINI MAHISHI : Sometimes the help is given to States also. In West Bengal some aid was provided for festival of Calcutta. In Rajasthan aid has not been given to any institution for entertainment programme. But periodically some tourists came and we spend enough money on them.

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या कुछ राज्य सरकारें सन. एट. लुमेरी कार्यक्रम दिखाना चाहती हैं परन्तु पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।

डा. सरोजिनी महिषी : राज्य सरकारों के अपने भी कार्यक्रम हैं और पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने में उनकी सहायता करता है ।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पर्यटकों का हम जो मनोरंजन करते हैं वह उचित स्तर का नहीं होता, विशेषकर सायंकाल को जो उनका मनोरंजन किया जाता है और यदि यह सच है तो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा. सरोजिनी महिषी : जहां कहीं भी पर्यटन विभाग द्वारा तथा पर्यटन विभाग निगम द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम किये जाते हैं वे उचित स्तर के होते हैं और उनकी प्रशंसा होती है और यदि माननीय सदस्य कोई रचनात्मक सुविधा दें तो हम उसका स्वागत करेंगे ।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : May I know whether fare of rupees four is charged from the tourist for taking them from City Office to Air-port? If so, the justification therefor ?

MR. SPEAKER : It is irrelevant.

डा. सरोजनी महिषी : माननीय सदस्य का प्रश्न पहले प्रश्न पर आधारित है ।

श्री एस. ए. कादार : अभी हाल ही में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि माननीय पर्यटन मंत्री अच्छे गायक हैं । क्या वे पर्यटकों के लिए कुछ मनोरंजन प्रस्तुत कर सकते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा. कर्णसिंह) : मैं पर्यटकों का मनोरंजन करने का प्रयास नहीं करूंगा । लेकिन मैं माननीय सदस्य का मनोरंजन करने के लिए तैयार हूं ।

पर्यटकों से होने वाली आय के लक्ष्य में वृद्धि करने की योजना

*605. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों से होने वाली आय के लक्ष्य को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) और (ख). पर्यटन के आधारभूत उत्पादनों को मज़बूत बनाने एवं उनमें सुधार करने के लिये, तथा 1973 में अनुमानतः 4,00,000 पर्यटकों की संख्या को 1978 में 800,000 तक पहुंचाने के लिये पर्यटन विभाग पांचवीं योजना में सम्मिलित की जाने वाली स्कीमों पर विचार कर रहा है। पर्यटक व्यय की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर पर्यटकों की इस संख्या से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा के 1978 तक 100 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की आशा है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या विभिन्न राज्यों में किये गये सर्वेक्षण से यह विदित हुआ है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने में मुख्य बाधा होटलों की और परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है ? यदि हां, तो सरकार का इस मांग को पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का बिचार है ?

डा. सरोजिनी महिषी : यह ठीक है कि आवास और परिवहन की कमी है। लेकिन पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम, दोनों ही सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में होटल बनवाकर इन सुविधाओं को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पर्यटन विभाग गैर-सरकारी क्षेत्र को होटलों के निर्माण के लिये ऋण दे रहा है।

आशा है 1974 के अन्त तक 3000 अतिरिक्त कमरे बनकर तैयार हो जायेंगे। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों में 18,000 कमरों की आवश्यकता होगी। इस दिशा में पूरी कार्यवाही की जा रही हैं और आशा है हम मांग को पूरा करने में सफल होंगे। जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास कारें और वातानुकूलित कोच हैं। जब कभी भारतीय पर्यटन बिकास निगम पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये एक व्यापारिक उद्यम बनाने में असमर्थ होता है तब पर्यटन विभाग भारतीय पर्यटन विकास निगम को पर्यटन कारें सप्लाई करता है। उस विभाग पर्यटन कार चलाने वालों को टैक्सियां खरीदने के लिये ऋण भी दे रहा है और उनको एम्बेसेडर कारें दे कर सहायता कर रहा है और राज्य व्यापार निगम से सभी कारें दिलवा रहा है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या गुजरात में नये आकर्षक केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हो, तो उन स्थानों के नाम क्या है और चौथी योजना के दौरान इस बारे में क्या कार्यक्रम आरम्भ जिया जायेगा ?

डा. सरोजिनी महिषी : यह बहुत व्यापक प्रश्न है। मुझे यह बिदित नहीं है कि क्या माननीय सदस्य को गुजरात में विभिन्न उद्योग समूहों के बारे में अध्ययन करने का अवसर मिला था। गिर के जंगलों में शेरों के और अन्य जंगली जीवों के संरक्षण के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और गिर के जंगलों में रह रहे ग्रमीणों को सुनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा रहा है।

गिर के जंगलों में 20 कमरों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें 50 विस्तरों की व्यवस्था होगी। दूसरे नाल सरोवर, जो पशु शरण स्थल है और अहमदाबाद में भी पहले ही एक पर्यटन बंगला खोला जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को संन्तुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैंने नये स्थानों का विकास करने के बारे में में पूछा था।

डा. सरोजिनी महिषी : नये किस संदर्भ में ? नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसका मैं उल्लेख कर रही हूं। नया ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम 21 अप्रैल, 72 से आरम्भ किया गया है। वहां एक पर्यटक बंगला है जो लोगों को सुविधाएं देने और गांधी आश्रम में अध्ययन करने के लिये खोला गया है।

हम गुजरात में एक युवक होस्टल का निर्माण करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : उन प्रदेशों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां विदेशी पर्यटकों को प्रवेश पर रोक लगी है ? ये प्रतिबन्ध पर्यटकों के उन क्षेत्रों का दौरा करने में बाधक है।

डा. सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य आसाम राज्य का उल्लेख कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

SHRI B. P. MAUNJA : Taking into consideration this fact that there are 80 crores Buddhists in the world and India, the birth place of Buddha, is a place of pilgimage for them and they come here in thousands every year, have any efforts been made for the encouragement of tourist traffic ? I also want to know whether some arrangement of aerodrams will be made at Buddha Gaya Lumbine, Kushinara and Rajgir, and attention will be paid to give them special facilities so that tourism and religious and friendly feelings may be encouraged ? I want to know whether any efforts will be made by the Ministry to formulate such a scheme ?

डा. सरोजिनी महिषी : बौद्ध पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये विशेष उपाय किये गये हैं। वैशाली और विशेषकर बिहार में बौद्ध गया, राजगिरि और नालन्दा जैसे स्थानों के लिये अनेक योजनाएं हैं।

जुलाई के अन्त में यू. एन. डी. पी. के बिशेषज्ञों के भारत आने की सम्भावना है जो इन स्थानों का दौरा करेंगे और एक वृहद योजना तैयार करेंगे। बिहार के पर्यटन मंत्री तथा अन्य अधिकारियों से मेरी कल भेंट हुई थी। बिहार और समूचे देश में बौद्ध पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई।

श्री एस. एम. बनर्जी : स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम 1857 में आरम्भ हुआ और झांसी, कानपुर, लखनऊ और अन्य स्थानों का इस सम्बन्ध में महत्त्व है, चूंकि समाजवादी देशों से आने वाले

पर्यटक साम्राज्यावाद देशों से आने वाले व्यक्ति नहीं, हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को जानने के इच्छुक होते हैं। अतः क्या इन स्थानों को पर्यटक नक्शे में शामिल किया जायेगा। वास्तव में इन्हें शामिल किया जा चुका है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन स्थानों पर ध्वनि प्रकाश कार्यक्रक आरम्भ किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव नोट कर सकते हैं। यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री डी. वसुमतार : आसाम में पर्यटन के अनेक आकर्षक केन्द्र हैं। मुझे उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया कि आसाम का दौरा करने वाले पर्यटकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगला देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद सरकार का विचार उन प्रतिबन्धों में छूट देने का है ?

डा. सरोजिनी महिषी : जहां तक भारतीय पर्यटकों का सम्बन्ध है उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। आसाम में भी सब स्थानों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। मानत और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये गये हैं। माननीय सदस्य द्वारा की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा केवल कृषि कार्यों के लिये शाखाओं का खोला जाना

*606. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया का विचार छोटे तथा सीमान्त किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केवल कृषि कार्यों के लिए शाखाएं खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताविक योजना की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक समूह का विचार लगभग 150 सदन केन्द्र चुनने का है जिनमें से प्रत्येक के लिये लगभग दो से तीन वर्षों में एक-एक कृषि विकास शाखा की सेवाएं उपलब्ध की जायंगी।

(ख) प्रस्तावित योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं।

(i) उर्युक्त केन्द्र लघु कृषक विकास अभिकरणासीमन्तिक कृषक एवं कृषिक श्रमिक, एककीकृत शुल्क भूमि कृषि विकास परियोजनाओं बहु फसल कार्यक्रम, ग्राम विद्युतिकरण निगम की विद्युतिकरण योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में और उनके नेता जिला (लीड डिस्ट्रिक्ट) में चुने जाने हैं।

(ii) आशा है कि अन्ततोगत्वा इनमें से प्रत्येक केन्द्र 100 गांवों तक के लिये सेवाएं उपलब्ध कर सकेगा।

(iii) विशेष योजनाएं तैयार करने के लिये इनमें से प्रत्येक केन्द्र के आस पास के क्षेत्रों का उनका उन केन्द्रों में सेवारत शाखा से सम्बन्ध बैंक के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सर्वेक्षण किया जायगा ।

(iv) विशेष योजनाएं प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम समूह(समूहों) की अनुमानित आवश्कताओं के अनुसार उनके कृषि और अन्य क्रियाकलापों के लिये धनकी व्यवस्था करने के लिये तैयार की जायेगी ।

(v) सहायक कृषि सम्बन्धी गैर-कृषि क्रियाकलापों के लिये फसल ऋणों और वित्त की व्यवस्था बैंक द्वारा की जायगी ; सावधि ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये कृषि पुनर्वित निगम के लिये जाने वाले पुनर्वित पर बैंक बहुत अधिक निर्भर रहेगा ।

श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या रियायतों अथवा प्रक्रिया संबंधी सुविधाओं की कमी के कारण, जो सहकारी बैंक क्षेत्र में, उपलब्ध होती हैं, स्टेट बैंक आफ इन्डिया छोटे और सीमान्त किसानों के ऋण देने के कार्य में सफल नहीं रहा है और यदि हां, तो सरकार वाणिज्यिक बैंकों को भी उत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: स्टेट बैंक आफ इन्डिया के अध्यक्ष श्री तलवार की अध्यक्षता में एक उप-समिति की स्थापना की गई है जो कृषि सम्बन्धी ऋण की बाधाओं के बारे में जांच करेगी। माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायत सर्वेक्षण का भाग होगी इस मामले में तलवार समिति द्वारा अध्ययन किया जायेगा ।

श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी : मूल उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित कृषि बैंक उन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे जहां छोटे कृषक विकास एजेंसी / सीमान्त कृषक और कृषक श्रमिक एजेंसी सम्बन्धी योजनाएं लागू न हों । यदि ऐसा है तो क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के कृषि की दृष्टि से पिछड़े चिनूर जैसे जिले में जहां छोटे किसानों और सीमान्त किसानों की प्रतिशतता सबसे अधिक है, स्टेट बैंक की ऐसी शाखाएं खोलेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस विशेष योजना का मूल उद्देश्य संकलित कृषि योजना आरम्भ करना है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों को समन्वित करना और उनको अधिकतम बैंक सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, चाहे वह सहकारी अथवा वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से हो जिससे जिले में संकिलित विकास हो सके ।

SHRI SHIV KUWAR SHASTRI : The farmers are not aware of the facilities they are entitled to get from the branches of these banks. I, therefore, want to know whether some officers will be appointed in every branch of the bank who will give information to the farmers in this regard ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : This is a very good suggestion and the Government is taking measures in this regard. This is one of the reasons for not achieving the success which we had expected to achieve. Therefore, consultations are made off and on. Some high level policies of the Government cannot be inplemented on District level. Continuous efforts are being made in this direction.

SHRI SHIV NATH SINGH : I want to know whether the Government have some survey report regarding this money the small and marginal farmers require and the percentage of that which is being met ? If not, whether the Government propose to conduct a survey in this regard ?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : We have to conduct a survey ultimately. But we have to take our resources into consideration in this regard. I can sumbmit the figures in this regard if the hon. member allow me time.

श्री जी. **विश्वनाथन** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसानों की सहायता करने के लिये सहायक बैंक, भूमि विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंक जैसी अनेक एजेंसियां हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि प्रयोजन के लिये स्टेट बैंक की शाखाएं खोलने की क्या आवश्यकता है और वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सरकारों को उत्तम धनराशि उपलब्ध कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ताकि सबके कार्य क्षेत्र अलग-अलग रहें ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कार्य क्षेत्र के अलग-अगग न रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है । किसी विशेष जिले के आधार-ढांचे पर अनेक एजेंसियां निर्भर हैं । कुछ जिले बहुत बिकसित हैं लेकिन कुछ अन्य जिलों में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है । वहां कोई भी एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक संकलित योजना बनाना और इन सब एजेंसियों का अधिकतम उपयोग करना है । अतः एक दूसरे के कार्य-क्षेत्र में दखल नहीं होगा । उसमें कार्य निश्चित होगा । इससे संकलित योजना में सहायता मिलेगी और इस प्रकार शक्ति नष्ट नहीं होगी । इस सम्बन्ध में निकट से देखभाल की जायेगी और ऋण का अधिकतम उपयोग किया जायेगा ।

श्री कार्तिक उरांव : इन सैकड़ों शाखाओं में से कितनी शाखाएं छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र में खोली जायेंगी और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है अथवा इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छोटे किसानों के लिये बैंकों से बिना कुछ धन राशि का त्याग किये ऋण लेना बहुत कठिन है ? क्या सरकार छोटा नागपुर और संथाल परगना के पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएं खोलते समय इन बातों की ओर ध्यान देगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उक्त तथ्य सरकार की जानकारी में लाये गये हैं और मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देती हूं कि हम इन कठिनाइयों के प्रति पूर्णतया सचेत हैं और इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है । मैं सदन को यह बताना चाहती हूं कि इन उपायों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों और उपेक्षित केन्द्रों, के लिये विशेष कायवाही की गई है, बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य केन्द्रों में, जहां बैंकिंग सुबिधाएं उपलब्ध नहीं है, विशेष कार्यवाही की गई है । मेरे पास इस बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं आंकड़े पढ़ सकती हूं ।

SHRI BIBHUTI MISHRA : The hon. Minister has just now stated that the officers will decide regarding the backward areas and the places where the branches are to be opened. I want to suggest that the Government should ask from the Member of Parliament of the backward areas regarding the names of the places where banks should be opened. The amount of loans to be given to the farmers should also be stated. I want to know whether there is some such scheme ?

SHRIMATI SUSHILA ROHTAGI : There is no such scheme. In case all the Ministers and M. Ps are sent to the backward areas, we will have to close the House for certain period.

SHRI BHIBHUTI MISHRA : I want to know whether an enquiry will be made from the M. Ps. of the backward areas regarding the places where branches are required to be opened and the amount of loan to be sanctioned to the farmers ?

SHZIMATI SUSHILA ROHATGI : We will welcome this suggestion.

श्री भागवत झा आजाद: जहां तक हमें जानकारी है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बहुत कम प्रतिशत ऋण दिये जा रहे हैं, छोटे और सीमान्त किसानों की तो बात ही छोड़ दीजिये। क्या सरकार यह बतायेगी कि कुल दिये गये ऋणों में से छोटे तथा सीमान्त किसानों को कितने प्रतिशत ऋण दिये गये ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हमारे पास सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के बारे में आंकड़े हैं, जिसकी प्रतिशतता 23 है। छोटे किसानों और सीमान्त किसानों के बारे में हमें नोटिस की आवश्यकता है।

1970-71 में सैनिक अस्पतालों और रिहायशी मकानों का निर्माण

*608. **श्री बी. मायावन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में सैनिक अस्पतालों और रिहायशी मकानों जैसे कितने नये निर्माण कार्य पूरे किए गये ; और

(ख) नव-निर्मित मकान शसस्त्र सेना के कितने अधिकारियों तथा अन्य रैंक के सैनिकों को और कितने असैनिक कर्मचारियों को रहने के लिए दिए गये ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शक्ल : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1970-71 के दौरान अस्पताल तथा निवास आवास निम्नलिखित पूरे किए गए हैं :—

क्रम संख्या	सशस्त्र सेना का नाम	अस्पताल (संख्या)	निवास आवास		
			पारिवारिक		
			अफसर संख्या	अन्य रैंक संख्या	सिविलियन संख्या
1.	सेना	2	755	4703	318
2.	वायु सेना	2	528	2821	1074
3.	नौ सेना	—	115	147	—

2. इन सब निवास आवास की इकाइयों को क्रमानुसार वर्गों में आवंटित कर दिया गया है।

श्री वी. मायावन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि स्थल सेना, नौ सेना तथा वायुसेना के विवाहित और अविवाहित कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कुल आवासीय मांगों की पूर्ति कब तक की जा सकेगी और मंत्रालय की इस बारे में क्या योजना है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस मामले पर दो वर्ष पूर्व मंत्री मंडल ने बिचार किया था, और क्योंकि आवास स्थानों की भारी कमी है अतः एक पच्चीस वर्षीय योजना बनायी गई जिसका अनुमानित व्यय 250 करोड़ रुपए है। परन्तु बढ़ती हुई निर्माण लागत के कारण, ऐसा लगता है कि उससे दुगनी राशि अपेक्षित होगी। जिस अवधि की परिकल्पना की गयी है उसमें हम स्थल सेना नौसेना और वायुसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। फिर भी, जैसा कि मैंने सभा-पटल पर रखे विवरण में बताया है, हम उपलब्ध स्रोतों के अनुसार आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन करते रहेंगे और सैनिक अधिकारियों की यथा सम्भव आवश्यकताओं की पूर्ति करने का यत्न करेंगे।

श्री वी. मायावन : मैंने विवरण में दिये गये आंकड़ों और ब्योरे को देखा है। परन्तु उनमें प्रतिशत नहीं दिया गया। भारतीय वायु-सेना, नौसेना और स्थल सेना के उन कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें सरकारी आबास दिये गये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जिन रिहायशी स्थानों का मैंने उल्लेख किया है वे आवंटित कर दिये गये हैं, खाली नहीं पड़े हैं।

श्री एस. एम. बनर्जी : प्रश्न के (ख) भाग का संबंध सिविल कर्मचारियों से भी है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1972-73 में अथवा चौथी योजना में क्या बिभिन्न रक्षा स्थापनाओं में कार्यरत वर्ग 3 और वर्ग 4 के सिविल कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये भी कुछ धन रखा गया है और क्या यह सच है कि आयुध कारखानों तथा अन्य सैनिक प्रतिष्ठानों के सिविल अधिकारियों से 20 से 30 प्रतिशत के पास सरकारी आवास हैं और यदि हां तो इस मामले में सुधार कैसे होगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : रक्षा कार्यों पर लगे सिविल कर्मचारियों को भी ऐसे आवास मिलते हैं। मुझे इस समय इस बात का पता नहीं कि सिविल कर्मचारियों के लिये क्या प्रतिशत नियत है परन्तु योजना बनाते समय उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री के. गोपाल : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने सैनिकों के आवास के लिए 25 वर्षीय योजना तैयार की है। मैं समझता हूं कि तब तक अधिकांश सैनिक सेवानिवृत हो जायेंगे। सैनिकों को उनके परिवारों से लम्बे समय तक दूर रखना उचित नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार नियमित तथा उचित समय के पश्चात ऐसे स्थानों से जहां परिवार नहीं रह सकते, कर्मचारियों को बारी बारी से ऐसे स्थानों पर भेजेगी जहां परिवार रह सकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा किया जाएगा।

Setting up of Chemical Fertilizer Factory in Rajasthan and Madhya Pradesh

*610. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be plased to state :

(a) whether Government proposed to set up a Chemical Fertilizer factory each in Rajasthan and Madhya Pradesh ;

(b) if so, the location, cost and production capacity thereof ; and

(c) the date when the proposed factories would be ready for production ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश से कोरबा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 4,95,000 मीटरी टन की क्षमता के कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। प्रायोजना के अनुमान तथा अन्य ब्यौरे भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस प्रायोजना में 1976-77 के उत्तरार्ध में उत्पादन होना शुरू हो जायेगा।

कार्यकारी दल, जिसे सरकार ने नियुक्त किया था ने उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर, राजस्थान में उपलब्ध पाइराइट्स तथा राक फास्फेट्स के भंडारों पर आधारित वहां एक उर्वरक उद्योग समूह के स्थापित किये जाने की सम्भावना व्यक्त की है। उन भंडारों के व्यापारिक समुपयोजन की लाभप्रदता तथा कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही इस प्रकार के उद्योग समूह की स्थापना पर विचार किया जायेगा।

DR. LAXMINARAIN PANDEY : The hon. Minister has stated that there is no availability in Rajasthan.

SHRI H. R. GOKHALE : I have not said so.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : What is the basis of his statement. According to my information, there is every possibility of chemical fertilizer factories being set up in Rajasthan. Has he explored all possibilities and has the Rajasthan Government requested for the setting up of a factory there, and if so, what is his reaction to that ?

श्री एच. आर. गोखले : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मुझे गलत समझा है। मैंने यह नहीं कहा कि इसकी कोई सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत मैंने कहा था कि यह सम्भव है और हम उसके आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

MR. SPEAKER : His first question was of that type.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : I wanted to know whether the Rajasthan Government had made a request to this effect and if so, when such a factory could be established there ?

MR. SPEAKER : This is what the hon. Minister is talking.

श्री एच. आर. गोखले : समय बता सकना कठिन है, क्योंकि निर्णय लेने से पूर्व कई बातों पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया, प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि राजस्थान में ऐसी परियोजना के स्थापित किए जाने की सम्भावना है। परन्तु न केवल तकनीकी अपितु आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर भी विचार करना होता है और सरकार उन पर क्रियात्मक रूप से विचार कर रही है।

SHRI SHIVNATH SINGH : Is it a fact that in Rajasthan there is a huge deposit of pyrites at saledipur and there can be no other appropriate place for this purpose and whether he would consider saledipur for the setting up of that factory where pyrites are found and will not shift it else where ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा टेलीविजन सैट बनाने का प्रस्ताव

*611. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने टेलीविजन सैट बनाने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० ने हैदराबाद में घरेलू टेलीविजन सेट बनाने के लाइसेंस के लिए एक आबेदन पत्र दिया है। प्रस्ताव मैं धीरे धीरे 30,000 सैट वार्षिक की उत्पादन क्षमता का अनुमान है।

(ग) मामला सरकार सरकार के विचाराधीन है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० का यह आबेदन पत्र कबसे सरकार के पास पड़ा हुआ है और क्या यह सच है कि इस अवधि में एच. ए. एल. की आवेदन की उपेक्षा करके गैर सरकारी पार्टियों को टेलीविजन बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं और टेलीविजन के निर्माण में एच. ए. एन. की विदेशी मुद्रा की कितनी आवश्यकता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० ने लगभग दो वष पूवं 1970 में सुझाव दिया था। मुझे ठीक से पता नहीं कि इस बीच में किसी अन्य पार्टी को कोई लाइसेंस दिया गया है या नहीं, परन्तु कई पार्टियों से कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इन पर कार्यवाही इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में होती है जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन कार्य करता है और लाइसेंस जारी करने के लिये वही उत्तरदायी है।

जहां तक टेलीविजन के लिए विदेशी मुद्रा का प्रश्न है, गैर-सरकारी पार्टियों ने कम से कम 80-100 रुपया तक की विदेशी मुद्रा के लिए कहा है जबकि एच. ए. एल. ने बताया है कि वे एक अच्छे टेलीविजन सेट को 30 रुपए के आयातित पुर्जों से बना सकेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : शायद मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या निजी पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं। इससिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितनी निजी पार्टियों के पास लाइसेंस हैं, जबकि एच. ए. एल. का आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है और क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष एच. ए. एल. को 6 करोड़ रुपए के क्रयादेश दिये गये थे जबकि इस वर्ष उसे 3 करोड़ रुपए के ही क्रयादेश मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कई प्रश्नों में सूचना अथवा सुझाव दिये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ता है तो वह क्या कहेगा वह पूछेगा कि उस समय कौन पीठासीन था। प्रश्न संगत होने चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स की इस वर्ष प्रयोग में न आने वाली क्षमता कितनी है और पिछले वर्ष उन्होंने कितना सामान सप्लाई किया और उन पर कितने माल के आर्डर बकाया हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अभी हाल में हीं समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में एच. ए. एल. की हैदराबाद डिवीजन का कुल उत्पादन 6 करोड़ रुपया से कुछ अधिक था। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए मांगों के अनुसार लगभग तीन करोड़ रुपए के आर्डर हैं। इस सरकारी कारखाने में बेकार पड़ी क्षमता का टेलीविजनों संगणकों, एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग किया जाएगा, जिसके लिये सरकार से आवेदन किया गया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : लाइसेंसों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं जानकारी लेकर सभा-पटल पर रख दूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एच. ए. एल. द्वारा टेलीविजन सेटों के निर्माण का प्रस्ताब उनकी जानकारी तथा अल्पतम विदेशी मुद्रा के उपयोग के कारण रचनात्म है। मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने 1970 में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था और अभी तक एच. ए. एल. द्वारा टेलीविजनों का निर्माण आरम्भ होता नजर नहीं आता। मैं जानना चाहता हूं कि रक्षा उत्पादन अथवा औद्योगिक विकास मंत्रालयों में से कौनसा मंत्रालय इस आवेदन पर अकर्मण्य पड़ा हुआ है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने आवेदन दे दिया है। हम इस पर अकर्मण्य नहीं हैं। हम इस पर दृढ़ता से कार्यवाही कर रहे हैं। केवल दो दिन पूर्व हमने पाया कि दूसरे विभाग से कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने इस मामले में जल्दी करने के लिए एक पत्र प्रधान मंत्री को लिखा है। हमने एक

नमूना तैयार कर लिया है, जो कि संतोषजनक पाया गया है। हमारे पास फालतू क्षमता है, तकनीकी जानकारी है। आयातित पुर्जे कम से कम अपेक्षित हैं और सैटों की कीमत उचित है। परन्तु हमें देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना पड़ता है और उसे राष्ट्रीय नीति के अनुसार वितरित करना होता है जो कि हमने निर्धारित की है। इसलिए इस पर कुछ समय लग रहा है।

In structions to State Governments to Link Tourist Centres with Main Roads

*616. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have given instructions to the various State Governments to link Tourist Centres with the main roads ; and

(b) if so, the names of the State Governments who have complied with the instructions ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरजनी महिषी) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा ऐसे कोई निदेश नहीं दिये गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI BIBHUTI MISHRA : The Hon. Minister said that so much amount will be earned through tourist Department, but he has not written any letter to the State Government for connecting tourist centres by road and air. How this scheme will be implemented in this way ?

MR. SPEAKER : It has been noted, you can see him later on.

DR. SAROJINI MAHISHI : The State Government is doing a lot for the development of tourisum and we are also helping them. Other efforts are also being made. Hon. Member may be eager to know as to what has been done in the State of Brihan in this respect. I may inform the Member that air service has started and with that a lot is being done for increasing Budhist Tourist Centres.

SHRI BIBHUTI MISHRA : Bihar is the second largest State. It is a big tourist centre. But there is no building or good hotel for the stay of tourists. There are no transport arrangements at the tourist centres. Under there circumstances, how the targei can be achieved ?

DR. SAROJINI MAHISHI : There is a tourist Bungalow in Rajgir a big reception centre is being constructed at Patna and a number of programmes are going on for the development of Budhist tourist centres.

SHRI B. P. MAURYA : Construct an aerodrome,

DR SAROJINI MAHISHI : Services have been started at Gaya.

पारादीप में तूफान का पता लगाने वाला राडार और भुवनेश्वर में मौसम वेधशाला की स्थापना

*617. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप में तूफान की चेतावनी देने वाले राडार और भुवनेश्वर में मौसम वेधशाल केन्द्र स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है; और

(ख) प्रस्तावित परियोजनयें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). यू. के. से चक्रवात चेतावनी राडार प्राप्त करने के लिये आर्डर दे दिये गये हैं तथा पारादीप बन्दरगाह पर एक इमारत के निर्माण के लिये भी कार्यवाही की जा रही है जिसमें कि इस राडार को स्थापित किया जायेगा ।

वर्ष की समाप्ति से पहले चक्रवात चेतावनी सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को सम्भालने के लिए भुबनेश्वर में एक मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री अर्जुन सेठी : क्या इस राडार की स्थापना शीघ्र ही की जायेगी जिससे कि उड़ीसा और विशेषकर तटवर्ती इलाकों के लोगों को समय पर तूफान की चेतावनी दी जा सके ?

डा० सरोजिनी महिषी : सितम्बर, 1972 के अन्त में पारादीप पत्तन पर एक भवन में राडार लगा दिया जायेगा । भवन का निर्माण कार्य चल रहा है ।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विशेष गाड़ियों का विकास

*619. **श्री आर. पी. उलगनम्बी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने 1970-71 और 1971-72 में किस प्रकार की विशेष गाड़ियों का विकास किया हैं;

(ख) क्या बख्तरबन्द सैनिक वाहनों जैसी अधिक हल्की गाड़ियों का उत्पादन आरम्भ हो चुका है और यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी गाड़ियां तैयार की जा चुकी हैं;

(ग) बख्तरबन्द गाड़ियों की सेना की सभी आवश्यकताएं कब तक देश में ही उत्पादन द्वारा पूरी हो जायेंगी; और

(घ) इस समय ये आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी की जा रही हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने 6 विशेष गाड़ियों का नामतः हल्के बख्तरबन्द टोह गाड़ियां, कोर आफ सिगनल्स के लिए संचार गाड़ियां. डाक गाड़ियां, आर्मी मेडीकल कोर के लिए अर्थी गाड़ियां, कमांडर स्टेशन वैगन, घोड़ा/खच्चर ले जाने की गाड़ियों का विकास किया है ।

(ख) बख्तरबन्द कार्मिकों को ले जाने के लिए एक आद्यरूप का निर्माण किया गया है जिस पर परीक्षण होने हैं । अन्य हल्की गाड़ियों के सहायक बेड़े के डिजाइन का काम चल रहा है ।

(ग) बख्तरबन्द गाड़ियों को सेना की आवश्यकताएं स्वदेश में लगभग 7 से 10 वर्षों में पूरी हो जाने की सम्भावना है।

(घ) आवश्यकताएं अंशतः स्वदेशी उत्पादन से तथा अंशतः आयात के द्वारा पूरी की जाती हैं।

श्री आर. पी. उलगनम्बी : माननीय मंत्री ने बताया कि बख्तरबन्द गाड़ियों की आवश्यकता का एक भाग देशी उत्पादन तथा शेष आयात से पूरा किया जाता है। आयातित बख्तरबन्द गाड़ियों का मूल्य क्या है तथा उनका आयात किन-किन देशों से किया जाता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मूल्य के सम्बन्ध में आंकड़े मेरे पास नहीं है, पर मैं इन्हें एकत्र करके सभा-पटल पर रख दूंगा। हम यह आयात अधिकतर पूर्व यूरोपीय देशों से कर रहे हैं।

श्री पी. आर. उलगनम्बी : बख्तरबन्द कर्मचारियों, खच्चरों और घोड़ों को ढोने वाली गाड़ी का उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा तथा यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ? मेरा सुझाव है कि यह कारखाना तामिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में, जहां के अनेकों लोग सेना में काम करते रहे हैं, और कर रहे हैं, स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया, बख्तरबन्द कर्मचारियों को ले जाने वाली गाड़ी का ढांचा बनाया जा चुका है तथा उसके इंजन ट्रान्समिशन सिस्टम और कूलिंग सिस्टम का नमूना भी हमें प्राप्त हो गया है। फिलहाल इस सिस्टम का निर्माण गाड़ी निर्माण फैक्टरी और जबलपुर मध्यप्रदेश स्थित फैक्टरी में करने का विचार है तथा इसे तामिलनाडु स्थित आवड़ी कारखाने में, जिसमें विजयन्त जैसी भारी गाड़ियां बनती हैं, जोड़ा जायेगा। पर इस बात की पूरी सम्भावना है कि बख्तरबन्द कर्मचारियों की गाड़ी के निर्माण के लिए एक फैक्टरी अलग से ही स्थापित करनी पड़ेगी। आयुध कारखाना स्थापित करते समय केवल क्षेत्र के पिछड़ेपन को ही ध्यान में नहीं रखा जाता वरन् इसके अतिरिक्त अन्य कई बातों को जैसे सुरक्षा तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखना पड़ता है तथा इन पर एक समिति द्वारा विचार किया जाता है और तब हम स्थान तय करते हैं ?

दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली के बीच सर्कुलर उड़ान को पुनः प्रारम्भ करना

*620. **श्री एस. एम. बनर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए युद्ध के दौरान दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-दिल्ली के बीच सर्कुलर उड़ान बन्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा को फिर से प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में अभ्यावेदन दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) कई अन्य सेवाओं के साथ-साथ इस सेवा को 3 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 1971 की अवधि के दौरान अस्थायी तौर पर निलम्बित कर दिया गया था। तत्पश्चात, यह सेवा 14 जनवरी, 1972 तक अर्थात नई शीतकालीन समय-सारिणी के लागू होने की तारीख तक परिचालित की गई।

(ख) अंशतः विमानों की कमी के कारण तथा अंशतः आई. सी-411/412 सेवा पर सप्ताह में चार बार के बजाय दैनिक दिल्ली-कानपुर संयोजन उपलब्ध होने के कारण।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स को इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निःशुल्क कोच सेवा शुरू करने के बारे में प्रस्ताव

*602. **श्री एम. कल्याण सुन्दरम्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु पर्यटन विकास निगम ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि इंडियन एयरलाइन्स की कोच सेवा को निःशुल्क बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). जी, हां। तामिलनाडु पर्यटन विकास निगम ने सुझाव दिया था कि इंडियन एयरलाइन्स को विमानक्षेत्र से तथा वहां के लिये निःशुल्क भू-परिवहन की व्यवस्था करना जारी रखनी चाहिये और इनकी कोच सेवा को शहर में सभी बड़े होटलों तक परिचालन करना चाहिए।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स के लिए इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नही हो पाया है।

व्यापार चलाने के लिए बैंकों में जमा राशि से अधिक राशि निकालना

*603. **श्री जी. वाई. कृष्णन्** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोग अपना व्यापार चलाने के लिए बैंक मैनेजरों के सहयोग से बैंकों में जमा अपनी राशि से अधिक राशि निकालते हैं;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने इस बारे में कोई नियम बनाए हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में छोटे उद्योगों के लाभ के लिए सरकार का विचार समय और धन-राशि के बारे में कोई सीमा निश्चित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) चूंकि जमा राशि से अधिक राशि निकालने, नकद ऋणों/ऋणों आदि के रूप में व्यापारियों को अपने व्यापार के वित्त-पोषण के लिए ऋण सुविधाएं देना वाणिज्यिक बैंकों के साधारण कार्यों में से एक है, इसलिए शाखा प्रबन्धक (ब्रांच मैनेजर), अपनी प्रदत्त शक्तियों के अनुसार और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रार्थियों को अपना व्यापार चलाने के लिए, जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा देते हैं।

(ख) और (ग) ऋणकर्ताओं को जमा राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करना, सीमा निश्चित करना आदि जैसे साधारण बैंक संबंधी कार्यों का नियमन संबद्ध बैंकों के नियमों और कार्य-पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने इस संबंध में कोई विशेष नियम नहीं बनाए हैं किन्तु छोटे औद्योगिक एककों सहित स्व-नियोजित व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों को अग्रिम देने के संबंध में कुछ स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पर्यटकों के सामान की जांच पड़ताल में अधिक समय लगाया जाना

*607. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डों पर पर्यटकों के सामान की जांच पड़ताल करने में बहुत अधिक समय लगाये जाने के सम्बन्ध में सरकार को विदेशी पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए कोई नई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) यद्यपि वर्ष 1971 में तीन लाख से अधिक पर्यटक भारत आए थे, तथापि सरकार को पर्यटकों की ओर से केवल 9 ही ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें उनके असबाब की निकासी में सीमाशुल्क विभाग द्वारा विलम्ब का उल्लेख था।

(ख) तथा (ग). यात्रियों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने समय समय पर विभिन्न उपाय किए हैं। शिकायतें दूर करने के सम्बन्ध में किए गए उपायों का विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-1883/72.**]

बैंकों के जमा धन पर व्याज की दर में वृद्धि

*609. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या बैंक के जमा धन पर व्याज की दर में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Educational Arrangements for Children of Employees of Guard Training Centre, Kota

*612. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the arrangement made for the education of children in the military area of Guard Training Centra, Kota ; and

(b) whether Government have any scheme under consideratiou for opening a School for the education of the children of poor civilian employees in the military area ?

THE MINISTRE OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) A primary school from Standard 1 to Standard 4 is being run in the military area, under the arrangements of the Commandant, Guards Training Centra, Kota.

(b) There is no such scheme.

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा न चलाये जाने वाले केरेविल विमान

*613. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एअरलाइन्स द्वारा कितने केरेविल हवाई जहाजों को नहीं चलाया जा रहा है;

(ख) इनके न चलापे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमानों के न चलाये जाने के परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइन्स की सामान्य वायु सेवायें प्रभावित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाईन्स द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दो कारवेल विमान मार्च-अप्रैल, 1972 में मरम्त के लिये अस्थायी तौर पर भूमिस्थ कर दिए गये थे । एक कारवेल

विमान 28 मार्च को एक पक्षी से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गया तथा लगभग दो सप्ताह तक अपरिचलित रहा। एक दूसरे विमान का अवचक्र (अण्डर-कैरिज) 7 अप्रैल को क्षतिग्रस्त हुआ। यह विमान अब मरम्मत कर दिया गया है और 24 अप्रैल से पुनः सेवा में लगा दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) सेवा-अनुसूची में परिवर्तन करके तथा अन्य प्रकार के विमानों का प्रयोग करके तुरंत उपचारी कार्यवाही की गई थी।

बड़ौदा के निकट पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

*614. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड ने यह चेतावनी दी है कि यदि औद्योगिक मल-निभ्रावों के निपटान के उचित ढंग के बारे में गुजरात सरकार ने समय रहते कोई निश्चय नहीं किया तो बड़ौदा के निकट 500 करोड़ रुपये की लागत के पेट्रो-रसायन उद्योग समूह को प्रारम्भ करने का कार्य निश्चित विस्तृत कार्यक्रम से काफी पिछड़ जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार से इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने को कहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन को निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक भल्न-निभ्रावों के सुरक्षित निपटान के समस्या की जानकारी है। गुजरात सरकार बड़ौदा उद्योग समूह में सभी रसायनिक उद्योगों के लिए सन्तोषजनक ढंग से यत्न-निभ्रावों के निपटान के सम्बन्ध में व्यवस्था का समन्वय कर रही है तथा इस योजना में इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० (भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि०) भी भाग लेगा।

विदेशी मुद्रा की हेरा फेरी की समस्या पर अध्ययन दल

*615. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) विदेशी मुद्रा की हेरा फेरी की समस्या पर जो अध्ययन दल नियुक्त किया गया था उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार ने विभिन्न सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) बीजकों में हेर-फेर के कारण विदेशी मुद्रा-विनियम की हानि पर अध्ययन दल की रिपोर्ट 16-11-1971 को सदन की मेज पर रख दी गई थी। दल की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का एक विवरणपत्र अनुबन्धित है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1884/72]

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई 220 सिफारिशों में से 168 पर निर्णय किये जा चुके हैं (3 स्वीकार नहीं की गई है; अन्य या तो पूर्णतः अथवा सैद्धांतिक रूप में अभाव कुछ परिवर्तन के

साथ स्वीकार कर ली गई हैं; स्वीकृत सिफारिशों पर, उनके स्वरूप तथा विषय वस्तु के अनुसार, सम्बन्धित मन्त्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वयन सम्बन्धी उचित कार्यवाही की जा रही है। शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में उत्पादन

*618. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ जो कि कुछ प्रमुख सेक्शनों के संयंत्रों की निर्धारित क्षमता से अधिक था;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों, इंजीनियरों और क्षेत्र-कर्मचारियों को किसी तरह का प्रोत्साहन देने का है ताकि उक्त निगम के अन्य एकक ट्राम्बे एकक की तरह अधिक उत्पादन कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो किस तरह के प्रोत्साहन देने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) ट्राम्बे संयंत्र के अधिकांश अनुभागों में पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1971-72 का उत्पादन अधिक था लेकिन मुख्य अनुभागों में अभी भी उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम था।

(ख) और (ग). ट्राम्बे कारखाने के कर्मचारी उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आते हैं। प्रबन्धक अपने कर्मचारियों को उनके कार्य-निष्पादन की प्रशंसा में कुछ उपहार देने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

4254. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में तेल शोधक कारखाना (पेट्रो-रसायन समूह) स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) ऐसे तेल शोधक कारखाने की स्थापना का स्थान चुनने के लिए सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) जी हां।

(ख) शोधनशाला का स्थान निर्धारण तकनीकी-आर्थिक कारणों जैसी सभी बातों के विचार के आधार पर किया जायेगा।

मैसूर में पर्यटकों के लिए होटल आवास की कमी

4255. **श्री पम्पन गौडा** . क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में पर्यटकों के लिए होटल आवास की कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस समय कितने होटल हैं और उनमें कितने कमरे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा. कर्णसिंह) : (क) यह माना जाता है कि देश में पर्यटन के महत्व के लगभग सभी स्थानों पर अच्छे होटल आवास की सामान्यत: कमी है ।

(ख) मैसूर राज्य में 12 अनुमोदित होटल हैं जिनमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी सम्मिलित हैं और उनकी कुल धारिता 723 कमरों की है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र में, भारत पर्यटन विकास निगम ने बंगलौर में होटल अशोक के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है । मई 1971 को 91 कमरों से होटल ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा चौथी योजना के अन्त तक इस होटल में और 100 कमरे जोड़ने की निगम की योजना है । गैर-सरकारी क्षेत्र को, कर एवं वित्तीय राहत, होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता, उनकी जरूरी आवश्यकताओं आदि पर अग्रता के आधार पर विचार, के रूप में विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा और अधिक होटल स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।

Setting up of lead Banks in East Nimar District of Madhya Pradesh

4256. SHRI G. C. DIXIT : Will the minister of FINANCE be pleased to state whether Government propose to set up more Lead Banks in East Nimar District of Madhya Pradesh to provide loan facilities quickly to the farmers and other poor sections of Society ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Bank of India is the lead bank for the District of East Nimar. There is no proposal at present to name any other bank as lead bank for the District.

The lead bank and the other banks in the public sector have at present 21 offices in East Nimar District and licences for two more are pending. All banks have instructions to give priority in affording credit facilities to farmers and other weaker sections of the community.

केरल में फर्मों और व्यक्तियों की ओर आयकर की बकाया राशि

4257. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ऐसे व्यक्तियों तथा कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनकी ओर आयकर को एक लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है ; और

(ख) इसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) तथा (ख) : 31-3-1972 की यथा स्थिति के अपेक्षित ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे ।

Loan given by Nationalised Banks to 'TONGAWALLAS' in Madhya Pradesh

4258. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether loans have been given in Madhya Pradesh to 'Tongawallas' for the purchase of Tongas by the Nationalised banks; and

(b) if so, the number thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE ((SHRI K. R. GANESH) : (a) & (b) Advances to tongawallas are covered under the category of 'Transport of Operators'. Figures are not kept separately for each category of operators. The Nationalised banks' advances in Madhya Pradesh granted to 'Road Transport Operators' and outstandngi as on 31st December, 1971 aggregated Rs. 240.78 lakhs covering 1191 accounts.

Name of Tourist Centres in Madhya Pradesh where there are no Govrnment Hotels

4259. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number and names of the Tourist Centres in Madhya Pradesh; and

(b) the number and names of the Tourist Centres, where there are no Government hotels ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Places are not specifically described as tourist centres. There are a number of tourist attractions in the State.

(b) There is no Central Government hotel in Madhya Pradesh but the ITDC is operating travellers lodges at Khajuraho, Sanchi and Mandu. A forest lodge is being constructed at Kanha Kisli, a Youth hostel at Bhopal and the Khajuraho lodge is being expanded to 40 rooms in the current Plan.

Loan Advanced to Powerlooms by Indore Bank at Burhanpur (Madhya Pradesh)

4260. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the amount of loan advanced to the powerlooms by the branch of the Indore Bank opened at Burhanpur City (Madhya Pradesh) last year ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Presumably, the Hon'ble member refers to the advances made by State Bank of Indore to powerloom operators at Burhanpur City in Madhya Pradesh. State Bank of Indore has not so far advanced any loan to powerlooms units at Burhanpur branch.

Scheme to explore Petroleum in Madhya Pradesh

4261. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of PETRGLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated recently by the Oil and Natural Gas Commission to explore petroleum in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड (केरल) के कोचीन डिवीजन के उप-उत्पादों के प्रयोग के लिए सहायक उद्योग शुरू करने का प्रस्ताव

4262. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड की कोचीन डिवीजन में उत्पादन शुरू होने पर प्रतिदिन अनुमानतः कितनी मात्रा में उप-उत्पाद का उत्पादन होने लगेगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उप-उत्पादों के प्रयोग के लिए कोई सहायक उद्योग शुरू करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) इस प्रकार के कोई भी उत्तोत्पाद, जो सहायक उद्योगों के विकास के प्रयोग में लाये जा सकते हों, इस प्रायोजना द्वारा फेंके नहीं जाते हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड की कोचीन डिवीजन में उत्पादन

4263. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड की कोचीन डिवीजन में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कब से आरंभ हो जायेगा ;

(ख) क्या इसके प्रथम चरन के कार्य के लिए देश में निर्मित उपकरणों की उपलब्धता में काफी विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके दूसरे चरण के विस्तार के लिए समय पर उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले : (क) चालू वर्ष के तृतीत चतुर्थांश में संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है।

(ख) जी हां !

(ग) विस्तार प्रायोजना के द्वितीय चरण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन सहायता के साथ बातचीत हो रहीं है तथा निर्धारित समयानुसार अपेक्षित सभी उपकरणों की उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड की दूसरी अवस्था के विस्तार कार्यक्रम की अनुमानित लागत

4264. **श्री वयालार रवि :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केरल में कोचीन डिवीजन के फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड की दूसरी अवस्था के विस्तार कार्यक्रम पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : कोचीन उर्वरक प्रायोजना चरण-2 पर 35.72 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

बैंक के ऋणों का इक्विटी शेयरों में बदलना

4265. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री बैंक के ऋणों को इक्विटी शेयरों में बदलने के बारे में 27 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर गणेश) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य 27 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 7694 के भाग (घ) के अंतरिम उत्तर के बारे में पूछ रहे हैं। अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

गैर-सरकारी क्षेत्र की उन 11 कम्पनियों के संबंध में, जहां कम्पनियों के देनदिन प्रबन्ध की जिम्मेदारी सीधे सरकार पर नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी सामान्य पूंजी में 31 मार्च 1971 तक किया गया पूंजी निवेश और 1970-71 के लाभांश में केन्द्रीय सरकार का भाग।

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी का नाम	चुकता पूंजी अधिमान्य पूंजी	31 मार्च 1971 को सामान्य पूंजी के हिस्सों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवेश चुकता पूंजी की तुलना में प्रतिशत कोष्ठक में दिया गया है	1970-71 के लाभांश में केन्द्रीय सरकार का भाग	जहां लाभांश घोषित किए गए हैं उनके संदर्भ में हिस्सा की पूंजी की प्रतिशतता
1.	ग्रायल इण्डिया लिमिटेड	2800.00	1400.00 (50%)	241.10	17.2
2.	जैसप एण्ड कं. लिमिटेड	653.30	561.60 (85.96%)	—	—
3.	इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लि०	2146.30	274.00 (12.77%)	12.60	4.6
4.	सिंगरेनी कोलयरीज लि०	678.40	272.00 (40.09%)	—	—
5.	ल्यूबे इण्डिया लिमिटेड	480.00	240.00 (50%)	—	—
6.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन	358.60	106.00	—	—
7.	बोलानी ग्रोर्स लिमिटेड	100.00	50.50 (50.50%)	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	सिंधुरिसैंटलमेंट कारपोरेशन लि०	132.30	50.00 (32.83%)	—	—
9.	मैंगनीज ओर इण्डिया लि०				
	सामान्य हिस्सा पूंजी	143.70	24.40 (16.98%)	—	—
	अधिमान्य हिस्सा पूंजी	71.80	12.20 (16.99%)	0.90	7.4
10.	मशीनरी मैनूफैक्चरिंग कं०लि०				
	सामान्य हिस्सा पूंजी	60.80	6.80 (11.18%)	—	—
	अधिमान्य हिस्सा पूंजी	39.00	25.00 (64.10%)	—	—
11.	सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लि०	50.60	24.80 (49.01%)	—	—

फोर्ड संस्थान के नियंत्रण पर अमरीका में अध्ययन के लिए भेजे गये अधिकारी

4266. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री फोर्ड संस्थान के नियंत्रण पर अमरीका में भेजे गए केन्द्रीय सरकार के गैर-तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययन के ब्यौरे के बारे में 4 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न सख्या 8328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो इसको कब सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : प्रश्न संख्या 8328 से संबंधित आवश्यक सूचना अभी भारत सरकार के एक मंत्रालय से आनी बाकी है। उसके प्राप्त होने पर पूरी सूचना सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कोंकिंग कोयला खानों को विस्तार के लिए दिया गया ऋण

4267. **श्री आर. एन. बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से लेकर अब तक कितनी कोकिंग कोयला खानों को बिस्तार के लिए दीर्घावधि, मध्यम अवधि तथा अल्पावधि के लिए ऋण दिए गए हैं;

(ख) उन बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने यह ऋण मंजूर किए हैं;

(ग) कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए और क्या यह सारी राशि बांट दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

बित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) से (घ). 1969 से लेकर वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसी अखिल भारतीय दीर्घावधिक सरकारी वित्तीय संस्थाओं में से केवल भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने ही अगस्त 1971 में एक कोकिंग कोयला खान को 7.4 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा ऋण दिया है। कानूनी औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है।

बंगाल तथा बिहार की कोयला खानों को भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण

4263. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1969 से लेकर अब तक बंगाल और बिहार की कोयला खानों के लिए कितनी बार ऋण मंजूर किया गया;

(ख) कितना ऋण मंजूर किया गया और जिनके लिए मंजूर किया गया, उन पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ग) कितना ऋण अभी तक नहीं दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) से (ग). 1969 से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल बिहार की किसी कोयला खान को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के संबंध में उपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

ऋण संख्या	औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम और उस राज्य का नाम जहां वह स्थित है	1969 से मंजूर किए गए ऋणों की रकम	संवितरित रकम	रकम जिसका संवितरण अभी किया जाना है और संवितरण न किए जाने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम			
1.	खास कजोरा कौल कम्पनी लि० (पश्चिमी बंगाल)	12.00 (अतिरिक्त ऋण)	10.00	3.00 कम्पनी ने अपनी योजना में कुछ परिवर्तन और फेरबदल किया है। शेष रकम का संवितरण इनको अन्तिम रूप दे दिए जाने और निगम द्वारा उन्हें स्वीकार कर कर लिए जाने के बाद किया जायगा।
2.	परसिया कौलरीज लि० (पश्चिम बंगाल)	40.00 (अतिरिक्त ऋण)	20.00	शून्य
	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम			
3.	सीरसोल माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	10.00	10.00	शून्य
4.	वेस्ट बोकारो लि० बिहार	7.40	—	7.40 कानूनी औपचारिकताओं के पूरे न होने के कारण अभी तक कोई संवितरण नहीं किया गया।

जहां तक राष्ट्रीकृत बैंकों का सम्बन्ध है, बैंकों में प्रचलित परिपाटियों और प्रथाओं के अनुसार और बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भी अलग अलग असामियों के संबंध में पूरी-पूरी सूचना नहीं बताई जा सकती। अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1969 से, पश्चिम बंगाल स्थित एक कोयला कम्पनी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 35 लाख रुपये का एक सावधिक ऋण मंजूर किया गया था। इस ऋण और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये सांवधिक ऋणों, यदि कोई हों, के सवितरण के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और जहां तक सम्भव होगा, सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कोयला खनन कम्पनियों द्वारा पूंजी का बढ़ाया जाना

4269. **श्री सुधाकर पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 से अब तक कितनी कोयला खनन कम्पनियों ने अपनी पूंजी बढ़ाई है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी पूंजी बढ़ाई है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पूंजी के कुछ भाग का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). कम्पनियों द्वारा पूंजी निर्गम नियन्त्रक को भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार, निम्नलिखित चार कोयला खनन कम्पनियों ने और अधिक शेयर (प्रारक्षित निधियों के पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों से भिन्न शेयर) जारी करके 1969 से अपनी पूंजी बढ़ायी है :—

	कम्पनी का नाम	बढ़ायी गई शेयर पूंजी की रकम
		(लाख रुपयों में)
1.	जयपुरिया सामला अमलगेमेटिड कोयलरीज लि०	90.00
2.	ओरियन्टल कोल कम्पनी लिमिटेड	51.63
3.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि०	1026.59
4.	सिंगरेनी कोयलरीज कम्पनी लि०	120.00
		1288.22

(ग) और (घ). इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी की जायगी और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गैर-निषिद्ध बारे की पिस्तोलों का निर्माण

4270. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आयुध कारखानों में गैर-निषिद्ध बोर की पिस्तोलों का निर्माण शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी बिक्री के लिए कब तक खुले बाजार में दे दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। सिविलियन प्रयोग के लिए तथा सेनाओं के लिए आवश्यक '32" पिस्तौलों के निर्माण के लिए एक मिश्रित परियोजना संस्वीकृत की गई है । लगभग 5 वर्षों में उत्पादन शुरू होने की आशा है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने ट्रंक रूटों पर यात्री किराये में वृद्धि की दर

4271. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अपने ट्रंक रूटों पर यात्री किराये में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या किराये में वृद्धि के साथ साथ यात्रियों को विमान में अन्दर दी जाने वाली सुविधाओं में भी तदनुसार कोई वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी;

(घ) क्या विमान के अन्दर दी जाने वाली सुविधाओं को छोड़कर यात्रियों को दी जाने वाली अन्य विद्यमान सुविधाओं में कटौती कर दी गई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और इससे कितनी बचत होगी; और

(ड.) क्या सरकार का विचार सुविधाओं के मामले की जांच करने का है और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) किरायों में/नवम्बर, 1969 को 8% की तथा/जुलाई, 1971 को 15% की वृद्धि की गई।

(ख) और (ग). परिचालन तथा अन्य लागतों में वृद्धि होने के कारण किरायों में संशोधन करना आवश्यक हो गया था । यात्री सुविधाओं में यथा संभव सीमा तक सुधार करने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स सतत प्रयत्न कर रहे हैं।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप, सिटी टर्मिनलों तथा विमानक्षेत्रों के बीच निःशुल्क भू-परिवहन सेवा अप्रैल, 1972 से समाप्त कर दी गयी थी क्योंकि इण्डियन एयरलाइन्स के लिए और अधिक काल तक इस सुविधा की व्यवस्था बनाये रखने संबंधी अत्यधिक खर्चों को वहन करना सम्भव नहीं था।

(ङ.) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, प्रबंधक-वर्ग इस मामले को निरन्तर ध्यान में रखता है।

अमरीका द्वारा भारत की सहायता बन्द करने के प्रयास

4272. **श्री विश्वनाथ भुंझन वाला** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार सहायता क्लब से भारत के सारे अंशदान पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है;

(ख) क्या भारत को विश्व बैंक से भी भुगतान सुगमता से नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विश्व बैंक से कितनी सहायता का आश्वासन दिया गया था और उसमें से कितनी सहायता प्राप्त हो गई है; और

(ङ.) क्या धीरे धीरे सहायता मिलने से हमारे देश की आर्थिक आयोजना पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के जो भारत सहायता संघ के तत्वावधान में भारत को सहायता देता है, साधनों में अमरीकी अंशदान की मंजूरी में हो रही देरी का सरकार को पता है। भारत सहायता संघ के अन्य सदस्यों से प्राप्त होने वाली ऋण सहायता की व्यवस्था, अलग-अलग सदस्य देशों की आन्तरिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद द्विपक्षीय रूप से की जाती है। ऐसी सहायता को रुकवाने के लिए अन्य सदस्य देशों पर अमरीकी सरकार की ओर से डाले जा रहे किसी बाह्य प्रभाव के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

यद्यपि विश्व बैंक से निबांध रूप से सहायता प्राप्त हो रही हैं किन्तु भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाली सहायता संघ के साधनों की समय पर पुनः पूर्ति होने पर निर्भर करती है। सरकार को आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की पुनः पूर्ति अधिक देर हुए बिना ही पूर्ण हो जायेगी।

विश्व बैंक के 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाले वित्तीय बर्ष के अनुरूप, वर्ष 1971-72 के लिए विश्व बैंक और आसान शर्तों पर ऋण देने वाली उसकी सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लगभग 40 करोड़ डालर तक की कुल सहायता प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी, बशर्ते कि

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की पुनः पूर्ति हो जाए। इसकी तुलना में अब तक विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ कुल 29, 30 करोड़ डालर के करारों पर हस्ताक्षर हुए है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की पुनः पूर्ति का काम पूरा होने पर और अधिक करारों पर हस्ताक्षर होने की आशा है।

(ङ) सरकार देश में उत्पादन करके तथा आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन के जरिये विदेशी सहायता से उत्तरोत्तर मुक्त होने के सभी सम्भव उपाय कर रही है ताकि आर्थिक आयोजन का काम निर्बाध रूप में आगे बढ़ सके।

केरल में इडिक्की का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

4273. **श्री बशीर रवि** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में इडिक्की को एक सुन्दर पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इडिक्की के पर्यटकीय आकर्षणों की जानकारी है। किन्तु पर्यटन विभाग इसके विकास के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

ऋणों का दिया जाना

4274. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुनर्निर्माण वित्त निगम ने घाटे पर चलने वाले तथा बन्द औद्योगिक कारखानों को पुनः चालू करने के लिये ऋण देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1972 को राज्य-वार तथा वर्ग-वार ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए मंजूर कितने किये गए तथा कितने आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है;

(ग) क्या इस निगम का विचार केवल उन कारखानों को ऋण देने का है जिन्होंने किसी अन्य सरकारी वित्त संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है; और

(घ) निगम द्वारा ऋण देने के लिये अपनाई गई कसौटी क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, कलकत्ता ने घाटे पर चलने वाले और बन्द औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिये ऋण देना आरम्भ कर दिया है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-1885/72.]

(ग) निगम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में घनिष्ठ सहयोग से सूती कपड़ा एककों को छोड़कर घाटे पर चलने वाले और बन्द सभी पात्र औद्योगिक एककों को सहायता देता है, चाहे इन एककों ने अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से पहले ही ऋण लिया हुआ हो। बन्द और घाटे पर चलने वाले सूतीवस्त्र एककों के सम्बन्ध में उनका पुनर्वास करने के लिए राष्ट्रीय सूतीवस्त्र निगम और राज्य सूती वस्त्र निगम जैसी विशेष संस्थायें पहले ही स्थापित कर दी गई हैं। वे औद्योगिक उपक्रम भी जिनमें सरकार के 51 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर हैं निगम से सहायता लेने के हकदार नहीं हैं।

(घ) इस समय निगम ऐसे औद्योगिक एककों के पुनर्वास का प्रयत्न करता है जिनके आर्थिक रूप से समक्ष होने की सम्भावना हो किन्तु जो या तो बन्द होने वाले हों या जिनके बन्द होने की आशंका हो। यह पुनर्वास पूंजी ढांचे का पुनर्निर्माण करके, प्रबन्ध को सुदृढ़ करके, उत्पादन में विविधता लाकर और ऐसे धन के प्रयोजनार्थ सहायता की व्यवस्था करके किया जाता है जो सामान्यतया बैंकिंग और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से न मिल सकता हो।

कैंसर से पीडित भूतपूर्व सैनिकों के लिए डाक्टरी चिकित्सा की व्यवस्था

4275. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपूर्व सैनिकों को, जो अपनी सेवा के दौरान कैंसर रोग से पीड़ित हो गये थे, सैनिक अस्पतालों में डाक्टरी चिकित्सा के लिए अन्य अपाहिज भूतपूर्व सैनिकों के समान समझा जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भूतपूर्व सैनिक उन सभी कर्मचारियों के लिये सैनिक अस्पतालों में डाक्टरी इलाज कराने के पात्र हैं जिनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वे कैंसर का इलाज कराने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए सैनिक अस्पतालों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। विकलांग भूतपूर्व सैनिक अपनी विकलांगता का पूरा इलाज कराने के पात्र हैं यदि उक्त विक्लांगता उनकी सेवा से सम्बन्धित हो।

(ख) इन सुविधाओं के दायरे को विस्तृत किये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

कैंसर से पीडित भूतपूर्व सैनिकों के अशक्तता पेंशन

4276. **श्री बाई. एस. महाजन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी जो सेवाकाल के दौरान कैंसर से पीडित थे, अन्य अशक्त भूतपूर्व सैनिकों के समान अशक्तता पेंशन पाने के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि नहीं तो क्या इस बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

रक्षामन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . अशक्त पेंशन प्रदान किये जाने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि अशक्ता जो कि 20 प्रतिशत या उससे अधिक आंकी गई हो, सैनिक सेवा के कारण हुई हो या उसमें सैनिक सेवा द्वारा वृद्धि हुई हो । अन्य अयोग्य बनाने वाले रोगों की भांति यह शर्त कैंसर पर भी लागू होती है । तथापि ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है कि कैंसर किसी भी भांति केवल सशस्त्र सेनाओं में सेवा से सम्बन्धित हैं । अतः भूतपूर्व रक्षा कार्मिक जो सेवा के दौरान कैंसर रोग से पीड़ित हुए हैं उन्हें अशक्त पेंशन प्रदान नहीं की जाती है । उन्हें अशक्ता पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

भारत को हथियारों के निर्यात पर स्वीडन द्वारा प्रतिबन्ध हटाना

4277. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन की सरकार ने भारत को हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऐसा समझा जाता है कि स्वीडन की सरकार ने प्रतिबन्ध हटा दिया है । लेकिन सरकारी पुष्टि होनी बाकी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत करने सम्बन्धी समिति

4278. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत कम करने के लिए अर्थोपाय सुझाने के लिए गत वर्ष गठित की गई समिति की अधिकांश सिफारिशें मान लीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और कौन-कौन सी अभी तक विचाराधीन हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-1886/72.**]

आयकर निर्धारण

4279. **श्री सतपाल कपूर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अनुमानों के आधार पर किया जाता है अथवा करदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखा पुस्तक जिनमें कैश बुक और लैजर शामिल है, के आधार पर निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या आयकर अधिकारी के लिये अपने निर्धारण आदेश में यह तथ्य बताना आवश्यक है कि यह निर्धारण अनुमानों के आधार पर किया गया है अथवा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर ;

(ग) क्या कुछ आयकर अधिकारी अपने निर्धारण आदेश में इस तथ्य का उल्लेख करते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते हैं और यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ स्थायी आदेश जारी करने का विचार है ;

(घ) क्या आदेश पत्र (आर्डर शीट) निर्धारण आदेश का एक अंग होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभों तथा अधिलाभों का हिसाब, साधारणतया उसके द्वारा रखे गये खातों के आधार पर लगाया जाता है । तथापि, आयकर अधिनियम 1961 में कुछ ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनमें आयकर अधिकारी, किसी व्यक्ति द्वारा किये गये व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभों तथा अधिलाभों का सर्वोत्तम निर्णय-कर-निर्धारण कर सकता है । इस संबंध में अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिस्थितियां नीचे दी गई हैं :—

(i) जहां आयकर अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नोटिस के अन्तर्गत अपेक्षित आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में निर्धारिती असमर्थ रहा हो ; अथवा

(ii) जहां आयकर अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की उन सभी शर्तों का अनुपालन करने में निर्धारित असमर्थ रहा हो, जिनमें ऐसे खातों अथवा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करवाने की आयकर अधिकारी अपेक्षा करता हो, अथवा ऐसे प्रपत्र में और ऐसे मुद्दों अथवा माममों पर लिखित रूप में सूचना प्रस्तुत करने में निर्धारिती असमर्थ रहा हो जिनकी आयकर अधिकारी द्वारा मांग की गई हो ; अथवा

(iii) जहां आयकर अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की उन सभी शर्तों का अनुपालन करने में निर्धारिती असमर्थ रहा हो, जिनमें उसे आयकर अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने अथवा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत करवाने के लिए कहा गया हो जिसपर वह उसकी विवरणी के समर्थ में विश्वास कर सके ; अथवा

(iv) जहां आयकर अधिकारी, निर्धारिती के बातों की सत्यता अथवा पूर्णता के बारे में संतुष्ट न हो अथवा जहां निर्धारिती द्वारा खाता रखने की किसी प्रणाली को नियमित रूप से नहीं अपनाया गया हो। तथापि, जहां खाते सही और पूर्ण हों और आयकर अधिकारी के समाधानप्रद रूप में हों किन्तु निर्धारिती द्वारा अपनायी गई खाता रखने की प्रणाली ऐसी हो कि आयकर अधिकारी के मत में उन खातों से आय को उचित रूप से नहीं दिखलाया जा सकता तो ऐसी स्थिति में संगणना उस आधार पर और उस तरीके से की जा सकती है जिसे आयकर अधिकारी निर्धारित करे।

(ख) इस स्थिति को देखते हुए कि किसी व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभों तथा अधिलाभों की संगणना, साधारणतया, निर्धारिती द्वारा रखे गये खातों के आधार पर की जानी होती है और केवल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ही इस प्रणाली को छोड़ा जा सकता है, और आयकर अधिकारी को वे परिस्थितियां विद्यमान होने के बारे में निर्णय देना होगा जिनमें निर्धारिती द्वारा रखे गये खातों के आधार पर उसके द्वारा संगणना नहीं की जा रही हो।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है और सुस्थापित है और इसलिए इस संबंध में कोई अनुदेश जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यदि कोई आयकर अधिकारी कानून की सुस्पष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संबंधित आयकर अधिकारी की ओर से चूक माना जायगा।

(ग) जी, नहीं, तथापि, ऐसी कोई बात नहीं है, कि आयकर अधिकारी कर-निर्धारण आदेश शीट पर ही कर-निर्धारण के आदेश नहीं दे सकता हो।

Loans Granted to Farmers for Installation of Tube-wells under Minor Irrigation Scheme in Shri Ganganagar District (Rajasthan)

4280. SHRI PANNA LAL BARUPAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of farmers granted loans for installation of tube-wells under minor irrigation scheme in Sriganganagar District after nationalisation of banks;

(b) the number of farmers granted loans for purchasing agricultural implements and tractors and the number of such cases pending consideration and the time by which these cases are likely to be disposed of; and

(c) the number of farmers who have not been granted loans so far although they had applied for loans long ago and the reasons for delay in their cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K.R. GANESH) : (a) to (c) : The information, to the extent possible, is being collected and will be laid on the Table of the House.

रक्षा मन्त्रालय द्वारा दिल्ली में गैर-सरकारी मकान किराये पर लेना

4281. **श्री माधुये हालदार** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी और फरवरी 1972 में अलग-अलग कितने गैर-सरकारी मकान किराये पर लिये गये ;

(ख) क्या किराये पर लिये मकानों के संबंध में इस बीच सब औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और मकानों के मालिकों को किराये का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क)

जनवरी-72	33
फरवरी-72	31

(ख) किराये पर लिए गए मकानों में से कुछ की औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं अतः कुछ मामलों में किराये की अदायगी नहीं हुई है।

(ग) अदायगी में विलम्ब का मुख्य कारण दावों का विलम्ब से प्राप्त होना है।

चीन के परमाणु विस्फोटक का भारतीय वायुमण्डल पर प्रभाव

4282. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :
श्री समर गुह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा हाल ही में किये गये परमाणु विस्फोटक का भारतीय वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में चीन की सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार चीन की तरह संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चीन द्वारा हाल में किये गए परमाणु विस्फोटक का भारतीय वायुमंडल पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं।

बंगला देश को विश्व बैंक की सहायता देना

4283. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने भारत सरकार को परामर्श दिया है कि बंगला देश की सहायता के लिये बड़े-बड़े सहायता कार्यक्रम आरम्भ न करें;

(ख) क्या सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि विश्व बैंक की सहायता बंगला देश न भेजी जाये;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा बंगला देश के लिये तैयार किये गये सहायता कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

(घ) बंगला देश को 1972-73 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक सहायता देने के लिए कुल मिला कर 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से लगभग 157 करोड़ रुपये का निर्धारण पहले ही किया जा चुका हैं। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

बंगला देश को सहायता

अन्न सहायता : जनवरी 1972 में यह मान लिया गया था कि अनुदान के रूप में, 400,000 टन गेहूं और 100,000 टन चावल मुहैया किया जायगा और इसकी सुपुर्दगी जून के अन्त तक पूरी की जायगी। मार्च 1972 में, 250,000 टन गेहूं के लिए अतिरिक्त वचन दिया गया था। बंगला देश को मुहैया किये जाने वाले अनाज के कुल मूल्य का अनुमान 80 करोड़ रुपये है।

विविध सामान और सेवाओं की पूर्ति

कई प्रकार की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के लिए बंगला देश सरकार को 43.58 करोड़ रुपये के दो अनुदान दिये गये हैं। अब तक ये वस्तुएं मुहैया की गयी है—कच्चा पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, कपास, सूती धागा, चीनी, नमक, खाद्य तेल और तेलहन, औद्योगिक कच्चा माल जैसे सोड़ा ऐश, सीमेंट, नरम इस्पात की जड़ें, चमकदार इस्पात के तार और नरम इस्पात की तार छड़ें, तम्बाकू के लिए कच्चा माल, औषध और भैषज, कपड़े धोने का साबुन,

दियासलाई, जस्ता चढ़ी तारें और लकड़ी पेच उद्यकी, तैयार भैषज और औषधियां, शल्य सम्बन्धी उपकरण, कोयला, और जूट धान के बीज। बंगला देश के अधिकारियों से अतिरिक्त मांग की सम्भावना है। जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है बंगला देश के करेंसी नोट, स्टाम्प, चैक फार्म आदि भारत में छापे जा रहें। सामान की कई किस्तों की सुपुर्दगी पहले ही की जा चुकी है।

परिवहन और संचार प्रणाली की पुनःस्थापना

10 करोड़ रुपये का एक ब्याज-मुक्त ऋण दिया गया है जो 7 वर्ष की प्रारम्भिक छूट की अवधि सहित 25 वर्षों में वापस चुकाया जाना है। इसमें कई क्षेत्रों में पटरियों को फिर से बिछाना बहुत से पुलों की मरम्मत और विभिन्म प्रकार की रेल-सामग्री की पूर्ति, 30 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य के कुछ दूर संचार उपकरणों की पूर्ति शामिल है।

200 सीरी के दो फोकर फेंडशिप हवाई जहाज मार्च 1972 के प्रारम्भ में बंगला देश को सौंप दिये गये हैं। भारतीय जहाजरानी निगम ने दो जहाज मुहैया करना मान लिया है। इन वस्तुओं का मूल्य, जिसका अनुमान लगभग 6 करोड़ रुपये लगाया गया है, 20 वर्षों में चुकाया जाएगा जिसमें 5 वर्ष की प्रारम्भिक छूट की अवधि शामिल है और इस पर 2½ प्रतिशत ब्याज लिया जायगा जो बकाया रकमों पर लगेगा।

विदेशी मुद्रा ऋण : विदेशी मुद्रा की अर्थोपाय सम्बन्धी स्थिति में सहायता देने के लिए 50 लाख स्टर्लिंग पौण्ड का विदेशी मुद्रा ऋण दिया गया था जिस पर 2½ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और इसे 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में वापस चुकाया जाना होगा। 8.1 करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा का एक और ऋण ब्याज की वाणिज्यिक दरों पर उपलब्ध किया गया है। इस ऋण का इस्तेमाल कच्चे तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जायगा। कच्चा तेल आयात करके बंगला देश को सप्लाइ किया जायगा।

आयात किये गये कपास और सोयाबीन तेल का का मूल्य तथा मात्रा

4285. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 से 1971-72 तक प्रतिवर्ष आयात किये गये कपास और सोयाबीन तेल की कीमत और मात्रा कितनी है;

(ख) क्या अमरीकी सहायता बन्द होने का पहला प्रभाव यह हुआ है कि इन दोनों वस्तुओं की सप्लाई में कठिनाई हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में आत्मनिर्मरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश): (क) आयात के कुल आंकड़े निम्नलिखित है:—

कपास	मात्रा	लागत-बीमा-भाडर सहित मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1969-70	9,03,000 (प्रत्येक में (180 किलोग्राम)	112.45
1970-71	8,52,00 ,,	109.85
1971-72	6,41,000 ,,	93.88

	मात्रा	लागत-बीमा-भाडार सहित मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोयाबीन का तेल		
1969-70	82,500 मैट्रिक टन	14.60
1970-71	99,6600 ,, ,,	22.68
1971-72	1,34,200 ,, ,,	30.75

(ख). जी, नहीं।

(ग) कृषि मंत्री ने लोक-सभा में 10 अप्रैल 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2331 के उत्तर में, देश में कपास और तेलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रमों का व्योरा दिया था।

बिनौलों, चावल की भूसी और हल्की किस्म के तेल की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनस्पति तेलों के मामले में कर-सम्बन्धी प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गयी है।

नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

4286. **श्री अचल सिंह:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को उनके अधिकतम वेतनमान के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता मिलता है और अन्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतनमान के 25 प्रतिशत की दर से मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लाभ पाने वाले अधिकंशत: वे हैं जिनका हाल ही में सिन्दरी, कलकलता से नई दिल्ली स्थानान्तरण हुआ है ;

(ग) अधिकतम वेतनमान के 30 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और मूल वेतन का 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता पाने वाले कर्मचारियों की कितनी संख्या है ; और

(घ) इस असमानता के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्रमशः 83 और 222

(घ) सितम्बर, 1971 में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशकों के अनुसार दिल्ली में, स्थित सरकारी उद्यमों के सभी कर्मचारियों के लिए मकान किराये की अधिकतम सीमा भत्ते को संबन्धित कर्मचारी के मूल वेतन के 25% से बढ़ाकर 30% कर देने की अनुमति दी गई थी। तदनुसार 1.10.1971 से दिल्ली में निगम के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता 25 % से बढ़ाकर 30% कर दिया गया। तत्पश्चात् बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में दिसम्बर, 1971 को सरकार ने निश्चय किया कि बढ़े हुए मकान किराये का भुगतान न किया जाय। लेकिन जहां कर्मचारियों ने अपने भूमि मलिकों के साथ बढ़े हुए मकान किराये भत्ते के भुगतान के बारे में वचन दे दिया था, वहां निगम बढ़े हुए 30% तक मकान किराये भत्ते के तत्काल वृद्धि को वापस न ले सका। जब कभी भी उनके मकान खाली करने पर, जो अभी उनके पास हैं मकान किराया भत्ता 25% के मूल दर पर ही दिया जायेगा।

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक द्वारा दिए गए ठेकों के बारे में जांच आयोग

4287. **श्री अचल सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक द्वारा दिए गए कुछ ठेकों की जांच करने के लिए जांच आयोग के निदेश-पद और कार्य-क्षेत्र क्या हैं;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक और योजना और विकास डिवीजन के उन जनरल मैनेजरों के नाम क्या हैं जो ऐसे ठेके देने के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) भारतीय उर्वरक निगम से उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) जांच कार्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच.आर. गोखले) : (क) सरकारी संकल्प सं० पर्यट्स 1.55 (17)/69 दिनांक 5 अगस्त, 1969 में नियुक्त जांच आयोग की बिचारार्थ शर्तें निम्नलिखित है :

(1) यह निश्चय करना कि अमोनिया, यूरिया और नाइट्रिक एसिड प्लांट्स की सप्लाई के लिए, जहां तक मैसर्स केमिकल्स् कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के साथ हुए समझौते का संबंध है, भारतीय उर्वरक निगम के तब के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने निगम के पूर्ण हित में कार्य किया; क्या मैसर्स केमिकल्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के विरुद्ध 57.50 लाख रुपये के दामो को छोड़ देना उचित था और क्या फर्म के साथ किए गए करार की शर्तें निगम के पूर्ण हित में थीं, और इस मामले में हुई भूलों की जिम्मेदारी, यदि कोई हो तो, निश्चय करना।

(2) यू० एस० ए० के मैसर्स केमिकल एंड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को नाइट्रोफास्फेट प्लांट के लिए ठेका देने के कारणों की खोज करना ।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) के फलस्वरूप, जो कार्यवाही की जानी चाहिए उसकी सिफारिश करना ।

(ख) और (ग). जब उपर्युक्त ठेके दिए गए थे, तब ट्राम्बे यूनिट या भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन और विकास प्रभाग में कोई भी मुख्य प्रबन्धक न था । यह एकक (यूनिट्स) तब सीधे निगम के प्रबन्ध निदेशक जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, के चार्ज में थे ।

(घ) आयोग पर किसी द्वारा प्रभाव डालने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता ।

भारतीय उर्वरक निगम के विपणन विभाग में अनियमितताएं

4286. **श्री जगदीश नारायण मंडल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय निगम के विपणन विभाग के गोदामों में; स्टाक में दर्ज से उर्वरकों को गुम पाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) फरवरी, 1970 को विशेष-पुलिस प्रतिष्ठान, बम्बई को, बम्बई में स्थित भारतीय उर्वरक निगम के गोदामों में लगभग 30 लाख रुपये मूल्य के उर्वरकों के कमी की सूचना प्राप्त हुई थी ।

(ख) अभि-कथित कमी का बिषय, निगम के सतर्कता अधिकारी के पास जांच के लिए भेजा गया था । निगम के एक तकनीकी समिति, जिसने कमियों के सम्बन्ध में जांच की, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उर्वरकों की कमी संभावित रिपोर्ट और प्रबन्ध में सर्वेक्षण त्रुटियों के कारण हुई ।

राज्य स्तर पर उद्योगों का विकास करने के लिये समिति

4289. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों के लिए विभिन्न वित्तीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों राज्य स्तर पर एक समिति बनाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के मुख्य कार्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्यीय स्तरों पर अन्तर-संस्थात्मक दलों की स्थापना को बढ़ावा दिया है, ताकि वे अपने अपने राज्यों में औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के कार्य में विभिन्न संस्थाओं के सामने

आने वाली सामान्य समस्याओ, और ठोस परियोजनाओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सकें और यह फैसला भी कर सके कि क्या ऐसी परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता स्वीकार की जा सकती है। इस दल में, राज्य के 'लीड' बैंकों, राज्यीय वित्त निगम, राज्यीय औद्योगिक विकास निगम तथा तीन अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। आवश्यकता के समय राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी दल के विचार-विमर्श में सम्मिलित होने के लिये बुलाया जाता है। यह दल इस प्रकार की समस्याओं पर भी विचार करता है, अर्थात् (1) संभावी उद्यमकर्ताओं के प्रशिक्षण की योजनाओं को तैयार करना; (2) विभिन्न परामर्शदात्री तथा विस्तार सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिये विकासकेन्द्रों की स्थापना के लिये करना; (3) औद्योगिक संभावनाओं के निर्धारण के लिये राज्य के चुने क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य करना; (4) परियोजना की रूपरेखाओं तथा व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करना बिक्री सम्बन्धी अनुसंधान तथा विशिष्ट उत्पादों से संबंधित सर्वेक्षण करना; और (5) भाग लेने वाली संस्थाओं के लिये सामान्य रूप से औद्योगिक प्रबन्ध तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना।

अब तक इस प्रकार के दल पांच राज्यों, अर्थात् केरल, आन्ध्र प्रदेश जम्मू और कश्मीर, असम तथा बिहार में स्थापित किये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव पर, 16 राज्यों संघीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग धन्धों के लिए राज्यीयस्ता की समन्वय समितियों का गठन किया है। सम्बद्ध राज्य सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री/सचिव, इस समिति के अध्यक्ष है। इन समितियों में रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्त निगम, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य लघु उद्योग निगम, उद्योग निदेशक तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों का प्रतिनिधित्व होता है। समिति के मुख्य कार्य ये हैं :

(1) लघु उद्योगों के शीघ्र विकास की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने की समस्याओं पर विचार करना;

(2) ऋण, कच्चे माल तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धि की समीक्षा करना;

(3) एककों को संस्थात्मक ऋण क्षेत्र में लाने के लिये उपाय निकालना;

(4) उन सब उपायों पर सामान्य रूप से विचार करना, जो लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये किये जाने चाहिए।

रेजर ब्लेड उद्योग को लाइसेंस जारी करना

4290. **श्री बक्शी नायक**: क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1972 के "टाइम्स आफ इण्डिया" के "रेजर ब्लेड फर्म को लाइसेंस देने के बारे में एकाधिकार पैनल में मतभेद" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्री मान् । मैसर्स विद्यन्त मैटालिक्स का, अपनी रेजर ब्लेड क्षमता के विस्तार का आबेदन-पत्र एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथ आयोग को, जांच पड़ताल के लिए निर्देशित किया गया था, एवं आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करा है । दी

(ख) यह विषय अभी सरकार के बिचाराधीन है ।

वित्तीय संस्थाओं की सहायता से औद्योगिक एककों को पुनः खोलना

4291. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथया विशिष्ट वित्तीय संब्थानों से उपलब्ध ऋण अथवा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता से वर्ष 1971-72 में सूती कपड़ा मिलों के अतिरिक्त राज्यवार कुल कितने औद्योगिक एकक पुनः खोले गये हैं;

(ख) इन संस्थानों द्वारा राज्यवार कितना ऋण अथवा सहायता दी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार अथवा सम्बद्ध वित्तीय संस्थानों ने इन उद्योगों के प्रबन्ध पर किसी प्रकार का नियंत्रण प्राप्त किया है और यदि हां, तो यह नियंत्रण किस प्रकार है ?

वित्त मंत्रालय राज्य में मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) से (ग) . अपेक्षित सूचना संलग्न ब्विवरण में दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 1887/72]

Sanction of Foreign Exchange to Pilgrims visiting IraQ, Iran and Saudi Arabia

4292. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned to each individual who went on pligrimage to Iraq, Iran. Saudi Arabia, Pakistan and other Arab countries during the financial year 1971-72 and also the total amount of foreign exchange sanctioned; and

(b) the amount of foreign exchange likely to be provided under this head for spending during the financial year 1972-73 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OP FINANCE (SHRI K.R. GANESN): (a) & (b). The intention of the Hon'ble Member appears to be elicit inrormation regarding release of foreign exchange for the purpose of Haj and Ziarat. The position is that an annual quota of 15,000 pilgrims is fixed for Haj and 1,500 for Ziarat. Foreign exchange is released to the extent of Rs. 1575/- per pilgrim. For Haj, children below the age of 5 years are not released any foreign exchange and children between the ages of 5 and 14 are not permitted to proceed. Children between the ages of 14 and 16 are given exchange at the rate of Rs. 790/- each and two such children are counted as one adult for the purpose of completing the quota of 15,000 pilgrims. For Ziarat, children between the ages of 3 and

16 are granted foreign exchange to the extent of Rs. 790/- each and for the purpose of counting, two children are counted as being equal to one adult. Due to recent fluctuations in the exchange rate, marginal enhancement was made in the scale for the Haj to ensure that each pilgrim gets exchange equivalent to Saudi Rial 920/- as in the past although the pilgrims had to pay some more amount in rupees.

2. The total amount released during 1971-72 is as under :

Haj pilgrims	—	Rs. 2,19,92,305
Ziarat pilgrims	—	Rs. 20,00,565

3. The general policy relating to quota of pilgrims and scale of release for each pilgrim detailed above will hold good during the year 1972-73 also.

भारत को अमरीकी सहायता के बारे में अमरीका के राजदूत का वक्तव्य

4293. **श्री एच. एम. पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च 1972 के "**दि अमरीकन रिपोर्टर**" में "प्लेन टाक एबाउट यू. एस. एड. शीर्षक में प्रकाशित लेख में अमरीका के राजदूत श्री के. बी. कीटिंग की इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि "यदि वस्तुतः यह ऐसा मामला होता तो मुझे आश्चर्य है कि इसको सर्वप्रथम क्यों स्वीकार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) : जी, हां।

(ख) विदेशी सहायता के सम्बन्ध में भारत सरकार का दृष्टिकोण कई अवसरों पर संसद में और उसके बाहर स्पष्ट किया जा चुका है।

Arrest of Income Tox Officer Bhavnagar for accepting bribe

4294. SHRI HUKAM KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether an Income-tax Officer in Bhavnagar was caught red-handed while accepting a bribe of about Rs. 15.000/- during March, 1972; and

(b) if so, the action taken against him ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) Yes; the amount was Rs. 12.500/- and prima facie appears to be the amount of illegal gratification accepted by the Income-tax Qfficer.

(b) The offieer has been placed under suspension. The special Police Establishment have registered a case against the accused officer under section 161 IPC, and section 5(2) read with section 5(1) (d) of the Prevention of Corruption Act, 1947.

पश्चिम बंगाल के आयकर कर्मचारी संघ से ज्ञापन

4295. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल आय कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिक विभाग के साथ परामर्श करते हुए संघ की मांगों की जांच की जा रही है। जैसे ही निर्णयों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा वैसे ही मांगों के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में संघ को अवगत करा दिया जाएगा।

जम्मू और काश्मीर के लिए पृथक सैनिक कमान बनाने का प्रस्ताव

4296. **श्री पी. के. देब** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1972 के समाचार पत्र **'दि मदरलैंड"** में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि जम्मू और काश्मीर के लिए एक पृथक सैनिक कमान बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . सरकार ने समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। पिछले वर्ष के भारत-पाक संघर्ष तथा पाकिस्तान द्वारा अन्य देशों से युद्ध उपस्कर तथा भण्डार प्राप्त करने के समाचारों के प्रकाश में हमारे सुरक्षा फैलाव तथा क्षमता का पुनः जायजा लिया जा रहा है। ध्यान में आने वाली कमियों को पूरा करने के लिए आवश्यक पग उठाए जाएंगे।

भारतीय सुरक्षा उपकरणों के प्रति अफ्रीकी देशों द्वारा रुचि दिखाया जाना

4298. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अफ्रीकी देशों में भारत से सुरक्षा उपकरण खरीदने के बारे में रुचित प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो ये देश भारत से क्या उपकरण खरीदना चाहते हैं;

(ग) क्या इन उपकरणों को बेचने के बारे में अब कोई बातचीत हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ). रक्षा उपस्करों की खरीद के सम्बन्ध में कुछ अफ्रीकन देश के साथ रक्षा उपस्करों की बिक्री के लिये कोई बातचीत इस समय नहीं चल रही है। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

सरकारी ऋण "कन्वर्जन" सम्बन्धी नीति के बारे में भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ द्वारा व्यक्त किया मत

4299. **डा. रानेन सेन**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ ने अपने गत सम्मेलन में सरकारी ऋण के 'इबिकटी' में सामान्य 'कन्वर्जन' के बारे में भय व्यक्त किया है ;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश): (क) जी हां।

(ख) संघ ने सितम्बर, 1971 में इस विषय पर अपने सामान्य विचार एक टिप्पणी के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भेज दिए थे।

(ग) सरकार ने उनके ऋणों को सामान्य पूंजी में परिवर्तित करने का निर्णय राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और राष्ट्रीय नीति के अन्य उद्देश्यों के हित में किया है।

Excise Duty outstanding against News-papers

4300. SHRI SUDHAKAR PANDEY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of news-papers which have deposited full amount of Excise Duty and the names of those which have not yet deposited the amount so far;

(b) the amount of Excise Duty outstanding against them and since when and the action taken to realise it;

(c) the reasons for not realising Excise Duty from news-papers in advance; and

(d) whether Government release advertisements to the news-papers which have not deposited Excise-Duty and if so, whether there is any proposal to award prizes to news-papers which deposit Excise-Duty in time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANE (SHRI K. R. GANESH) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

दिल्ली वित्त निगम के कर्मचारियों द्वारा अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए हड़ताल

4303. **श्री राम सहाय पांडे**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वित्त निगम के कर्मचारी अपने वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में गत कुछ समय से बार-बार 'नियम के अनुसार काम करो' हड़ताल कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों का निपटारा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मांगों का निपटारा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) दिल्ली वित्त निगम ने रिपोर्ट दी है कि उसके कर्मचारियों ने निगम को सूचना दी थी कि वे 16 मार्च, 1972 से नियम-बद्ध कार्य करने की हड़ताल करने का इरादा रखते हैं, परन्तु प्रबन्धकों के हस्तक्षेप के कारण, उन्होंने ऐसा नहीं किया। निगम के निर्देशक बोर्ड ने निगम के वेतनमानों के प्रश्न की जांच करने तथा उस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिए 29 मार्च 1972 को हुई अपनी बैठक में, एक उपसमिति का गठन किया है, जिसमें प्रबन्धक निदेशक तथा निगम के दो और निदेशक हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मीठापुर स्थित टाटा केमिकल्स की विस्तार योजनाओं के बारे में एकाधिकार आयोग की सिफारिश

4304. **श्री के. सी. चन्द्रप्पन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मीठापुर स्थित टाटा केमिकल्स एण्ड सोडा एश संयंत्र की विस्तार योजनाएं अनुमोदित कर दी है; और

(ख) एकाधिकार आयोग ने इस मामले में क्या सिफारिश की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) मीठापुर में स्थित उनके राख संयंत्र के उत्पादन में प्रतिवर्ष 2,16,000 मीटरी टन से प्रतिवर्ष 3,60,000 मीटरी टन तक विस्तार करने के मैसर्स टाटा केमिकल्स लि. के प्रस्ताव का सरकार ने 7-12-1970 को अनुमोदन कर दिया था। प्रतिवर्ष 5,00,000 मीटरी टन तक और तिस्तार करने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में से कोई भी प्रस्ताव एम. आर. टी. पी. कमिशन को नहीं भेजा गया था।

एकाधिकार आयोग का विस्तार

4305. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार आयोग का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका कब तक विस्तार किया जायेगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सरकार, आयोग की संख्या जो अब तीन है व जो सांविधिक न्यूनतम संख्या है, बढ़ाने के प्रश्न की परीक्षा कर रही है।

सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं चालू करना

4306. **श्री अर्जुन सेठी** . क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनियोजन की अधिक दर को बनाये रखने के लिये सरकारी क्षेत्र की जटिल परियोजनाओं को शीघ्रता और कुशलता पूर्वक तैयार करने, बनाने और चालू करने के लिए उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं; और

(ख) इन उपायों के क्या परिणाम निकले है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) निवेश सम्बन्धी निर्णयों को और ज्यादा कुशलता और तेजी के साथ क्रियान्वित करने के लिए, सरकार ने मिम्नलिलित उपाय किये हैं :

(1) एक निर्देश पुस्तिका जारी की गयी है जिसमें परियोजना निर्माण सम्बन्धी मार्ग निर्देश दिये गये हैं ताकि मंजूरी के लिए अधूरे प्रस्ताव पेश न किये जायं।

(2) मुख्य प्रशासनिक मंत्रालयों में तकनीकी कक्ष स्थापित किये गये हैं ताकि परियोजना निर्माण, जांच और अनुवर्ती कार्य के लिए उन्हें विशेषज्ञों की सहायता प्रदान की जा सके।

(3) निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों के नियंत्रण, समय निर्धारण और उचित आयोजन के लिए आधुनिक नेट वर्क तकनीकों को लागू करने के लिए सरकारी उत्तम कार्यालय द्वारा मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं।

(4) सरकारी उद्यम कार्यालय ने रिहायशी क्वार्टरों तथा बस्ती सम्बन्धी सुख-सुविधाओं के आदर्श डिजाइन भी जारी किये हैं। नयी भवन निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में तथा स्थान के परिवर्तन से बचने के लिए विस्तृत भूमि अनुसंधान के सम्बन्ध में और सेवा के व्यय में बचत करने के लिए भूमि सम्बन्धी आवश्यकताओं के आयोजन के बारे में जो हिदायतें जारी की गयी हैं, वे परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने तथा खर्चे में किफायत करने के कुछ और महत्कपूर्ण उपाय हैं।

(5) विशिष्ट परामर्शदातु अभिकरण, जैसे हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन कार्यालय, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड का अनुसंधान और विकास संघटन, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, तथा एफ. ए. सी. टी. इंजीनियरी तथा डिजाइन संगठन, परियोजनाओं के निर्माण के लिए डिजाइन बनाने तथा उनको चालू करने के कार्यों की निगरानी करने के काम की ओर ज्यादा कुशलता तथा शीघ्रता से पूरा करने के लिए स्थापित किये गये हैं।

(6) दो संघ, जिनमें एक इंजीनियरिंग परियोजनाओं के निर्माण के लिए तथा दूसरा बिजली सम्बन्धी परियोजनाओं के निर्माण के लिए है, इन परियोजनाओं की टर्न की आधार पर क्रियान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार से, सरकारी क्षेत्र के निर्माण सम्बन्धी संगठन, जैसे हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स लिमिटेड, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड की स्थापना भी सरकारी क्षेत्र में की गयी है ताकि गैर-सरकारी ठेकेदारों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति कम हो जाय।

(ख) मंजूरी के लिए आने वाले प्रस्तावों के स्तर में तथा उनको शीघ्रता से करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के स्तर में कुछ सुधार स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु, इन उपायों के परिणामों को ठीक-ठीक आंकना कठिन है, क्योंकि परियोजनाओं की क्रियान्विति पर विभिन्न प्रकार की अन्य बातों, जैसे सामान्य आर्थिक और औद्योगिक परिस्थिति, सामग्री की उपलब्धि आदि का भी प्रभाव पड़ता है, जिनमें से कुछ बातें परियोजना प्राधिकारियों के बस में नहीं होती।

कोयला उद्योग को धन देने के लिए बैंक से ऋण

4307. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कोयला उद्योग की वित्तीय कठिनाइयों का अध्ययन करने और कोयला उद्योग को धन देने के लिए बैंक से ऋण देने की व्यवस्था के साथ-साथ वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करने के लिये कार्यकारी दलों की नियुक्ति की है।

(ख) क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर. गणेश) . (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोयला उद्योग की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के सचिव और कोषाध्यक्ष, श्री पी. सी. डी. नम्बियार की अध्यक्षता में फरवरी 1972 में एक कार्यकारी दल गठित किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारतीय उर्वरक निगम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव

4308. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसमें अनुसूचित जाति के कुल कितने अधिकारी हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि प्रबन्धक निदेशक और निदेशक उत्पादन और विपणन के आदेशों के अंतर्गत भारतीय उर्वरक निगम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरतने की रिपोर्ट है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम ओर रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले): (क)

	प्रथम श्रेणी अधिकारी	1914	
	दिवतीय श्रेणी अधिकारी	1596	
	तृतीय श्रेणी अधिकारी	13861	
	चतुर्थ श्रेणी अधिकारी	5450	
(ख)	प्रथम श्रेणी अधिकारी	19	1.1.72 को
	दिवतीय श्रेणी अधिकारी	19	
	तृतीय श्रेणी अधिकारी	450	
	चतुर्थ श्रेणी अधिकारी	1187	

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के तत्कालीन महाप्रबन्धक (अब निदेशक-उत्पादन और विपणन) द्वारा 1969 में विदेशों के दौरे

4309. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे के तत्तकालीन महाप्रबन्धक (अब निदेशक-उत्पादक औ विपणन) ने 1969 में विदेशों के कुल कितने दौरे किये थे ;

(ख) इन दौरों पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) विदेशों के किए गए दौरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1969	शून्य
1970	2
1971	4
1972	शून्य

(ख) 36038.85 रुपये

(ग) निगम के कार्य के हितों को दृष्टि में रखते हुए दौरे किए गए थे।

पहाड़ी राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी

4310. **श्री नरायण चन्द पाराशर :** क्या **पेट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस कमी को दूर करने तथा उसकी सप्लाई को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Economy in Expenditure

4311. SHRI M.C. DAGA : Will the Minster of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government adopted any measures to effect economy in their expenditure in 1970-71;

(b) if so. the heads under which economy was affected and the amount saved under each head:

(c) whether Government achieved sumcess in their efforts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K.R. GANESH): (a) Yes, Sir.

A number of measures had been taken during the last few years prior to 1970-71 for achieving economy in administrative expenditure like ban on revision of pay scales, partial ban on recruitment to certain categories of posts, restrictions on purchase of imported cars, curtailment of travelling allowances, intensification of staff inspection studies etc., and these were continued during 1970-71. Besides these measures further economy measures were adopted for achieving a further reduction in expenditure during the year 1970-71 in the context of grant of interim relief to Central Government employees which placed a heavy burden on the Government's resources. These measures included a ban on creation of posts on non-Plan side, a reduction in the budget provisions made for contingencies, travelling allowances and enterainment, non-filling of vacant posts, ban on purchase of furniture and decorations, and stricter control on deputations abroad.

(b) & (c). As a result of the above economy measures Government have been able to contain the growth of administrative expenditure except for the normal increase due to expansion of police organisations and inerease in other Governmental activities. The precise information about the economy effected is not available.

फाजिलका-गगा नगर क्षेत्र में हाईस्पीड डीजल की सैनिक कर्मचारीयों द्वारा कथित चोरी

4312. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाजिल्का-गंगानगर क्षेत्र में कोठापुरा, मुक्तसर और मलाऊट के आसपास के गांवों में नियुक्त सैनिक कर्मचारी अनधिकृत तरीके से हाई स्पीड डीजल की चोरी कर रहे हैं और उसे किसानों को बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा केवल कृषि के लिये बैंक शाखाएं खोलना

4313. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा केवल कृषि प्रयोजन के लिये कितनी बैंक शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : चित्तूर जिले में एक कृषि विकास शाखा खोलने का प्रस्ताव भारतीय स्टेट बैंक के विचाराधीन है ।

समुद्र पार तेल निकालने के उपक्रमों में भारत का भाग

4314. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र पार तेल निकालने के उपक्रमों में गत वर्ष के दौरान भारत ने कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल निकाला है ; और

(ब) इस तेल का उपयोग किस प्रकार किया गया था ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): क विदेश में, केवल एक ही व्यधन कार्य जिसमें भारत सरकार का भी कुछ भाग है, वह है हाइड्रोकार्बन्स् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (जो कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की अनुषंगी कम्पनी है) जो "इमिनांको" में 1/6 की भागीदार हैं, के माध्यम से ईरान के सुदूर तटवर्ती क्षेत्रों के एक भाग में कच्चे तेल के आरक्षण की खोज और उपयोग करने के लिए "इमिनांको" का निर्माण किया गया था । इस रियासत से 1971-72 में लगभग 8.3 मिलियन बैरल कच्चा तेल एच. आई. पी. एल. को मिला । इसमें से लगभग 4.16 मिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड की मिल्कियत थी और लगभग 4.17 मि० बैरल नेशनल ईरानियन् आयल कं. (जो कि "इमिनांको" के दूसरे भागीदार हैं) का न उठाया गया भाग था, जो कि उनके समझौते की शर्तों के अन्तर्गत एच. आई. पी. एल. के द्वारा एन. आई. ओ. सी. से खरीदा समझा जाता है ।

(ख) 8.3 मिलियन बैरल में से लगभग 1.47 मिलियन बैरलों को, बंगला देश का सप्लाई के लिए, भारतीय तेल निगम को बेच दिया गया है और लगभग 6.40 मि. बैरलों को विदेशी खरीददारों को बेच दिये गये थे। एच. आई. पी. एल. को प्राप्त बची मात्रा, जो कि उठाई नहीं गई है, आगामी वर्षों में पूरी कर ली जायेगी। जनवरी, 1972 के आरम्भ से एच. आई. पी. एल. ने अपनी मिल्कियत के भाग के अतिरिक्त "मेक-अप" मात्राएं उठाना आरम्भ कर दी हैं।

दिल्ली से मद्रास बरास्ता भोपाल और नागपुर दिन में विमान सेवा आरम्भ करना

4315. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से मद्रास बरास्ता भोपाल और नागपुर दिन में विमान सेवा आरंभ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों को मिलाने के लिए नागपुर से रायपुर तक 'फीडर-विमान सेवा प्रारम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा. कर्ण सिंह): (क): इण्डियन एयरलाइन्स का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): इस समय परिचालित की जा रही इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर तथा रायपुर को जोड़ती है। मध्य प्रदेश में किसी अन्य स्टेशन को जोड़ने की कारपोरेशन की इस समय कोई योजनाएं नहीं हैं।

निश्चित समय वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइवेट वाणिज्यिक बैंकों का विलय

4316. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निश्चित समय वाले कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राईवेट वाणिज्यिक बैंकों का, जिन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है, विलय अथवा एकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) और (ख). निश्चित समय वाला ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे बैंकों की स्थिति की बराबर समीक्षा की जाता रहती है।

नए कैंटोनमेंटो की स्थापना तथा वर्तमान कैंटोनमैंटों को नया रूप देना

4317. **श्री वी. मायावन** : क्या **रक्षामंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना दल ने नए कैंटोनमैंटों की स्थापना के लिए किन स्थानों का चयन किया है अथवा किन वर्तमान कैंटोनमैंटो को नया रूप देने की सिफारिश की है ; और

(ख) इस दल की सिफारशों के परिणामस्वरूप कितने नए कैंटोनमैंटों पर कार्य आरम्भ हो गया है और कितने वर्तमान कैंटोनमैंटों को नया रूप दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Loan given to Industrial units by L.I.C.

4318. DR. LAXMINARAIN PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amount of loan given to industrial units by Life Insurance Corporation during 1970-71 and 1971-72; and

(b) the amounts given as loan to private industrial units and public industrial undertakings; seperately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K.R. GANESH): (a) & (b). The amont of loans sanctioned and disbursed by the Life Insurance Corporation to Industrial Concerns in the public and private sector including co-operative sector during the years 1970-71 and 1971-72 is given below:—

Rs. in Lakhs

Industrial Concerns	1970-71		1971-72	
	sanctioned	disbursed	sanctioned	disbursed
(i) public sector	—	—	50.00	—
(ii) Private sector including Cooperative sector	228.24	*500.36	1631.90	280.43
Total:	228.24	500.36	1681.90	280.43

*Includes disbursements against sanctions of earlier years.

Nature of Equipment Produced at Khamaria Ordnance Factory (Jabalpur)

4319. DR. LAXMINARAIN PANDEY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the various types of defence equipment manufactured at Khamaria Ordrance Factory in Japalpur;

(b) whether equipment as manufactured there is also being imported; and

(c) whether certain percentage of imported material has to be used in the production of the equipment at the said Factory ?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Artillery and Tank Gun ammunition, Small Arms Ammunition, Mines, Bombs are some of the Major items of stores being produced at Ordnance Factory, Khamaria.

(b) By and large items manufactured at Ordnance Factory, Khamaria are not also imported, except in cases where import is inescapable to tide over critical shortages.

(c) Yes, a limited number of components/materials required for the production the Ordnance Factory, Khamaria, as are not indigenonsly available, are imported.

I.A.F. Plane Crash Near Delhi

4320. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA:
SHRI B.K. DASCHOWDHURY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether an IAF Plane met with an accident near Delhi as reported in the 'Hindustan Times' of 5th April, 1972;

(b) whether Wing Commander V.V. Sawardekar was killed in the accident; and

(c) if so, the causes of accident and the remedial steps taken ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (c). An I.A.F. aircraft accident took place on 4th April, 1972 near Delhi, resulting in the death of Wing Commander V.B. Sawardekar. The report of the Court of Enquiry has not yet been finalised. Necessary remedial action will be taken when the report is received.

गोलियों के प्रभाव से मुक्त प्लास्टिक का टोप

4321. **श्री चिंतामणी पाणिग्रही:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्लास्टिक का एक ऐसा टोप बनाया गया है जिस पर गोली असर नहीं कर सकती और जो इस्पात के टोप के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी, हां ।

(ख) मई 1972 में भारी उत्पादन होने की आशा है ।

बंगला देश की सुरक्षा सेनाओं के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाए

4322. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगला देश की सुरक्षा सेनाओं में नये भर्ती किये गये अधिकारियों को भारतीय प्रतिरक्षा अकादमियों द्वारा अस्थायी रूप से प्रशिक्षण सुविधाओं के कोई प्रबंध किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) **तथा** (ख). भारत सरकार की यह नीति है कि मित्र देशों की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के लिए हमारे रक्षा प्रशिक्षण स्थापनाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जायें। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बंगला देश के सैनिकों के लिए भी ये सुविधायें प्राप्त होंगी। विभिन्न कोसों के सम्बन्ध में सूचना देना वांछनीय नहीं होगा।

उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने वाले स्थान

4323. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने जिला पुरी में नीलमदेव निवास कन्टीलो को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव प्रेषित किया है;

(ख) उड़ीसा के किन स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना है; और

(ग) वर्ष 1972-73 में किन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है तथा उन पर कितना व्यय किया जाना है और वर्ष 1971-72 में कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की गई तथा उन पर कितना व्यय किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क). पर्यटन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ मालूम नहीं होता।

(ख) और (ग). पर्यटन विभाग की योजना में, पुरी में 3.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक युवा होस्टल के निर्माण तथा कोणार्क में मन्दिर के चारों ओर 2 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मूदृश्य.निर्माण की स्कीमें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय पुरातत्व विभाग का 3 75 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कोणार्क मन्दिर के पुंज प्रकाश करने का प्रस्ताव है। भारत पर्यटन विकास निगम की चौथी योजना में भुबनेश्वर में यात्री लॉज के विस्तार के लिये 7 लाख रुपये की योजनागत व्यवस्था है। उपर्युक्त सभी स्कीमों के चालू योजनावधि के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा हैं।

Cultivation on Land Accredited to Guard Training Centre, Kota.

4324. SHRI ONKAR LAL BERWA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the area of land belonging to Guard Training Centre, Kota which is under cultivation;

(b) the purpose for which the crop is utilised;

(c) the yield during the last year; and

(d) the net average income after the deduction of expenditure on fertilizers ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) to (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Number of Trainees at Guard Training Centre, Kota

4325. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of recruits under training at Guard Training Centre, Kota; and

(d) the number of recruits trained each year ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) : 1368 (as on 15.4.72)

(b) This Training Centre is designed to train 1120 recruits at any one time. However, the number of recruits to be trained in a year depends on the new raisings, if any, and the anticipated wastages. During the last 3 years, the number of recruits trained at this Centre has been as follows :—

(i)	1969	—	831
(ii)	1970	—	940
(iii)	1971	—	1452

Accommodation for Employees at Guard Training Centre, Kota

4326. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of permanent and temporary employees, separately, working in the Office of the Guard Training Centre, Kota; and

(b) the arrangements made for providing residential accommodation to the permanent employees ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) It is presumed that the Hon'ble Member has in mind only the '*Civilian employees*' working in the Record Office of the Guard Training Centre, Kota. There are 23 permanent and 23 temporary civilian employees in that office.

(b) Defence civilian employees are not entitled to be provided with residential accommodation by virtue of the terms and conditions of their service. However, any military accommodation which is surplus to requirements is alloted to them and once alloted it is usually not taken away unless alternative accommodation is provided.

At certain specified stations where large numbers of Defence civilians are employed and the accommodation position is acute, upto the extent of 15% of the authorised establishment of the civilian at the station, separate accommodation for them is to be constructed. Kota is, however, not one of the stations where such accommodation has been constructed or is proposed, at present, to be constructed, for the Defence civilians.

Affairs of Income-Tax against Firms and Individuals in Kota (Rajasthan)

4327. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of Income-tax outstanding in Kota, Rajasthan during the last three years;

(b) the names of the firms against whom arrears are outstanding;

(c) the reasons for not recovering the outstanding amount; and

(d) the amount recovered during the period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K.R. GANESH): (a) The particulars regarding the gross Income-tax demand outstanding in Kota, Rajasthan as at the end of the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 are being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) to (d). The information regarding the names of the firms in Kota, Rajasthan against whom arrears of Income-tax exceeding Rs. 10,000 were outstanding as on 31.3.1972, the reasons for the outstanding arrears and the amount of tax recovered from these firms during the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 is also being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

विमान दुर्घटनाओं के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना का प्रस्ताव

4328. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विगत महीनों में भारतीय वायु सेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दुर्घटनों के कारणों की जांच करने के लिये कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं । भारतीय वायुसेना में दुर्घटना दरों में वृद्धि का कोई संकेत नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रत्येक दुर्घटना की जांच न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है । रिपोर्ट के प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही तथा सुधार के उपाय किए जाते हैं ।

गोरखपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना

4329. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर के निकट 29 मार्च, 1972 को भी एक दुर्घटना हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय वायु सेना के दो कर्मचारियों की मृत्यु हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में न्यायिक जांच की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी, हां ।

(ख) जांच अदालत की कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

भारत के पर्यटक मान-चित्र में बैराठ को दिखाये जाने का प्रस्ताव

4330. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पर्यटक मान-चित्र में बैराठ (महाभारत युग के ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त विराट नागर) को दिखाये जाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Proposal for Recruitment to Armed Forces from Different States in Proportion to Population

4331. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulated a scheme to recruit people from all the States in Defence Forces in proportion to their population; and

(b) if so, the time by which the scheme is likely to be imulemented ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) & (b). The recruitment for the Army is done in proportion to the recruitable male population belonging to the age group of 17-25 years in various States, except where recruitment is to be made in a particular class for units having class composition.

उड़ीसा में बकाया ऋणों की वसूली

4332. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा (उड़ीसा) के भूतपूर्व एजेण्ट द्वारा छोटे कारोबारों और कृषि कार्यों के लिये ऋणों के रूप में लोगों को दी गयी बहुत बड़ी राशि ऋणियों के नाम गत पांच वर्षों से बकाया है;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भद्रक शाखा के भूतपूर्व एजेण्ट को मुअत्तिल कर दिया गया है; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों से बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मध्य तथा एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशान्त के मध्य के मार्गों पर विमान किराये

4333. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मध्य तथा एशिया और दक्षिण पश्चिम प्रशान्त के मध्य के मार्गों पर विमान किराये विभिन्न वायु कम्पनियों के बीच इस वर्ष की 1 अप्रैल से प्रतिस्पर्धा पर आधारित है; और

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

पर्यटन और नागरन विमानन मंत्री (डा0 कर्ण सिंह) : (क) और (ख): विभि. अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर विमान किराये अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन की सदस्य एयरलाइनों द्वारा आपसी समझौते से सर्वसम्मति के सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन क्षेत्र 2 और 3 क्षेत्र के बारे में जनैवा में नवम्बर—दिसम्बर 1971 में संगठन की गत बैठक में किया गया किराया संबंधी समझौता जो कि 1 अप्रैल, 1972 से लागू होना था, यूरोप और भारत उपमहाद्वीप के बीच सहमत किरायों का कुछ सरकारों द्वारा अस्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप, एवं अन्य सरकरों से सहमति प्राप्त न होने के कारण, लागू घोषित नहीं किया गया ।

इस सम्बन्ध में भावी विकास पर निगरानी रखी जा रही है । परन्तु इन मार्गों पर एयर इण्डिया की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई पड़ेगा तो, यह अभी से बताना संभव नहीं है ।

भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को धार्मिक पुस्तक देना

4334. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा ररेंगे कि :

(क) क्या भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के विभिन्न शिविरों में कुरान शरीफ की प्रतियां सहित अनेक धार्मिक पुस्तकें भेजी गई हैं; और

(ख) क्या धार्मिक पुस्तकों के लिये पाकिस्तानी युद्धबन्दियों ने इच्छा व्यक्त की थी?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). कुछ युद्धबन्दियों ने कुरान शरीफ लेने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। अतः युद्धबन्दी शिविरों को कुरान शरीफ की 1230 प्रतियां दी गई हैं।

भारतीय वायु सेना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण

4335. **श्री आर. पी. उलगनम्बी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना में गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कितने प्रत्याशी एयरमैन भरती किये गये हैं; और

(ख) क्या भारतीय वायु सेना में अधिकारियों के ग्रेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अर्हता प्राप्त युवाओं के लिए पदों को आरक्षण है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

(क)	वर्ष	भर्ती किये गए उम्मीदवार		कुल
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
	1969	595	58	653
	1970	614	43	653
	1971	448	121	569

(ख) नहीं।

फाइलों के निरीक्षण के बारे में पाइप लाइन जांच आयोग का आदेश

4336. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइलों के निरीक्षण के संबंध में पाइप लाइन जांच आयोग के आदेश का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षत आदेश की रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) और (ख). 21-3-72 को आयोग को पाइप लाइन जांच के सहायतार्थ राष्ट्रीय कमेटी की तरफ से श्री संतोष चैटर्जी, एडवोकेट, और श्री अरुन राय चौधरी के द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ श्री चौधरी के दिनांक 6/14-4-71 में दिए गए प्रलेख/फाइलों की संबन्धता/जांच के बारे में आयोग के दिनांक 6-6-71, 9-6-71, 16-6-71 और 19-8-71 के पहले आदेशों पर पुनः विचार के लिए प्रार्थना की गई थी।

इस विषय में आयोग ने अपने दिनांक 21.4.72 के आदेश में निम्नलिखित फैसला दिया हैं :—

"यह बताना उपयुक्त होगा, कि यह आदेश श्री ए. आर. चौधरी के प्रार्थना-पत्र जिसमें कुछ फाइलों/रिकार्ड का जांच के लिए आई. ओ. सी. से मांग की गई थी, पर जारी किए गए थे। श्री चौधरी के अनुसार यह फाइल/रिकार्ड जांच से सम्बन्धित थे जब कि आई. ओ. सी. के अनुसार उनका इससे कोई संबंध नहीं था। आयोग के विचार में आई. ओ. सी. की कुछ फाइलें जिनकी श्री अरुन राय चौधरी ने मांग की थी, जांच के विचारार्थ विषयों से संबंधित नहीं थे, उनको मंगाया नहीं जाता था। इस प्रश्न पर फैसला करने के लिए आयोग को अपने विचारार्थ विषयों की व्याख्या करनी पड़ी जो कि उसने अपने 16 जून और 19 अगस्त, 1971 के आदेशों में की। तब से आई. ओ. सी. की सब फाइलें—वह भी जिनको पेश करने के लिए पहले स्वीकृति नहीं दी गई थी—आयोग के पास प्रस्तुत की गयी हैं और श्री चौधरी को उन तक स्वतंत्र पहुंची थी। इन परिस्थितियों में उक्त आदेश पर पुनः विचार करने का प्रश्न केवल अव्यवहारिक अभिरुचि की बात है अतः इसके उत्तर के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। एक बात जो नोट करने योग्य है और जिसे आयोग ने सुनवाई के समय महत्व दिया था और जिसे पुनः महत्व देना चाहेगा, यह है कि आयोग किसी भी बात को चाहे वह बात उन रिकार्ड/फाईल की मांग से सम्बन्धित है जिन्हें कि आयोग ने पहले अस्वीकार किया था, नोट करने से इंकार नहीं करेंगी, यदि यह दिखाया जाता है कि उसका विचारार्थ विषयों पर प्रभाव पड़ता है। अतः यह बात प्रार्थी के लिए है कि वे आयोग के ध्यान में ऐसी सब बातें लाएं जो उनके विचार में जांच की शर्तों से संबंध हैं और यदि ऐसा पाया गया तो आयोग उन पर विचार करेगा भले ही वे किसी फाईल/रिकार्ड से मिले हों। अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण के अधीन विरोध किए गए आदेश पर पुनः विचार करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता हैं।

काश्मीर में गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक रज्जुपथ बनाने का प्रस्ताव

4337. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक रज्जुपथ बनाने का केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह का कार्य किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। गुलमर्ग के एक शीत-एवं-ग्रीष्म कालीन बिहार-स्थल के रूप में विकास करने के सिलसिले में गुलमर्ग से खिलनमर्ग तक एक यात्री रज्जुमार्ग लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना

4338. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 वर्ष में कितने रक्षा कर्मचारियों (वायु सेना, स्थल सेना और जल सेना) की सेवाएं समाप्त की गई;

(ख) क्या उनकी सेवाएं बिना किसी जांच के समाप्त की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोसीपुर और ईशापुर (पश्चिम बंगाल) के राइफल और गोला बारूद कारखानों में कितने लोगों की सेवाएं समाप्त की गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन

4339. **श्री एच. एम. पटेल** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 की लड़ाई के बाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान ने कितनी बार युद्धविराम का उल्लंघन किया है;

(ख) जश्मू कश्मीर के भारतीय पक्ष की ओर कितने पाकिस्तानी घुसपैठिए पकड़े गये अथवा मारे गये;

(ग) क्या इस बारे में 29 मार्च, 1972 की कश्मीर विधान सभा में, मुख्य मंत्री सैयद मीर कासिम द्वारा दिये गये एक वक्तव्य (30 मार्च, 1972 के 'पैट्रियट' में प्रकाशित) की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जग जीवन राम) : (क) 18 दिसम्बर 1971 और 22 अप्रैल 1972 के मध्य पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 137 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया है ।

(ख) तथा (ग). सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है । दिसम्बर 1971 के संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद सशस्त्र पाकिस्तानियों ने युद्ध विराम रेखा को पार कर हमारे क्षेत्र घुसने के प्रयत्न किये हैं । ऐसे कई पाकिस्तानी मारे गए थे, कुछ को बन्दी बनाया गया तथा शेष गोली चलाये जाने पर अथवा चेतावनी दिए जाने पर युद्ध विराम रेखा के पार भाग गये थे ।

(घ) पाकिस्तानों घुसपैठियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाओं को अनुदेश प्राप्त हैं।

बेरहमपुर (उड़ीसा) में सैनिक भर्ती कार्यालय खोला जाना

4340. **श्री डी० के० पंडा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंजम जिले (उड़ीसा) राज्य में बेरहमपुर में पुनः सैनिक भर्ती कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी मात्रा में मूल औषधियों के निर्माताओं को पूंजी निवेश पर होने वाला लाभ

4341. **श्री रामकंवर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1972 के 'इकनामिक टाइम्स' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बड़ी मात्रा में मूल औषधियों के निर्माताओं को अपने पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां। सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) कुछ औषधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों के कार्यकारी दल के रिपोर्ट का प्रथम भाग अभी प्राप्त हुआ है। यह परीक्षाधीन है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडटों को उन्नत प्रशिक्षण की योजना

4342. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडटों को उन्नत प्रशिक्षण देने की योजना जुलाई, 1971 से लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई 1971 से प्रारम्भ होने वाले कोर्स से नेशनल डिफेंस अकादमी में सैनिक प्रशिक्षण को स्नातक स्तर तक बढ़ा दिया गया है।

डिफेंस सर्विस स्टाफ कालिज, वैलिंगटन में प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि

4343. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफेन्स सर्विस स्टाफ कालिज वैलिंगटन में वर्ष 1972 से उम्मीदवारों की प्रशिक्षण क्षमता 130 से बढ़ा कर 265 हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान में रिहाइश के लिये तथा कक्षाओं के लिये भी स्थान में इसी अनुपात में वृद्धि की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं। क्षमता को 180 से बढ़ाकर 265 तक किये जाने के कार्यक्रम को जनवरी 1972 से शुरू होने वाले वर्ष से 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। जनवरी 1972 से बढ़ी हुई क्षमता 214 है। यह विचार किया जा रहा है कि जनवरी 1973 से क्षमता 244 और जनवरी 1974 से 265 होनी चाहिए।

(ख) अतिरिक्त आवास तथा कक्षाओं के स्थान के लिए भी निश्चत कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना बनाई गई है।

Airport at Indore

4344. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the construction and development of an airport at Indore ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the steps taken so far or proposed to be taken in future to implement the same ?

THE MIMISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) to (c). An aerodrome with essential facilities already exis's at Indore, and Indian Airlines are operating a daily service through this station. The work of providing runway lighting is in progress and is expected to be completed by the end of the year. The expansion of the terminal building will also be taken up soon.

Permission to bring Money Deposited in Foreign Banks Back to India

4345. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE pleased to state :

(a) the number of capitalists, industrialists and former rulers permitted to bring their money, deposited in foreign banks, back to India during the last three years ; and

(b) their names and the amount of money brought back by each one of them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). While permission of the Reserve Bank of India is necessary to maintain foreign currency accounts no such permission is necessary to bring back deposits

held abroad. There are no restrictions on inward remittances. For purely statistical purposes details are available in respect of individual remittances exceeding Rs. 10,000/- under the broad categories such as home remittance, 'migrants' transfer 'missionary remittance', etc. However, such data of inward receipts are not maintained with reference to the avocation of the recipient. The total inward remittances comprising unilateral transfers of the categories indicated above for the last three years for which figures are available are as follows :—

Year	Amount (In crores)
1969-70	Rs. 144.2
P970-71	Rs. 139.3
1971-72	Rs. 136.4

Engineering Officers in H. E. L. Bhopal and H. S. L. Bhilai

4346. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the percentage of State Engineering Officers is much less in H. E. L. Bhopal and H. S. L. Bhilai ;

(b) if so, the reasons therefor and their percentage during the last three years ; and

(c) whether the Central Government propose to take maximum number of engineers from the State of Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) and (b). Government do not maintain information regarding the percentage of engineering or other officers belonging to different states employed in the Central Government undertakings. Government also consider thut it would not be in the interest of national integration to collect such information. Recruitment to posts of Engineering Officers carrying a salary of Rs. 500 p. m. or more is done on an All India basis through advertisements in the Newspapers etc.

(c) Does not arise, as the Constitution prohibits discrimination in the matter of public employment on the ground of place of birth. Recruitment to junior posts carrying salary of Rs. 500 or less is, however, made through employment exchanges as far as possible.

मैसर्स एंड्रियुयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की बिक्री

4347. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज इंड्रियुयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के लगभग 30 प्रतिशत 'नान-रैजीडैंट' शेयर एक भारतीय एकाधिकारी व्यापार गृह से सम्बद्ध एक भारतीय साहूकार को बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे का मूल्य क्या है और क्या खरीददार ने सरकार से पूर्व-अनुमति मांगी और प्राप्त कर ली थीं; और इस सौदे में विदेशी मुद्रा का अंश कितना है;

(ग) क्या वर्तमान कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा और शर्तों की पूरी रक्षा की जाएगी; और

(घ) क्या विक्री के लिए प्रस्तावित 'नान-रैजिडैंट' शेयरों का कुछ भाग सरकार सीधे खरीदने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर गणेश) : (क) और (ख). मैसर्स एण्ड्रियूयूल कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के दस-दस रुपए के अंकित मूल्यों के 6 लाख सामान्य शेयरों की, जो इस कम्पनी के अनिवासी शेयरपारिता के 30 प्रतिशत के बराबर हैं, किक्री कलकत्ता के श्री वी. पी. पोद्दार को करने का एक प्रस्ताव रिजर्व बैंक को प्राप्त हुआ था। शेयरों की विक्री, 14 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से करने का प्रस्ताव था और विक्री से प्राप्त होने वाली 84 लाख रुपए की रकम को पांच समान वार्षिक किस्तों में प्रेषित करने का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि मूल्य बहुत अधिक समझा गया था

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रस्ताव अस्वीकार किया जा चुका है।

(घ) जी, नहीं।

लेखा परीक्षा कार्य का कुछ फर्मों के हाथों में होना

4348. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **कम्पनी कार्य मन्त्री** 24 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2615 करोड़ रुपये की परीक्षण लेखे वाली 101 बड़ी कम्पनियों के लेखों की परीक्षा का कार्य केवल 20 लेखा-परीक्षा कम्पनियां ही करती हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों की लेखा-परीक्षा करने के लिए कम्पनियों की सूची में केवल बड़ी लेखा परीक्षा कम्पनियों के नाम से ही सम्मिलित कर रखे हैं; और

(ग) यदि हां, तो छोटी लेखा-परीक्षा कम्पनियों के साथ इस प्रकार का भेद-भाव क्यों किया जा रहा है, जब ये कम्पनियां राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के लेखे की परीक्षा करने के लिए अनुमोदित है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) इस प्रकार की समाचार-पत्र रिपोर्ट है।

(ख) नहीं, श्रीमान्। सम्पूर्ण व्यवहारत, शास-प्राप्त लेखाकार, चाहे वह फर्म नामों के अन्तर्गत भागीदार हो, अथवा एक मात्र स्वामित्व वाली फर्म नामों के हों, उनके अनुभव, संगठानात्मक शक्ति व सामान के आधार पर तालिका बद्ध होने के पात्र है।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

नये आयुध कारखानों में उत्पादन की समय-सूची

4349. **श्री एस. एम. बनर्जी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाझरी, भण्डारा, वरग गांव और तिरू चिरापल्ली के नये आयुध कारखानों में पूरा उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या पूरा उत्पादन 1972 में आरम्भ होने की आशा है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). आर्डिनस फैक्टरी, भण्डारा में उत्पादन पूरे जोर शोर से शुरू हो गया है । आर्डिनस फैक्टरी, वरगांव में उत्पादन हो रहा है तथा उसे धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है । आर्डिनेस फैक्टरी, तिरूची में उत्पादन प्रारम्भ हो चुका हैं और उसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाना है । आर्डिनस फैक्टरी, अम्बाझरी में भी, उन सेक्शनों को छोड़ कर जो निर्माणाधीन हैं, उत्पादन प्रारम्भ हो चुका है ।

(ग) जी, नहीं ।

इंडियन एयरलाइन्स को बोइंग-737 न खरीदने का निदेश

4350. **श्री सी. टी. डण्डापाणि** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स से सात बोइंग—737 विमान न खरीदने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की क्षमता बढ़ाने हेतु यूरोपीय मार्किट से इनके स्थान पर और कोई विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा. कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठया ।

(ग) और (घ) : इण्डियन एयरलाइन्स पुराने विमानों को बदलने की तथा अंतर्देशीय जरूरतों के विस्तार की अपेक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए अपनी विमान सम्बन्धी भावी आवश्यकताओं का विस्तृतत अध्ययन कर रहे हैं ।

बैंक शाखाओं की स्थापना करना

4351. **श्री एस. ए. मुरुगनन्तम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक शाखाओं की स्थापना करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने वर्ष की सर्वांगीण योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) और (ख). जी, हां। रिजर्व बैंक ने 1972, 1973 और 1974 के दौरान शाखाओं के विस्तार के लिए 5,000 बैंक कार्यालयों का सर्वांगीण लक्ष्य निर्धारित किया है। बैंकों को अपनी शाखा विस्तार कार्यक्रम योजना इसी के अनुसार बनाने के लिए कहा गया है। नेता (लीड) बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे अपना कार्यक्रम निर्धारित करते समय अपने प्रमुख (लीड) जिले में अपने उत्तरदायित्व, अपने कार्यक्षेत्र और अपेक्षाकृत कम विकसित तथा कम बैंकों वाले राज्यों का प्राथमिकता देने की आवश्यकता का ध्यान रखें।

भारत और बंगला देश की सीमाओं से तस्करी

4352. **श्री एस. ए. मुरुगनन्तम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और बंगला देश की सीमाओं से तस्करी रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : भारत बंगला देश सीमा के सुगमता से पार कर सकने योग्य स्थलों पर सीमाशुल्क निवारक कर्मचारी तैनात किये गये हैं। यह व्यवस्था भारत-बंगला देश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा दल के अतिरिक्त है, जिसके जवान पूरे 24 घण्टे काम करते हैं तथा गश्त लगाते हैं। बंगला देश को तथा बंगला देश से आने वाले मोटर गाड़ी/नदी यातायात की सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा निबारक जांच की जाती है। इसके अलावा, जिन लोगों पर तस्कर व्यापार करने का संदेह होता है, उनकी सूची बनाई जाती है तथा उनपर निगरानी रखी जाती है।

सैनिक स्कूल, पुरुलिया में बंगाली विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व

4353. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सहित पुरुलिया के सैनिक स्कूल में इस समय कितने बंगाली विद्यार्थी हैं ;

(ख) क्या बंगाली बिद्यार्थियों को इस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 31-1-1972 को कुल 339 लड़कों में से 263 लड़के पश्चिम बंगाल के थे ।

(ख) तथा (ग). सैनिक स्कूलों में छात्रों का दाखिला अखिल भारतीय आधार पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है । प्रत्येक स्कूल में 67 प्रतिशत स्थान उस राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं जिसमें उक्त स्कूल स्थित होता है । इस की तुलना में सैनिक स्कूल पुरूलिया में पश्चिम बंगाल के छात्रों की संख्या 77.5 प्रतिशत है ।

बंगला देश के चटगाँव और छलना बन्दरगाहों की सफाई करने में भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता

4354. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने चटगांव और छलना बन्दरगाहों से जलमगन सुरंगों, जहाजों और अन्य वाधाओं को हटाने में बंगला देश को सहायता की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय नौसैनिक जहाजों ने चटगांव बन्दरगाह के दूर के क्षेत्र को तथा छलना बन्दरगाह को जाने वाली पुसूर नदी के प्रवेश को भी सुरंगों से साफ करने का काम किया ।

(ख) एक नहर साफ करके उसे चटगांव से दूर सुरंगों वाले क्षेत्र में स्थापित कर दिया । अब छलना बन्दरगाह को जाने वाले जहाजों के मार्ग में भी कोई रुकावट नहीं हैं ।

बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम में भारतीय सेना का योगदान

4355. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क] क्या बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम में मुक्तिवाहिनी के सहयोग से भारतीय सेनाओं, अर्द्ध सैनिक संगठनों और सुरक्षा दल, और सुरक्षा सेना आसूचना विभाग के योगदान का ऐतिहासिक वृत्त लिखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

[ख] यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम). [क] और [ख] : बंगला देश को मुक्ति में भारतीय सुरक्षा दलों के रोल के संबंध में एक ऐतिहासिक लेखा तैयार करने और उसे यथा समय प्रकाशित किये जाने का विचार है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भर्ती सम्बन्धी नीति

4356. **श्री बयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क] राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये भर्ती सम्बन्धी एक सामान्य नीति अपनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

[ख] क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एक फार्मूला तैयार किया है या करने का विचार है ; और

[ग] यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : [क] से [ग] . सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये सामान्य भर्ती नीति अपनाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

मजगांव डाक लिमिटेड के पास सर्वेक्षण पोत और बकेट ड्रेजर के लिए क्रयादेश

4358. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नासो का विचार मजगांव डाक लिमिटेड की सर्वेक्षण पोत और एक बकेट ड्रेजर के लिए क्रयादेश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह क्रयादेश दे दिया जाएगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जग जीवन राम) : (क) तथा (ख). मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

पाकिस्तान सेना द्वारा भारतीय युद्धबन्दियों को यातना देना

4359. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या दिसम्बर युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना अधिकारियों द्वारा, भारतीय सेना के पकड़े गये कर्मचारियों को यातना देने तथा अंग-भंग करने के अनेक दृष्टान्त सरकार के ध्यान में लाये गये थे;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो उनसे क्या रिपोर्ट मिली है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). कुछ ऐसे दृष्टांत हमारे ध्यान में आए थे तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति को जांच के लिए भेज दिया गया था।

(ग) रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ऋण का विदेशी मुद्रा में चुकाया जाना

4360. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों की विदेशी मुद्रा के रूप में प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है; और

(ख) इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1888/72]

(ख) सरकार, प्रेषण सम्बन्धी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय करती रही है। हाल के वर्षों में सरकार अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तों पर विदेशी ऋण दिये जाने के लिए अनुरोध करती रही है और उसे ऋणों की बढ़ती हुई मात्रा ऐसी शर्तों पर पाने में सफलता मिली है। विदेशी निवेश से सम्बन्धित नये प्रस्तावों और सहयोग करारों को स्वीकृति देने के लिए चयनात्मक नीति अपनायी जाती है। एक ओर, जहां कुछ क्षेत्रों में नये विदेशी निवेशों की अनुमति नहीं दी जाती वहां दूसरी ओर सहयोग-करारों की गहराई से छानबीन की जाती है ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो। इस बात के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी उपाय किये जाते हैं कि विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के विस्तार पर नियंत्रण रखा जाय। और विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों में, विस्तार किये जाने के समय विदेशी शेयर धारियों के शेयरों में कमी की जाय। किन्तु, विदेशी प्रेषणाओं में पर्याप्त कमी होना अन्ततोगत्वा इस बात पर निर्भर करता है कि यह देश, निर्यात बढ़ा कर, आयात प्रतिस्थापन करके और देश में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का विस्तार करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।

भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष उपकरण

4361. **श्री सी. चित्तिबाबू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के अधिकारियों तथा वायु सैनिकों को व्यवसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के लिए जिस परीक्षण के लिये अब उन्हें विदेशों में भेजा जाता है, अपेक्षित विशेष उपकरण खरीदने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने उक्त व्यक्तियों को विदेश में भेजा गया था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रशिक्षण पर कितना खर्चा हुआ; और

(घ) भारत में यह प्रशिक्षण देने के लिए विशेष उपकरणों की लागत क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) प्रशिक्षण सुविधाओं को लगातार उच्च स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। कुछ विशेष प्रशिक्षण संस्थाओं को उच्च स्तर के जटिल तथा नाजुक प्रशिक्षण उपस्करों से सज्जित करके स्थापित करना मंहगा है तथा इसमें लिया गया व्यय वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा। भारतीय वायुसेना से असफरों को विदेश में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति उन्हें विदेश में वैमानिकों के क्षेत्र में होने वाले आणूविक तकनीकी विकासों से भी परिचित होने में सहायता देते हैं।

(ख) 33

(ग) लगभग 18 लाख रुपए।

Grants in aid to Clubs, Schools and Institution for Training Pilots

4362. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the MINISTER OF TOURISM & CIVIL AVIATION be pleased to state the total amount of grants-in-aid given by Governmnt to Clubs, schools and institutions engaged in training persons as pilots during the last two years ?

THE MINISTER OF TOURISM & CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : The total amount of grants-in-aid given to clubs, etc. during the years 1970-71 and 1971-72 were as follows :

	1970-71	*1971-72*
	Rs.	Rs.
Flying clubs Flying Schools/ Institute Gliding clubs Glyding Wings of Flying clubs	29,75,770 4,20,725	23,57,391 4,57,955

Memorandum from Unemployed Commercial Pilot Licence Holders

4363 SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVITATIONT be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any memorandum from the unemployed commercial pilot licence-holders;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the action proposed to be taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF TOURISM & CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) & (b) : Government have received a copy of a cyclostyled letter addressed by the Unemployed Commercial Pilots Association to Members of Parliament. A copy of the letter is attached. [Placed in the library. See No. L.T. 1889/72]

(c) (i) Indian Airlines and Air India have been asked to utilise unemployed pilots on ground duties wherever possible.

(ii) At the instance of this Ministry, the Ministry of Agriculture has agreed to consider unemployed commercial pilots for conversion training for crop-spraying operations.

(iii) The rules for direct recruitment to the post of Assistant Aerodrome Officer have been amended to include a Commercial Pilots' Licence as one of the acceptable qualifications. A requisition for recruitment against 78 posts of Assistant Aerodrome Officers has been sent to the Union Public Service Commission.

बड़े नगरों में 'रिवालविंग, होटलों का निर्माण

4364. **श्री बी. के. दास चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बड़े नगरों में रिवालविंग होटल बनाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) ऐसे प्रत्येक होटल पर क्या व्यय किये जाने का अनुमान है?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत और ईरान के बीच विमानों का पुनः चलाया जाना

4365. **श्री बी० के० दामचौधरी:**
श्री बेकारिया:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि.

(क) क्या कराची से होकर तेहरान और बम्बई के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली ईरान एयर की जैट विमान-सेवा, जो दिसम्बर, 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण बन्द कर दी गई थी, पुनः चालू कर दी गई है;

(ख) क्या भारत का विचार भी ईरान को अपनी सेवाएं पुनः चालू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो भारत से ये सेवाएं किस मार्ग से आरम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, हां । ईरान एयर ने भारत के लिये सप्ताह में दो बार के अपने परिचालन 2 अप्रैल, 1972 से पुनः आरंभ कर दिये ।

(ख) और (ग). एयर इण्डिया ने युद्ध के तुरंत बाद तेहरान से होते हुए अपने परिचालन पुनः प्रारंभ कर दिये, तथा इस समय भारत/यू० के./ यू० एस० ए० मार्ग पर तेहरान होते हुए सप्ताह में एक सेवा परिचालित कर रहे हैं। एयर इण्डिया चार्टर्स लि० तेहरान से होते हुए यू० के० के लिये सप्ताह में एक बार की एक चार्टर उड़ान परिचालित करते हैं।

राष्ट्रीय व्यहवारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् को दिया गया अनुदान

4366. **डा० रानेनन सेन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली को कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश): राष्ट्रीय व्यावहरिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को 2 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। लेकिन इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के लिए 1,90,000 रुपये की बजट-व्यवस्था की गयी है।

जनसाधारण के प्रयोग के लिए खुले बाजार में शक्तिमान ट्रक की उपलब्धता

4367. **श्री निहार लास्कर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसाधारण के प्रयोग के लिए खुले बाजार में शीघ्र ही शक्तिमान ट्रक उपलब्ध हो जायगा ;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में इस ट्रक की क्या कीमत होगी ; और

(ग) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान कितने शक्तिमान ट्रको का निर्माण किया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल: (क) व्हीकल फैक्टरी जबलपुर, जहां पर शक्तिमान गाड़ियों का निर्माण किया जाता है, अभी तक सार्वजनिक प्रयोग में लाने के लिए सिविल प्रकार की शक्तिमान गाड़ियों को उत्पादित करने के लिए फालतू क्षमता नहीं हैं। सर्वजनिक प्रयोग में लाए जाने के लिए सिविल प्रकार की गाड़ी की बिक्री का मूल्य भी प्रतियोगिता का होना चाहिए। इसके विकास के लिए जो यह सहयोगियों ने मूल्यों की पेश्कश की है, इस प्रकार के नहीं हैं। इस मामाले में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) 1969-70 वर्ष के दौरान कुल 922 तथा 1970-71 वर्ष के दौरान 555 शक्तिमान ट्रकों का निर्माण किया गया था।

जबलपुर के चहुंऔर स्थित आयुध कारखनों के उत्पादन लक्ष्य

4368. **श्री निहार लास्कर:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर में चहुंओर स्थित आयुध कारखानों ने आने वालों वर्षों के लिए उत्पादन में नये लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) तथा (ख). जी हां। आने वाले वर्षों में जबलपुर के चारों ओर स्थित आर्डनेंस कारखानों में निर्माण के लिए जिन पदों का उच्चतम उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनमें बारूद की बहुत सी मदें, गाड़ियों की मदे तथा हथियारों की कुछ मदें सम्मिलित हैं।

Arrears of Income-Tax in Udaipur

4369. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of FINANCE pleased to state :

(a) the amount of Income-tax arrears in Udaipur. Rajasthan ;

(b) the names of the defaulting firms having arrears of over Rs. one lakh ;

(c) the reasons for not recovering the arreas ; and

(d) the amount of arrears recovered during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) The information regarding the gross Income-tax demand outstanding in Udaipur, Rajasthan as on 31.3.72 is being collected and will be laid on the Table of House as early as possible.

The information regarding the sauueu of the firms in Udaipur, Rajasthan, having arreas of Income-tax exceeding Rs one lakh as on 31.2.1972, the reasons for the pendency of the arrears and the amount of Income-tax recovered from these firms during the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72, is also being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

Loan from British Government for setting up of Ammonia Plant

4370. DR. SANKAT PRASAD :
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the British Government have granted a loan to India for setting up of an Ammonia plant;

(b) if so, the amount and terms and conditions thereof; and

(c) the location of the project and when it will be ready ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) & (b). An allocation of foreign exchange not exceeding

£ 7,740,000 out of the U. K/India Mixed Project Loans has been made in favour of M/s Southern Petro-chemical Industries Corporation Limited, Madras towards the foreign exchange costs of the ammonia plant of their fertilizer project. The loan is from the British Government to the Government of India and only foreign exchange facilities will be made available to the company. The funds available will be used to meet the sterling costs of equipment made in and services procured from U. K. Payments to the British contractors will be made by the company out of the said loan by opening an irrevocable letter of credit with their Bank in London.

(c) The fertilizer project is being established at Tuticorin in Tamil Nadu and is expected to go into production in 1974-75.

Arrangement for Hindi Newspapers and Hindi Journals in Government Hotels in Delhi.

4371. DR. SANKATA PRASAD : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is no arrangement to make available Hindi newspapers and Hindi journals in Government Hotels in Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) & (b) Hotels run by the India Tourism Development Corporation in Delhi supply daily English newspapers to guests free of charge. A Hindi newspaper is also made available free of charge whenever any guest asks for it. Besides, Hindi andEnglish journals are available on sale in the licensed book stall in the hotels.

Expenditure on Pakistani POWS in India

4372. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :
SHRI CHHATRAPATI AMBESH :
Will the Minister of DEFENCE be pleased to state the expenditure on Pakistani POWs, who surrendered to India during the last conflict, incurred upto 31st March, 1972 showing separately the amount spent on their food, lodging and pocket allowances ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) :

Rupees in Lakhs

Food	223.73
Lodging	16.68
Pocket allowances	42.14
TOTAL :	285.55

Scheme to Manufactur Superior Fighter Planes

4373. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to manufacture snperior fighter-planes and to increase the striking capacity of existing fighter-planes; and

(b) if so, the stage at which the matter stands at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) & (b) Studies are being carried out for the development of an

advanced technology aircraft for meeting the future requirements of the IAF. No final decision has been taken so far. The manufacture of an improved version of MiG-21 aircraft has been entrusted to HAL. The delivery of this aircraft is expected to commence from 1973-74. Consideration is also being given to the development of an improved version of HF-24 MK I aircraft.

Seizure of Smuggled goods in Bombay

4374. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the value of smuggled goods recovered in Bombay during the financial years 1969-70 and 1970-71 and 1971-72;

(b) the value of gold so recovered in Indian currency; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K.R. GANESH): (a) & (b) The value of smuggled goods seized in Bombay (metropolitan limits) during the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72 was as under:

	Gold (at international monetary rate) (Rs. lakhs)	*Other goods* (at Indian market rate) (Rs. lakhs)
1969-70	298.25	624.22
1970-71	280.13	677.76
1971-72	83.74	803.71

(c) 1269 persons were arrested in this connection.

दिल्ली में हशीश का पकड़ा जाना

4375. **श्री पी. गंगादेव :**

श्री बी. आर. शुक्ल .

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में दिल्ली में सात-लाख रुपये से अधिक मूल्य की हशीश पकड़ी है ;

(ख) क्या इस बारे में कुछ विदेशियों को भी गिरफ्तार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) मार्च 1972 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली में 46.52 किलोग्राम हशीश पकड़ी । भारत में अवैध बाजार में इसका मूल्य लगभग 46,000/- रुपये आंका जाता है । इस नशीले पदार्थ का निर्यात अमरीका को किया जाना था, जहां इसका मूल्य कई गुणा अधिक होगा ।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी तक कोई विदेशी गिरफ्तार नहीं किया गया है । लेकिन, दो भारतीय राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) जांच अभी जारी है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अप्राप्य ऋण

4376. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बैंको के राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि की तुलना में इन बैंकों के अप्राप्य ऋणों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1970 और वर्ष 1971 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीकृत बैंक के अप्राप्य ऋण कितने-कितने थे ; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) से (ग). ऐसा ऋण, जिसकी वसूली के सारे सम्भव तरीके विफल हो जायें अशोध्य ऋण माना जाता है, और ऋण के वसूल न हो सकने वाले उस भाग को प्रतिवर्ष वास्तव में बट्टे खाते डाल दिया जाता है। प्रतिवर्ष वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप देने से पहले सांविधिक लेखा-परीक्षकों के परामर्श से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये पर्याप्त व्यवस्था भी की जाती है और बट्टे खाते डाली गयी रकमों को उस व्यवस्था के अन्तर्गत समायोजित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के बहुत से कार्यालयों द्वारा किये गये कारोबार की मात्रा और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पिछले दो वर्षो से अशोध्य ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृति बनी हुई है। बेकारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 में, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के तलपट और लाभ तथा हानि लेखे के फार्म निर्धारित किए गए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ किसी वर्ष में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए की गई व्यवस्था अथवा उक्त व्यव था के अन्तर्गत वास्तव में समायोजित किए गए अशोध्य ऋणों को प्रकट करने कीं व्यवस्था नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को डकैती और दुर्विनियोग के परिणामस्वरूप हुई हानि

4377. **श्री अण्णासाहिब गोटखिन्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1971 से डकैती, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों को, प्रति वर्ष, धनराशि की हानि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बैंक लूटने और धोखाधड़ी आदि के मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) ऐसी हानि को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) और (ख). सम्भव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा और प्रक्रिया संबंधी प्रबन्ध पर निरंतरण विचार किया जाता है और जहां भी आवश्यक होता है बैंकों द्वारा उचित कार्यवाई भी की जाती है।

मुफ्फसिल क्षेत्रों में आवश्यक औषधियों की अत्यधिक कमी

4378. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशेषकर मुफ्फसिल क्षेत्रों में आवश्यक औषधियों की अत्यधिक कमी के बारे में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) और (ख). देश के विभिन्न क्षेत्रों में सारे ही औषधि के फार्मुलेशन्स की उपलब्धता पर मंत्रालय में निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। जब भी किसी विशेष ब्रांड की औषधि की कमी दृष्टिगोचर होती है, संबंधित क्षेत्रों में शीघ्रता से सप्लाई पहुंचाने के लिए, संबन्धित निर्माता के माध्यम से, उचित कार्यवाही की जाती है।

भारत में संयुक्त स्कंध कम्पनियां

4379. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के अन्त में राज्यवार कुल कितनी कितनी संयुक्त स्कंध कम्पनियां कार्य कर रही थी;

(ख) इन वर्षों के अन्त में उक्त संयुक्त स्कंध कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी राज्यवार कितनी थी;

(ग) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक नई चालू की गई संयुक्त स्कंध कम्पनियों के नामों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) युक्त अवधि के दौरान नई कम्पनियों की प्राधिकृत पूंजी का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). 1969-70, 1970-71 व 1971-72 (31-12-71 तक) के वर्षों की समाप्ति पर, कार्यरत कम्पनियों की संख्या एवं उनकी प्रदत्त पूंजी, राज्यवार, संलग्न विवरण-पत्र 1 में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—1890/72]

(ग) तथा (घ). गत तीन वर्षों, अर्थात्, 1969-70, 1970-71 व 1971-72 (31-12-71 तक) के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों की संख्या, उनकी अधिकृत पूंजी सहित, राज्यवार, संलग्न विवरण-पत्र 2, में सुशोभित है। इन कम्पनियों के नाम, एवं अधिकृत पूंजी सहित अन्य ब्यौरे विभागीय प्रकाशनों, 1-4-1969 से 31-3-1971 तक की अवधि की, संयुक्त स्कंध कम्पनियों पर त्रैमासिकी नील पुस्तक, एवं 1-4-71 से 30-9-71 तक की विभागीय पत्रिका "कम्पनी न्यूज़ एण्ड नोटिस" में प्रकाशित की गई है। (इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद सचिवालय पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी गई हैं।) 1-10-71 से 31-12-71 की अवधि की सूचना मुद्रित की जा रही रही है।

प्रत्यक्ष करों की बकाया राशि

4380. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्षवार और राज्यवार, प्रत्येक प्रत्यक्ष कर की कितनी, कुल और शुद्ध राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि ऐसी सूचना आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध है ।

वित्तीय वर्ष 1969-70 और 1970-71 के अन्त में आय-कर की सकल और शुद्ध बकाया रकम के बारे में ब्यौरे अनुबंधक में दिए गए हैं [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—1891/72]

वित्तीय वर्ष 1969-70 और 1970-71 के अन्त में धन-कर, दान-कर, व्यय-कर और संपदा शुल्क के सम्बन्ध में सकल बकाया रकम के बारे में ब्यौरे अनुबंध—"ख" में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—1891/72]

वित्तीय वर्ष 1971-72 के बारे में अपेक्षित ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे ।

राजस्थान में कम्पनियों का पंजीकरण और परिसमापन

4381. श्री **नरेन्द्रकुमार सांधी** : क्या **कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कार्य कर रही गैर-सरकारी और सरकारी कम्पनियों तथा भागीदारों वाली फर्मों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई थी और इस अवधि में पूंजी सहित इनमें से कितनी कम्पनियों/फर्मों की पंजीकृत किया गया था; और

(ख) राजस्थान में, इस अवधि में कितनी कम्पनियां और फर्में परिसमाप्त हो गई या उन्होंने अन्यथा अपना काम बन्द कर दिया और प्रत्येक की पूंजी कितनी कितनी थी ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) गत तीन वर्षों के मध्य, राजस्थान राज्य में कार्यरत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पजीकृत कम्पनियों की संख्या विशिष्टतः उनके पब्लिक लिमिटेड व प्राइवेट लिमिटेड के विभेद द्वारा उनकी प्रदत्त पूंजी संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है । इस अवधि के मध्य पंजीकृत कम्पनियां एवं उनकी अधिकृत पूंजी भी उनमें प्रदर्शित है ।

जहां तक साझेदारी फर्मों का सम्बन्ध है, वह राज्य सरकार का विषय है । (ख) उन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने, या तो परिसमापित होकर अथवा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत, उन्मूलित हो जाने के कारण, कार्य करना बन्द कर दिया है, गत तीन वर्षों के मध्य, निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	संख्या	प्रदत्त पूंजी (लाख रु० में)
1969-70	18	20.4
1970-71	5	7.9
1971-72 (1-4-71 से 31-12-71 तक)	7	23.3

विवरण

गत तीन वर्षों, अर्थात, 1969-70, 1970-71 व 1971-72 (1-4-71 से 31-12-71 तक) राजस्थान राज्य में कार्यरत एवं नवीन पंजीकृत कम्पनियों के ब्यौरे प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कार्यरत कम्पनियां						नवीन पंजीकरण					
	पब्लिक		प्राइवेट		योग		पब्लिक		प्राइवेट		योग	
	संख्या	प्रदत्त पूंजी	संख्या	प्रदत्त पूंजी	संख्या	प्रदत्त पूंजी	संख्या	अधि० पूंजी	संख्या	अधि० पूंजी	संख्या	अधि० पूंजी
1969-70	123	17.9	278	29.6	401	47.5	3	0.5	19	8.8	22	9.3
1970-71	126	18.5	317	37.9	443	56.4	6	1.1	41	2.2	47	3.3
1971-72 (1-4-71 से 31-12-71 तक)	125	18.5	348	38.2	473	56.7	2	0.8	35	3.8	37	4.3

चाय उद्योग के वित्त पोषण के बारे में रिजर्व बैंक के कार्यकारी दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

4382. **श्री के. बालदंडायुतम्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के वित्त पोषण के बारे में रिजर्व बैंक के कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या मुख्य रिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर रिजर्व बैंक ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। कार्यकारी दल ने फरवरी 1972 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

(ख) दल द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें संलग्न अनुबन्ध 'क' में दी गयी हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०—1892/72)

(ग) चाय उद्योग को अल्पावधिक ऋण की निरन्तर प्राप्ति से संबद्ध कार्यकारी दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए रिजर्व बैंक ने 8 मार्च 1972 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया था जिसमें अनुबन्ध 'ख' के अनुसार बैंकों द्वारा तत्काल की जाने वाली कार्रवाई बताई गई थी।

राज्यों का गैर-योजना व्यय

4383. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन :**
श्री वेकारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिभिन्न राज्यों के गेर-योजना व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में गैर-योजना कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) राज्यों के गैर-योलना कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने में सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों में राज्यों का आयोजना-भिन्न व्यय इस प्रकार था :—

	(करोड़ रुपयों में)
1968-69	2951
1969-70	3581
1970-71	3804 (अनन्तिम)

(ग) सरकार समय समय पर सभी राज्यों से यह अनुरोध करती रहती है कि वे आयोजनागत और आयोजना-भिन्न खाते के व्यय को अपने उपलब्ध साधनों के अन्दर सीमित रखें। ऋणों के रूप में विशेष सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जा रही है जिनके साधनों में योजना आयोग के निर्धारण के अनुसार, चौथी आयोजना की अवधि के दौरान ऐसी कमियां थीं जिनसे बचा नहीं जा सकता था।

कर संबंधी मामलों के निपटान के लिए उच्च न्यायालय की विशेष बैंचों की स्थापना

4384. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमेबाजी के कारण करों की वसूली में देरी होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केवल कर संबंधी मामलों को निपटाने के लिए सरकार का उच्च न्यायालय की विशेष बैंच स्थापित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां, आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य प्रत्यक्ष-कर कानूनों में यह व्यवस्था है कि विभागीय प्राधिकारी सम्बन्धित मांग की वसूली तब तक के लिए स्थागित रख सकते हैं जब तक अपीलों का निपटान नहीं हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा आयकर अपीलीय प्राधिकरण को भी, विवादग्रस्त कर की मांग की वसूली को तब तक स्थागित रखने के अधिकार है जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता। 31-12-1971 को उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों में, जिन पर स्थगन आदेश दे दिये गये थे, 21.20 करोड़ रु० की कर की रकम अन्तर्ग्रस्त थी। इसी प्रकार, निचले अपीलीय प्राधिकरणों में इसी तारीख को अनिर्णीत पड़ी अपीलों में कर की मांग के जिन मामलों में स्थगन आदेश दिये गये उनमें 67.56 करोड़ रु0 की रकम अन्तर्ग्रस्त थी।

(ख) यद्यपि उच्च न्यायालयो के विशेष न्यायपीठ गठित करने के लिए कोई व्यवस्था नही है, तथापि ऐसे कर सम्बन्धी मामलों तथा संबद्ध मामलों को निपटाने के लिए, जो बड़ी संख्या में अनिर्णीत पड़े हों, समय-समय पर न्याय पीठों का गठित किया जाना उच्च न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर है; उच्च न्यायाधीशों द्वारा उन्ही परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है जहां ऐसा करना आवश्यक होता है। प्रत्यक्ष-कर जांच समिति ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं, जो विचाराधीन हैं।

दिसम्बर, 1971 में मदुरै के निकट इण्डियन एयरलाइन्स के एवरो विमान की दुर्घटना के बारे में जाँच अदालत की रिपोर्ट

4385. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 में मदुरै के निकट इण्डियन एयरलाइन्स के एवरो विमान की दुर्घटना के बारे में जांच अदालत की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपतियां हैं; और

(ग) रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां, जांच-अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दुर्घटना विमानचालक के असावधानीपूर्वक दिक्चालन के कारण हुई।

(ग) रिपोर्ट, उस पर सरकार के निर्णय को दर्शाने वाली एक टिप्पणी सहित, संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी है। इसे 378-7 आर एल 1 इंडेक्स नम्बर दिया गया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार गृहों को ऋण

4386. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1971 में लगभग 75% ऋण एकाधिकार गृहों को दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1971 में भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा मंजूर किये गये और वस्तुतः दिये गये ऋणों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

लाख रुपयों में

	एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठान	अन्य प्रतिष्ठान
मंजूर किये गये	130	1357.50
ऋण	(8.74 प्रतिशत)	(91.26 प्रतिशत)
दिये गये ऋण	†144	††50:00

† ये वे ऋण दिये गये हैं जो 1968 में मंजूर किये गये थे। वर्ष 1971 में 130 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गये जिनमें से किसी ऋण की रकम वस्तुतः उस वर्ष में नहीं दी गई।

†† ये वे ऋण दिये गये हैं जो वर्ष 1970 में मंजूर किये गये थे। वर्ष 1971 में मंजूर किये गये ऋणों में से किसी की भी रकम वस्तुतः उस वर्ष में नहीं दी गयी क्यों कि विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होनी थी।

(ख) भारत का जीवन बीमा निगम, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देने के प्रश्न का विचार गुण-दोष के आधार पर करता है। साधारणतः, वह सार्वजनिक वित्तय संकाय के अंग के रूप में ऋण मंजूर करता है। भाग (क) में दिये गये आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकालना सही नही होगा कि भारत के जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1971 में 75% ऋण एकाधिकार प्राप्त प्रतिष्ठानों को दिये हैं

बजट का मुद्रास्फीति जनक प्रभाव

4387. **श्री पी. के. देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मार्च, 1972 को 'इकोनोमिक टाइम्स' में केन्द्रीय बजट के मुद्रास्फीति जनक प्रभाव के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस मत से सहमत नहीं है कि 1972-73 के केन्द्रीय बजट का प्रभाव मुद्रा-स्फीति अधिकारी होगा। वास्तविकता यह है कि 8 अप्रैल 1972 को समाप्त हुए सप्ताह में, सभी वस्तुओं के थोक मूल्य का सूचक अंक (1961-62—100) बजट पेश होने के ठीक पहले के सप्ताह अर्थात 11 मार्च 1972 को समाप्त हुए सप्ताह के सूचक अंकों के मुकाबले, 0·4 प्रतिशत नीचे आ गया।

दिल्ली में फिल्म वितरकों और सिनेमा मालिकों की ओर आयवर की बकाया धनराशि

4388. **श्री बी. डी चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक फिल्म वितरक और सिनेमा मालिक की ओर आयकर की कितनी कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) उक्त धनराशि कब से बकाया है; और

(ग) क्या उक्त धनराशि को वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गयी है। [ग्रन्यालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1893/72]

(ग) दिल्ली में फिल्त वितरकों और सिनेमा मालिकों में से प्रत्येक से बकाया कर वसूल करने के लिये की गयी बिशिष्ट कार्रवाइयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम का संशोधन

4389. **श्री एस. एस. सिद्धया** : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की बहुत सी कम्पनियों को अपेक्षित अविलम्बनीय राहत को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ को दिनांक 15 जनवरी 1971 के एक सरकारी पत्र में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166(2) के प्रस्तावित संशोधन के बारे में आश्वासन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) संघ को कहा गया था कि कानून के संशोधनार्थ उनका सुझाव यथा समय विचारार्थ विशुत कर लिया गया है।

(ख) इस प्रकार के किसी संशोधन के लिए, तुरन्त कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान, 21-4-1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3577 के उत्तर में, सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये भाग (ग) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

4390. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने महाराष्ट्र और बिहार में कृषि विपणन सुविधाओं में सुधार करने के लिए 33 करोड़ रुपये के दो ऋणों का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) ऋण के उपयोग के लिए बिहार और महाराष्ट्र में क्या विशेष परियोजनाएं तैयार की गई गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). भारत सरकार ने 29 मार्च, 1972 को, नरम शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना और बिहार कृषि मंडी परियोजना के लिये क्रमशः 3 करोड़ और 1.4 करोड़ अमीरीकी डालरों के ऋणों के करारों पर हस्ताक्षर किये थे। इन परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. **महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना** : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का 30 करोड़ डालर का ऋण महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए है जो महाराष्ट्र में कृषि विकास के लिए ऋण देने के कार्यक्रम का एक अंग है और इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

(i) महाराष्ट्र राज्य सरकारी भूमि बिकास बैंक लिमिटेड के प्राथमिक बैंकों तथा कुछ वाणिज्यिक बैंकों की मार्फत किसानों को भूमि के विकास के लिए और छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए, जिनमें मौजूदा कुओं पर पम्पसेट लगाना भी शामिल है, दिये जाने वाले ऋणों की वित्त-व्यवस्था करने का तीन-वर्षीय कार्यक्रम। इन ऋणों की पुर्नवित्त-व्यवस्था कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा की जायेगी।

(ii) भूमि को खेती योग्य बनाने और कुए खोदने के उपकरणों तथा नदी-मापन और जल विज्ञान सम्बन्धी अन्य उपकरणों की फालतू पुर्जों सहित व्यवस्था; तथा

(iii) भू-विज्ञान तथा जल विज्ञान सम्बन्धी विस्तृत विश्लेषणों के लिए भूमिगत जल का सर्वेक्षण तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

2. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 38.89 करोड़ रुपया है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 3 करोड़ डालर अर्थात् 21.84 करोड़ रुपये के ऋण से कुल लागत के लगभग 56 प्रतिशत की वित्त-व्यवस्था हो जायेगी।

(ii) **बिहार कृषि मंडी परियोजना**—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का 1.4 करोड़ डालर का ऋण बिहार कृषि मंडी परियोजना के कार्यान्वय में सहायता देने के लिए है जो बिहार में विनियमित कृषि मंडियों के विकास के कार्यक्रम का एक भाग है तथा इस परियोजना

के अन्तर्गत बिहार के लगभग 50 शहरों में इस प्रकार की विनियमित मंडियों के लिए, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण विपणन समितियों के हाथ में होगा, को सुविधाओं (जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि, उपकरण, प्रवेश-मार्गों, चहार-दीवारी, आवश्यक उपयोगी सेवाओं, गोदामों तथा कार्यालय स्थान सम्बन्धी सुविधाएं शामिल हैं) की व्यवस्था की जायगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 17 करोड़ रुपया है तथा इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के 1.4 करोड़ डालर (लगभग 10.16 करोड़ रुपये) के ऋण से, कुल लागत के 60 प्रतिशत का वित्त-प्रबन्ध हो जायगा। ऋण के अन्तर्गत प्राप्त रकमें भारत सरकार द्वारा कृषि पुर्नवित्त निगम को उधार दी जाएंगी तथा कृषि पुर्नवित्त निगम, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विपणन समितियों को दिये गये ऋणों की पुर्नवित्त-व्यवस्था करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण की सारी रकम, स्थानी मुद्रा व्यय के आधार पर विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगी।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता परन्तु उन पर केवल एक प्रतिशत के 3/4 की वार्षिक दर से सेवा प्रभार लगता है तथा ये ऋण 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्ष की अवधि में वापस चुकाये जाने हैं।

बिदेशी सहायता के उपयोग में कमी

4391. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से विदेशी सहायता के उपयोग में कमी रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वचनबद्ध सहायता के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई कार्रवाही की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) जैसा कि 1971-72 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है पिछले कुछ वर्षों में विदेशी सहायता के उपयोग में लगातार कमी हुई है।

(ख) यह कमी मुख्यतः देश में खाद्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण अमरीकी पी. एल. 480 खाते के अन्तर्गत, कम मात्रा में लाभ वस्तुएं आयात किये जाने के परिणामस्वरूप हुई हैं। इसके अलावा, सहायता के उपयोग के मुकाबले में नयी सहायता के लिए अपेक्षाकृत कम बचन प्राप्त होने के कारण, मार्गस्थ (पाइप-लाइन) सहायता में से कम रकमों की निकासी करने से भी सहायता का कम उपयोग होता है।

(ग) परियोजनाओं को निर्धारित समय में क्रियान्वित कर के और आयात के लाइसेंस देने की कार्यप्रणाली में सुधार करके सहायता के उपयोग के स्तर को ऊंचा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

Branches of Nationalised Banks in Bihar

4392. SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of branches of Nationalised Banks in Bihar, District-wise; and

(b) the number of branches opened during 1971-72 District-wise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SHUSHILA ROHATGI) : (a) and (b) : Statement containing the information is enclosed in the Annexure. [*Placed in the literary See.* No. L.T. 1894/72]

Grant of Licences to Companies in Bihar

4393. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether licences to set up new companies in Bihar have been granted during the year 1971-72;

(b) if so, the names thereof;

(c) whether Government have also provided financial assistance to certain Companies; and

(d) if so, the amount of assistance provided ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) : (a) & (b). It is presumed that reference in this question is to Industrial Licences granted under the Industries (Development & Regulation) Act. Such licences were issued to the following parties in Bihar in 1971-72 :—

(1) M/s. Techno Engineers, Calcutta;

(2) Shri Phul Chand Ram, (Jilwary (Churi) Colliery), At & P.O. Godda, Distt. Santhal Parganas, Bihar.

(3) The Chairman, Bokaro Steel Ltd., Bihar—a public sector undertaking.

(4) Shrimati Durgeshwari Sahi, Maharani of Hathwa, Patna.

(c) & (d). Information in respect of the financial assistance, if any, to the above parties is being collected and will be placed on the Table of the House.

विस्फोटक सामग्री का निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

4394. **श्री डी० के० पंडा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विस्फोटक सामग्री को निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना करने का है; और

(ख) क्या कारखाने की स्थापना करने के लिए उड़ीसा के किन्ही स्थानों पर विचार किया किया गया है और और यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में विस्फोटक कारखाने के लिए किसी स्थान के बारे में विचार नहीं किया गया था।

भुबनेश्वर और काठमांडु के बीच सीधी विमान सेवायें

4395. **श्री डी. के. पंडा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटकों की असुविधा को देखते हुए पटना के रास्ते भुबनेश्वर और काठमांडु के बीच सीधी विमान सेवाओं का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि काठमांडु/पटना/भुबनेश्वर क्षेत्र पर तथा वापिस एक सेवा परिचालित की जाये।

(ग) इण्डियन एयरलाइन के लिये इस सुझाव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

त्रिपुरा में त्युसिन्दराये में हवाई अड्डे के निर्माण में प्रगति

4396. **श्री दशरथ देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में तेलियामूरा के निकट त्युसिन्दराये में हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस हवाई अड्डे के निर्माण के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). त्रिपुरा में तेलियामूरा के निकट एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

त्रिपुरा में पर्यटन केन्द्रो का विकास

4397. **श्री दशरथ देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को वहां पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये सहायता देने को सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा. कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन स्कीमों के लिये राज्य की 5 लाख रुपये की योजनागत व्यवस्था है।

(ख) हाल में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

20 बड़े उद्योग-गृहों के कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा

4398. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 बड़े उद्योग-गृहों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कोई सरकारी निकाय है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा निकाय बनाने का है ; और

(ग) क्या सरकार को इन बीस उद्योग-गृहों के कर्मचारियों द्वारा बलात् त्योग-पत्रों के किसी मामले की जानकारी है और यदि हां तो ऐसे कितने मामले हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बीस वृहद् उद्योग-गृहों के कर्मचारियों के लिए कोई पृथक उपबन्ध नहीं है ।

(ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 635 ख के अन्तर्गत कोई भी ऐसा विषय सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है ।

गोआ के मुख्य मन्त्री के नाम में खनिज कम्पनियों में शेयर

4399. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खनिज कम्पनियों के नाम और संख्या क्या है, जिनके शेयर गोआ के मुख्य मंत्री के नाम में हैं ; और

(ख) क्या इस स्रोत से गोआ के मुख्य मंत्री की वार्षिक आय का अनुमान सरकार ने लगाया है और यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) सूचना विवरण में दी गयी है ।

(ख) मैसर्स डी० बी० बन्दोडकर एण्ड संस प्रा० लि०, पणजी ने व्यापार शुरू नहीं किया है : मैसर्स ओरियंट (गोआ) प्रा० लि०, मारगोआ ने हानि के कारण कोई लाभांश घोषित नहीं किया है । इस लिए कर-निर्धारण वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में इन शेयरों से कोई आय नही हुई है ।

दिवरण

गोआ के मुख्य मंत्री, श्री डी. बी. बन्दोडकर के पास खनिज कम्पनियों के शेयरों की संख्या और उन कम्पनियों के नाम, जिनमें कर-निर्धारण वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 से सम्बद्ध अवधियों में उनके शेयर थे, निम्नानुसार हैं :—

कर-निर्धारण वर्ष	कम्पनी का नाम	शेयरों की संख्या
1969-70	(i) डी. बी. बन्दोडकर एंड संस प्रा. लि., पणजी	100 रु. वाले 21 शेयर
	(ii) ओरियंट (गोआ) प्रा. लि., मारगोआ	नामजद व्यक्तियों के नाम में 100 रु. वाले 4900 शेयर
1970-71	-यथोपरि-	-यथोपरि-
1971-72	उपर्युक्त के अलावा	
	(iii) ओरियंट (गोआ) प्रा. लि., मारगोआ	स्वयं अपने नाम में 100 रु. वाले 5100 शेयर

बंगला देश में भारतीय युद्ध बन्दियों पर अत्याचार करने वाले पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर मुकदमा चलाया जाना

4400. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1971 की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के दौरान बंगला देश के फरीदपुर, कुशहा तथा अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय युद्ध बन्दियों पर किये गये अत्याचारों की जांच कराने के बारे अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों में इन अत्याचारों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को पहचान लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो जनेवा कनवेंशन के अन्तर्गत उन्हें युद्ध अपराधी घोषित करने तथा इसके लिये उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) इन अत्याचारों की जांच करने तथा इसके लिए उत्तरदायी पाकिस्तानी सैनिक कार्मिकों की पहचान करने तथा उन्हें ढूंढने के लिए जांच कार्य प्रगति पर है ।

भारत में तस्करी का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

4402. **श्री वी. आर. शुक्ल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिनी-मैक्या' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर संगठन काफी समय से देश में सक्रिय है और भारत में तथा भारत से बड़े पैमाने पर तस्कर आयात-निर्यात में उसका हाथ है ; और

(ख) इस गिरोह को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के.आर. गणेश) : (क) देश में सक्रिय 'मिनी-मैक्या' नाम के किसी अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर-व्यापार संगठन के बारे में सरकार को पता नहीं है ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

Pak Preparedness for another War with India

4403. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the 'Nav Bharat Times' dated the 8th April, 1972 under the caption 'Pakistani Bharat seek aur yudh ki firaak men'; and

(b) if so, the reaction of Goverment thereto ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) All related military developments in Pakistan continue to be watched and taken into account in our defence plans.

वर्ष 1971-72 में उड़ीसा सरकार को प्राप्त हुई धनराशि

4404. **श्री कुमार मांझी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने 1971-72 में केन्द्र से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितना धन प्राप्त किया ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने 1971-72 में केन्द्र सरकार से प्राप्त सभी धन खर्च कर दिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार का हिस्सा, संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत अनुदान और रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले अनुदान वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिये जाते हैं । अल्प बचत ऋण राज्य में इकट्ठी की गयी अल्पबचत की राशि में राज्य सरकार के हिस्से के द्योयक हैं । जहां तक अन्य ऋणों और अनुदानों का सम्बन्ध है, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को अदायगी तभी की जाती है जब उनके द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के

आधार पर वे इसके हकदार हों। इस प्रकार विवरण में दिखायी गयी रकम राज्य सरकार की हकदारी सहायता के इस्तेमाल की द्योतक है।

विवरण

1971-72 में उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र से विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त की गयी रकम

(करोड़ रुपयों में)

	1971-72
1. केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा	37.57
2. अनुदान	
1. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान (मूलभूत व्यवस्था)	20.94
2. रेल यात्री भाड़े पर कर के बदले अनुदान	0.38
3. राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	9.61
4. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	9.67
5. दैवी विपनियों सम्बन्धी राहत पर होने वाले व्यय के लिए सहायता अनुदान	3.00
6. अन्य आयोजना-भिन्न अनुदान	4.71
जोड़-2	48.31
3. ऋण	
1. अल्प बचतों के संग्रह में राज्य सरकार के हिस्से में से ऋण	4.27
2. राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	22.39
3. केन्द्र प्रयोजित प्रायोजनाओं के लिए ऋण	1.06
4. दैवी विपत्तियों सम्बन्धी राहत पर होने वाले व्यय के लिए सहायता ऋण	10.00
5. कृषि प्रयोजनों के लिए अल्पावधिक ऋण	4.88
6. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	21.67
जोड़-3	64.27

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं।

पर्यटकों के लिये होस्टलों/होटलों की व्यवस्था

4405. **श्री अम्बेश:** क्या **पर्यटन और नागर** विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके **मंत्रालय ने** देश में पर्यटकों के लिये किन किन ऐतिहासिक स्थानों पर होस्टलों/होटलों की **व्यवस्था** की हुई है और पर्यटकों से भोजन और आवास के लिये प्रतिदिन क्या लिया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा. कर्ण सिंह): पर्यटन विभाग द्वारा हाम्पी, अमृतसर, जयपुर, भोपाल औरंगाबाद, पालिटाना, त्रिवेन्द्रम्, मद्रास, गोआ, हैदराबाद पुरी, पटनीटॉप, दार्जीलिंग, नैनीताल तथा मनाली में युवा होस्टल स्थापित किये जा रहे हैं। युवा होस्टलों में भोजन तथा निवास संबंधी प्रभारों का अनुमान तैयार किया जा रहा है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित होटलों तथा यात्री-लॉजों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

होटल का नाम	निवास प्रभार		भोजन प्रभार
अशोक होटल, नई दिल्ली	सिंगल रूम 90 00 रुपये)	+10 प्रतिशत	भोजन कार्ड
	डबल रूम 150-00 रुपये)	सेवा प्रभार	के अनुसार
अकबर होटल, नई दिल्ली	सिंगल रूम 85-00 रुपये		भोजन कार्ड
	डबल रूम 135-00 रुपये		के अनुसार
होटल जनपथ, नई दिल्ली	सिंगल रूम 45.00- 55.00 रु०)	+10 प्रतिशत	भोजन कार्ड
	डबल रूम 80.00.100.00 रु०)	सेवा प्रभार	के अनुसार
होटल रणजीत, नई दिल्ली	सिंगल रूम 27.00-45.00 रु०)	+10 प्रतिशत	भोजन कार्ड
	डबल रूम 40.00-65.00 रु०)	सेवा प्रभार	के अनुसार
लोधी होटल, नई दिल्ली	सिंगल रूम 27.00-45.00 रु०)	+10 प्रतिशत	भोजन कार्ड
	डबल रूम	सेवा प्रभार	के अनुसार
होटल अशोक, बंगलौर	सिंगल रूम 75.00 रुपये)	+10 प्रतिशत	भोजन कार्ड
	डबल रूम 115.00 रुपये)	सेवा प्रभार	के अनुसार

यात्री लाज	निवास स्थान तथा भोजन प्रभार	
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	सिंगल रूम 45.00- 65.00 रुपये)	+10 प्रतिशत
	डबल रूम 75.00-105.00 रुपये)	सेवा प्रभार
कोचालम पैलेस होटल, कोचालम	सिंगल रूम 35.00-65.00 रुपये)	+10 प्रतिशत
	डबल रूम 65.00-90.00 रुपये)	सेवा प्रभार
खजुराहो	सिंगल रूम 44.00 रुपये	
महाबलिपुरम्	डबल रूम 75.00 रुपये	
मदुराई		
भुवनेश्वर	सिंगल रूम 40.00 रुपये	
मनाली तथा कुल्लू	डबल रूम 70.00 रुपये	

हसन		
बोधगया		
थन्जावर		सिंगल रूम 35.00 रुपये
बीजापुर		डबल रूम 60.00 रुपये
कांचीपुरम्		
तिरु चिरापल्ली		
कोणार्क		
कुशीनगर		सिंगल रूम 30.00 रुपये
सांची		डबल रूम 55.00 रुपये
माण्ड़		
भरतपुर		

जहाजों की खरीद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा ऋण की मंजूरी

4406. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जहाज खरीदने के लिए आई. डी. ए. द्वारा मंजूर किए गए ऋण को प्राप्त करने के बारे में सरकार को कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश:) (क) और (ख). 7 मार्च 1972 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने भारतीय जहाजरानी निगम को 6 तेलवाहक जाहज खरीदने के लिए 830 लाख डालर का ऋण देना स्वीकार किया वशर्ते कि अन्तर्राट्रीय विकास संघ के पास साधन उपलब्ध हों। ऋण-करार पर हस्ताक्षर अन्तर्राष्ट्री विकास संघ के साधनों की पुन: पूर्ति के बाद किए जायगें। ऋण की रकम करार पर हस्ताक्षर होने और उसके प्रभावी होने के बाद निकालनी शुरू की जायगी।

सशस्त्र सेनाओं के विशेष भत्तों की दरें

4407. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं के अफसरों तथा अन्य कर्मचारियों को दिये गये प्रत्येक किस्म के विशेष भत्ते की दर क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री **जगजीवन राम**): तीनों सेनाओं के अफसरों तथा कार्मिकों को ग्राह्य विभिन्न भत्तों के ब्यौरे सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों तथा रक्षा स्थापनाओ में सिविलियनों की सेवा शर्तों पर पुस्तक 1972 में दिए गए हैं, जिसकी अभी हाल में प्रति रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सब संसद सदस्यों को परिचालित की गई है।

Opening of Branches of Nationalised Banks in Rohtak (Haryana)

4409. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of branches of nationalised banks opened in Rohtak District in Haryana State after nationalisation of banks and the number of branches functioning there prior to the nationalisation; and

(b) the amount of loans advanced to farmers and landless persons by these banks during 1970-71 and 1971-72 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : (a) As on 19th July, 1969 i.e. the date of nationalisation, 14 offices of the nationalised banks were functioning in Rohtak District of Haryana State. Since then and upto 29th February, 1972, 8 more offices of nationalised banks have been opened. Thus, on 29.2.1972, 22 offices of nationalised banks were functioning in the District. Besides, 10 offices of the State Bank of India, 4 offices of the State Bank of Patiala and 10 offices of banks in private sector were also functioning in this District on this date, making a total of 46 offices.

(b) Information to the extent possible is being collected and will be laid on the table of the House.

सरकारी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में अंशदान

4410. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य भविष्य निधि में कुछ विभागों के कर्मचारियों का अंशदान, जिसका लेखा-जोखा केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, नई दिल्ली द्वारा रखा जाता है, 1970-71 और 1971-72 के लिए लेखाबद्ध नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त वर्षों के लिए अंशदान को कब तक लेखाबद्ध कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) संभवतः, माननीय सदस्य का संकेत अभिदाताओं को भविष्य निधि लेखाओं के वार्षिक विवरण-पत्र जारी नहीं किए जाने की ओर है। 1971-72 के विवरण-पत्र जारी करने का अभी समय नहीं हुआ है जबकि 1970-71 के विवरण-पत्र कुछ मामलों में अभी जारी होने हैं।

(ख) जिन विभागों के कर्मचारियों को 1970-71 के विवरण-पत्र अभी पहुंचने हैं उनके नाम ये हैं :—

(i) वित्त मंत्रालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।

(ii) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।

(iii) मंत्रिमंडल सचिवालय (सांख्यिकी विभाग)।

(iv) दिल्ली पुलिस।

(v) दिल्ली प्रशासन के अधीनस्थ सरकारी स्कूल और अस्पताल।

(vi) योजना आयोग और

(vii) भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कुछ कार्यालय।

उपर्युक्त विभागों के सम्बन्ध में, लेखा विवरण-पत्र जारी करने में विलम्ब का कारण यह है कि 1-4-70 से हिसाब रखने में संगणक का प्रयोग करने संक्रमण-काल में होने वाली कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं।

(ग) उपर्युक्त विभागों से सम्बन्धित 1970-71 के लेखा विवरण-पत्र लभभग एक महीने में तैयार होने की संभावना है।

भारत को ऋण संबंधी राहत के बारे में विश्व बैंक की सिफारिशें

4411. **श्री पी० बेंकटासुब्बया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सहायता सार्थ-संघ से यह सिफारिश की है कि ऋणदाता देशों को भारत पर देय ऋणों को चुनीदा तरीके से रद्द करने और भारत को दी जाने वाली ऋण संबंधी राहत को दुगना करने पर विचार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ऋणदाता देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) से (ग). यह पता लगा हैं कि भारत सहायता संघ के सदस्यों के प्रतिनिधियों के एक कार्यकारी दल ने, भारत को ऋण-शोधन सम्बन्धी राहत देने के प्रश्न पर 24 अप्रैल 1972 को, पेरिस में विचार किया था। इसके परिणाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

जम्मू के निकट पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा नये बंकरों का निर्माण

4412. **श्री पी० बेंकटासुब्बया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से 140 किलोमीटर दूर, राजौरी के झांगर सेक्टर में दो भारतीय ग्रामों, सेर और मखांधराली के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी अग्रिम चौकियों के लिए नये बंकरों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) अपनी रक्षा योजनाएं बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखा गया है।

SHORTAGE OF SMALL COINS

4413. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether on account of shortage of small coins in the country, a number of persons have been caught indulging in black marketing in small coins; and

(b) if so, the number of such cases which have come to the notice of Government and the action taken against the persons concerned in this connection ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as received.

Difficulty iu obtaining Small Coins from Reserve Bank of India

4414. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that the people are experiencing great difficulty in obtaining small coins from the Reserve Bank of India;

(b) whether a person is not issued small coins for more than one rupee at a time by the bank and the bank employees are selling these small coins in the black market; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : (a) Government are aware that the shortage of small coins still continues to be felt in some parts of the country, but the position has considerably improved in recent months with the introduction of 10P Al. Mg. coins and 25P and 50P Cupro-nickel coins and the increase in supply to the public.

(b) & (c) The minimum of small coins that is now being issued over the Bank's counters in various offices is worth Rs. 7.75 for each individual. The scale of issue at the counters is regulated by the Bank with a view to deterring the activities of the middlemen who repeatedly stand in queues for collecting coins with the ostensible purpose of hoarding and trading at profit. The Bank has, however, simultaneously liberalised the issues to institutions such as, banks, Government departments, Transport undertakings, Mills, Hotels, Companies and other organisations which require small change on a large scale for their bonafide business purposes. There are certain complaints against the bank employees selling small coins in the black market. There is however no evidence to substantiate the allegation.

सीमा-शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में कार्य कर रहे कर्मचारी

4415. **श्री एस. एम. सिद्धय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क कार्यालय कलकत्ता में सीधी भर्ती से आये अधिकारियों और निवारक अधिकारी ग्रेड i एवं ग्रेड ii तथा निरीक्षकों के रूप में पदोन्नत अधिकारियों को स्थायी करने की तारीखों के निर्धारण के मामले में क्या नियम अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या कुछ अधिकारियों के मामले में नियुक्ति और स्थायी होने की तारीख एक ही रहती है; जबकि कुछ अन्य मामलों में उनमें काफी अन्तर होता है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्णतया आरक्षित पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर, इस संबंध में भेदभावपूर्ण व्यवहार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यालय में स्थायी ग्रेड i और ii के निवारक अधिकारियों और निरीक्षकों की उक्त ग्रेडो में क्रमशः नियुक्ति और स्थायी होने की तारीखों सहित उनके नामों की सूची सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) स्थायीकरण के प्रयोजनों के लिए, सीधे भर्ती किए गये तथा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण, वर्तमान में सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत किए गए कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रिक्त स्थानों के आवर्तन के आधार पर किया जाता है जो क्रमशः सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नत किए गए कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रिक्त स्थानों के कोटे पर आधारित होता है।

(ख) हाल ही के विगत समय में, कलकत्ता सीमाशुल्क गृह के किसी भी निवारक अधिकारी को उसके ग्रेड में नियुक्त किए जाने की तारीख से स्थायी नहीं बनाया गया है।

(ग) कलकत्ता सीमाशुल्क-गृह में अनुसूचित जाति के दो निवारक अधिकारियों ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि चूंकि वे अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये थे, इसलिए उन्हें ऐसे गेर-अनुसूचित जाति के निवारक अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाना चाहिए जिनकी नियुक्ति उनके पूर्व की गई थी। इसे विभेदकारी व्यवहार कहा जा सकता है अथवा नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है।

(ग) स्थायीकरण की तारीखों की विद्यमान सूची में परिवर्तन किया जा सकता है। जो इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले के निहितार्थों के संबंध में सरकार क्या निर्णय करती है। उस स्थिति में संशोधित सूचियां तैयार करने में कुछ समय लग ही जायगा। किन्तु, यदि विद्यमान सूची को सभापटल पर रखने के लिए कहा जाता है तो ऐसा किया जा सकता है।

कलकत्ता सीमा-शुल्क कार्यालय में निवारक अधिकारी

4416. **श्री एस. एम. सिद्धय्या** : **क्या वित्त मंत्री** कलकत्ता सीमा शुल्क कार्यायल में निवारक अधिकारियों की वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण के बारे में 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न सं० 3907 और 20 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कितने समय से यह मामला विचाराधीन है;

(ख) क्या इस मामले में इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है; और यदि नहीं, तो क्या मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) से (ग). मामला 11 नवम्बर 1968 से अनिर्णित चला आ रहा है। कुछ ग्रेड 1 निवारक अधिकारियों को, जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के अधिकारी शामिल है, कलकत्ता सीमा शुल्क गृह में, जनवरी 1967 में उसी तारीख से स्थायीकर दिया गया था। उनकी पारस्परिक वरीयता का निर्धारण, उक्त ग्रेड में उनकी सेवा की अवधि के संदर्भ में किया गया था। अनुसूचित जाति के अधिकारी ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया कि उसे सुरक्षित रिक्त स्थान में किसी पूर्ववर्ती तारीख से ही स्थायी बना दिया जाना चाहिए था और यह कि उसकी वरीयता रोस्टर के अनुसार निर्धारित की जानी

चाहिए, न कि उक्त ग्रेड में उसकी सेवा की अवधि के अनुसार। इससे, उपर्युक्त विषय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के सही अर्थ-निरुपण का प्रश्न उपस्थित हो गया जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हो सकती है। साथ ही यह प्रश्न भी उत्पन्न हो गया कि स्थायी बनाते समय रोस्टर का ठीक-ठीक अनुसरण किया गया था अथवा नहीं। इन प्रश्नों पर कार्मिक विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। इस पर मतभेद रहा है। इसी बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने वरीयता के प्रश्न पर हाल ही में फैसला दिया है, जिसका इन अन्तर्गस्त मामलों के साथ सम्बन्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दृष्टि में रखते हुए अब इस समूचे प्रश्न की कार्मिक विभाग तथा बिधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके समीक्षा की जा रही है। तथापि, मामले को यथा शीघ्र अन्तिम रूप देने के हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

आसाम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

4417. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लीड बैंक' योजना प्रारम्भ होने के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की आसाम में कितनी नई शाखायें खोली गई हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी नई शाखाओं के खोले जाने की सम्भावना है।

वित्त मंत्रालय में उपमत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 'लीड बैंक' योजना के प्रारम्भ अर्थात् जनवरी 1970 से 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने असम में 52 नये कार्यालय खोले हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक ने इसी अवधि में इस राज्य में 10 कार्यालय खोले हैं।

(ख) असम में 24 और कार्यालय खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लाइसेंस/आबंटन पड़े हुए है तथा चालू वर्ष में ही इन कार्यालयों के खुल जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अगले एक वर्ष के दौरान इस राज्य में 10 कार्यालय खोले जाने की सम्भावना है।

Poposal for Aerodrome and Cantonment at Pithoragarh (U.P.)

4418. SHRI MOHAN SWARUP : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether there is a proposal before Government to set up a big Aerodrome and a Cantonment at Pithoragarh, Uttar Pradesh;

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon; and

(c) the time by which the proposal will be implemented ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) There is no proposal to set up a big aerodrome and a Cantonment at Pithoragarh but Government have approved the setting up of a military station at this place.

(b) Approximately Rs. 20.75 crores.

(c) 1976.

केरल में रसायन उर्वरक कारखाने

4419. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन किन स्थानों पर रसायन उर्वरक कारखाने स्थित हैं;

(ख) उक्त कारखानों में किस किस्म के रसायन उर्वरकों का उत्पादन होता है तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. का उद्योग मंडल में एक एकक परिचालनावस्था में है। तथा अम्बालामेडु में दूसरा एकक (कोचीन प्रोजेक्ट फेज—1) में परीक्षण उत्पादन हो रहा है।

(ख) अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार है :—

	('000 मीटरी टन में)
अमोनियम सल्फेट	130
अमोनियम फास्फेट	59
अमोनियम क्लोराइड	9
सुपर फास्फेट	16
एल्ट्राफोस	3

(ग) जी हां। निम्नलिखित योजनाएं (स्कीम) कार्यान्वयनाधीन है :—

[i] चालू एककों में अनुकूलतम उत्पादन के लिए, बाधा अवरोधक योजना।

[ii] उद्योगमंडल में विस्तार प्रायोजना का चौथा चरण।

[iii] कोचीन प्रायोजना—फेज—2

केरल में उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

4420. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में गत दो वर्षों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की जिलेवार कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) ऐसे कितने मामले दो वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विगत दो वर्षों से केरल राज्य में वसूली के लिये पड़ी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया की कुल रकम 40,18,000 रुपये है।

बकाया के जिला-वार आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। केरल राज्य के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के चार प्रभाग है। तथापि, प्रभाग-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

प्रभाग	रकम (हजार रुपयों में)
(i) **कोझी कोड** (जिसमें कोझीकोड, कन्नानूर तथा मालापुरम जिले आते हैं)	114
(ii) **एरणाकुलम्** (जिसमें त्रिचूर, पालघाट तथा एरणाकुलम् का एक भाग आता है)	2816
(iii) **कोट्टायम्** (जिसमें इडिक्की, कोट्टायम् तथा क्विलांन और एलेप्पी तथा एरणाकुलम जिले के कुछ भाग शामिल है)	654
(iv) **त्रिवेन्द्रम** (जिसमें त्रिवेन्द्रम तथा क्विलान और एलेप्पी जिलों के भाग शामिल है)	434

(ख) 1084 मामले।

(ग) मांगों के एक बहुत बड़े भाग के बारे में न्यायालयों में तथा विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष अपीलें तथा नजरसानी की दरखवस्ते दायर की गई है। 6 लाख से ऊपर की रकम के बारे में न्यायालयों में मामले अनिर्णित पड़े हैं और इसलिए यह न्याय निर्णयाधीन है। लगभग 22 लाख रु० की रकम अपीलों तथा नजरसानी की दरख्वास्तों के कारण रुकी पड़ी है। लगभग 4 लाख रुपये की रकम की वसूली के लिए प्रान्तीय प्राधिकारियों को कहा गया है। शेष रकम अर्थात लगभग 8 लाख रुपयों की रकम के बारे में समझाने बुझाने की कार्यवाही की जा रही है। बकाया की वसूली के लिये किये जा रहे उपायों में से कुछ निम्नलिखित है :—

सरकारी वकीलों के जरिये अदालतों के शीघ्र फैसला करने के लिये कहा गया है। अनिर्णीत अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं को अन्तिम रूप देने के निमित्त, विभागीय प्राधिकारियों को भी अनुदेश दिये गये हैं। राज्य सरकार से कहा गया है कि उसे सूचित की गई रकमों की शीघ्र वसूली की जाय। अन्य बकाया रकमों की वसूली के लिये बकाया वसूली दस्तों का गठन किया गया है।

केरल में आयकर की बकाया राशि

4421. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने कि :

(क) गत दो वर्षों से केरल राज्य में जिलेवार आयकर की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) ऐसे कितने मामले दो वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) केरल राज्य में आयकर की बकाया के बारे में जिलेवार सूचना इकट्ठी करने में बहुत अधिक समय लगने की संभावना है। आयकर आयुक्त, केरल के कार्यक्षेत्र में 31-3-1971 को आयकर की शुद्ध बकाया रकम 4·59 करोड़ रुपये थी। 31-3-1972 को आयकर आयुक्त, केरल के कार्यक्षेत्र में आयकर की शुद्ध बकाया रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग). आयकर आयुक्त, केरल के कार्यक्षेत्र में 31-3-1972 को जिन मामलों में दो वर्ष से अधिक अवधि से आयकर की रकम बकाया पड़ी थी उनकी संख्या और इन बकाया रकमों को वसूल करने के लिए किये जा रहे उपायों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केरल में पूंजीनिवेश

4422. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् केरल राज्य सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा की;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राज्य में कुल कितनी पूंजी लगाई; और

(ग) कुल पूंजी निवेश में से कृषि क्षेत्र तथा लघु उद्योग को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : (क) बैंक आमतौर पर राज्य सरकारों से जमा की रकमें प्राप्त नहीं करते।

(ख) और (ग) अपेक्षित रूप से सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यह सम्भव सीमा तक एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Proposed Strike by Government Central Employees Posted at Chandigarh

4423. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Central Government employees posted at Chandigarh propose to go on strike to press their demand for city compensatory allowance;

(b) whether they were getting C.C.A. in the past but the same was withdrawn after 1969; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R K. GANESH) : (a) and (b). According to available reports, Central Government employees posted at Chandigarh have been agitating for restoration of the Special Compensatory Allowance previously admissible to them, which was withdrawn from 1-1-1964. No definite information has been received about any contemplated strike by Central Government servants in Chandigarh in this connection.

(c) The matter is under examination.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता के एक बैंक में हुई धोखा-धड़ी का समाचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही (भुवनेश्वर) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान अविलम्नीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"कलकत्ता में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में गत 12 महीनों के दौरान साठ लाख रुपये की धोखा-धड़ी का समाचार"

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मैंने कल यह समाचार आकाशवाणी पर सुना था ; क्या यह जानकारी सरकार ने दी थी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर ही दे लेने दें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. गणेश) : समाज के कमजोर वर्गों को अच्छी ऋण सुविधायें देने की आवश्यकता के संदर्भ में, राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगों और छोटे-छोटे व्यारियों को उदारतापूर्वक ऋण सुविधायें देते रहे हैं। यह पता चला है कि अपराधियों के एक गिरोह ने कलकत्ता के युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके इन उदार ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और विभिन्न फर्मों के नाम बड़ी-बड़ी रकमें ले लीं, उनमें से कुछ झूठे कागजात पेश करके जाली फर्मों के नाम भी रकमें ले लीं। पुलिस की रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि इस से सबम्बद्ध बैंक कर्नचारियों ने ये रकमें इस समय बैंकों में प्रचलित सामान्य नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके कागजातों का उचित सत्यापन किये बिना दे दी हैं। इस मामले की सूचना मिलने पर कलकत्ता पुलिस ने 26 अप्रैल, 1972 को एक साथ छापे मारे, जिसमें उन्हें ऋण प्रस्तावों के कोरे और भरे हुये फार्मों और बैंक दस्तावेजों सहित बहुत से ऐसे दोषपूर्ण कागजात मिले जो सामान्यत: बैंक में रखे जाने के मतलब के होते हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बाद में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के ब्यान मिलने पर और अधिक छापे मारे गये तथा दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई आरम्भिक पूछताछ से प्रकट

होता है कि लगभग 50 से 60 लाख रुपये तक की रकम का गोलमाल हुआ होगा। अदालत ने बैंक के नाम समन जारी किया है कि वह संगत अभिलेखों के आधार पर उस रकम का हिसाब लगाये जिसकी धोखाधड़ी हुई है।

भारतीय दंड सहिता की धारा 120 ख, 409, 467 और 471 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी अभियुक्तों को 5-5-1972 तक पुलिस की हिरासत में रखा गया है।

श्री **चिन्तामणी पाणीग्रही**: उत्तर से यह प्रतीत होता है कि युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की कलकत्ता स्थित विभिन्न शाखाओं में पिछले एक साल से ऐसी घटनाएं होती रही हैं। क्या इस बात की जांच की गई है कि इसमें केवल एक अधिकारी का हाथ था अथवा एक से अधिक अधिकारियों का ? अधिकारी ने किस प्रकार जाली दस्तावेज स्वीकार किए और पास किए ? क्या छोटे व्यापारियों को ऋण मंजूर करते वक्त कोई जांच की गई थी, अथवा नहीं ? क्या धोखाधड़ी की राशि का अभी तक पता लगा है अथवा नहीं ? क्या 50-60 लाख रुपये को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं ? बैंकों में इस प्रकार की बातों की आवृति को रोकने के विचार से क्या सरकार कोई कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्री **के. आर. गणेश**: मैं इस धोखाधड़ी की गंभीरता अथवा महत्व को कम न करते हुए यह कहना चाहता हूं की इस मामले के अन्य पहलू भी हैं। नई उधार-ऋण-नीति के परिणामस्वरूप ऐसे लोग बैंकों में आने लगे जो पहले बैंक में नहीं आते थे। इस अवस्था में अपराधियों के एक गिरोह ने कलकत्ता के युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कुछ अधिकारियों के साथ सांठ गांठ करके इन उदार ऋण सुविधाओं का अनुउचित लाभ उठाया। हमने कार्य संचालन दोषों को दूर करने के लिए कार्यवाही करनी है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनआवृति को रोकना है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल 4172 करोड़ रुपयों के ऋण दिये हैं।

बैंक जब गैर सरकारी क्षेत्र में थे तो इस प्रकार की घटनाएं सामान्य बात थी परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात ये घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। संसद को अब इसपर चर्चा करने के अवसर प्राप्त है। तामिल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार इस दिशा में समुचित कार्यवाही कर सकें।

श्री **पीलू मोदी** (गोधरा): ध्यानकर्षण प्रस्ताव के अवसर पर मंत्री द्वारा अपने विचारों के प्रचार का मैं विरोध करता हूं। वास्तविकता यह है कि धोखाधड़ी संबंधी सभी बातें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात हुई हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रशंसा के लिए उन्हें अन्य माध्यम अपनाना चाहिये और संसद के समक्ष ठीक और तुलनीय आंकड़े बताने चाहियें।

श्री **के. आर. गणेश**: मैं पहिले ही कह चुका हूं कि सरकार इस प्रकार की घटनाओं के प्रति चिंतित है। सरकार कार्य संचालन में कमियों को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मैं यह कह रहा था कि अब क्योंकि अधिक लोगों को ऋण सुविधाएं दी जा रही है। अत: अपराधियों के गिरोहों को जो समाज की विषमताओं के कारण उत्पन्न होते हैं और जिसे बनाए रखने के लिए कुछ माननीय सदस्य उत्सुक हैं, अवसर प्राप्त हुआ है

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार सारी कहानी सुनाने की बजाय आप सीधा यह क्यों नहीं कहते कि जांच की जा रही है ?

श्री के. आर. गणेश: जहां तक यह बात है कि इस में एक ही अधिकारी का हाथ था अथवा अधिक का मैं यह पहिले ही बता चुका हूं कि दो अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच के पश्चात अधिक अधिकारियों के गिरफ्तार होने की संभावना है।

धोखा धड़ी 60 लाख रुपये की ही है अथवा अधिक धनराशि की इस बात की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सारे कागजात पुलिस के पास हैं

कार्य संचालन से संबंधी दोषों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय किए हैं। रिजर्व बैंक के एक केन्द्रीय दल द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का दौरा किया जा रहा है जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की आवृति को रोकने के उपाय ढूंढे जा सकें।

श्री चिंतामणि पाणीग्रही: कितनी धनराशि वसूल हुई है ?

श्री के. आर. गणेश : दो दिन पहले की ही तो बात है। पुलिस ने छापा मारा है। अधिक से अधिक धन वसूल करने के लिये सभी उपाय किये जाएंगे और इससे अधिक कुछ बताना संभव नहीं है।

श्री गदाधर साहा (वीरभूम) यह कहा गया है कि धोखा धड़ी का यह मामला अपराधियों के एक गिरोह आदि कुछ बैंक अधिकारियों के षड्यन्त्र का परिणाम है। मैं इस प्रकार की परिस्थितियों के संबंध में माननीय मन्त्री का स्पष्टीकरण चाहता हूं। पूर्व जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के बिना बैंक किस प्रकार आग्रिम देता रहा है ?

कृषकों और छोटे कर्मचारियों को तो ऋण प्राप्त करने में अभी भी कठिनाइओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु अपराधी लोग बड़ी आसानी से बैंकों से पर्याप्त धन ले जाते हैं। सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्यों नहीं पर्याप्त कार्यवाही की ? सितम्बर 1969 और मई 1971 के बीच 14 राष्ट्रीय बैंकों को 1·14 करोड़ रुपयों की हानि हुई। इस अवधि में 320 मामले हो चुके हैं और अभी और मामले प्रकाश में आ रहे हैं।

श्री के. आर. गणेश : इस प्रकार की घटनायें बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों तथा अपराधियों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप होती हैं ऋण सुविधाओं को उदार बनाया गया जिससे कि वास्तविक आवेदकों को कठिनाइयां न रहें। इसी के परिणामस्वरूप अपराधियों ने बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठ गांठ से यह सब किया। इस प्रकार की घटनाओं में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूल हुई धनराशि के आकड़े सरकार द्वारा संसद में बताये गये हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कितनी धनराशि वसूल हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों का प्रश्न है केवल वही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं अन्य सदस्य नहीं।

मई दिवस को लोक सभा में छुट्टी के रूप में मनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT REG. OBRESVANCE OF MAY DAY AS HOLIDAYS IN LOK SABHA

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : महोदय जैसा कि मैंने कल भी बताया था हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक छुट्टियां होती हैं। फिर भी, श्रमिक वर्ग के आन्दोलनों और भावनाओं के साथ अपने आप को सम्बद्ध करने के विचार से हम इस बात से सहमत हैं कि मई दिवस की छुट्टी हो परन्तु इसकी एवज में हमें एक अन्य छुट्टी छोड़नी होगी इसी के अनुसार सोमबार 1 मई को सदन की बैठक नहीं होगी और उस दिन के लिये नियत सरकारी कार्य इस सप्ताह अथवा अगले सप्ताह के शनिवार को किया जायेगा।

हमारे देश में सार्वजनिक छुट्टियों की प्रणाली और आधार को बदलने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी वर्गों आदि का विशेष रूप से सभी दलों और समूहों के संसद सदस्यों का सहयोग मिलेगा जिससे कि उत्पादन और अर्थ व्यवस्था के विकास की गति को बनाये रखा जा सके और बढ़ाया जा सके।

श्री एस. एम. बेनर्जी (कानपुर) : हम चाहते हैं कि इस दिवस को सारे राष्ट्र के लिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया जाए।

श्री राज बहादुर : हमने यह मामला संगठनों पर छोड़ दिया है। उन्हें केवल यह कहा गया है कि इस दिवस को छुट्टी घोषित की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि शनिवार की बैठक के स्थान पर हम एक मांग पर चर्चा न करें। क्या आपको यह सुझाव स्वीकार है ?

श्री एस. एम. बनर्जी : हम शनिवार की बैठक चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शनिवार की बैठक से कुछ सदस्यों को असुविधा हो सकती है जिन्होंने उस दिन के लिये कार्यक्रम नियत कर रखा होगा। हम दो दिनों के लिये एक-एक घण्टा अधिक समय तक बैठ सकते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हम कुछ दिनों का भोजनकाल छोड़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हा तीन दिनों तक भोजनकाल नही होगा अतः इससे हमारा शनिबार बच जायेगा।

श्री एस. एम. बनर्जी : मेरा यह सुझाव है कि प्रधान मन्त्री अथवा श्रम मन्त्री नियोजकों से अनुरोध करें कि वे इस दिवस की छुट्टी घोषित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आर. ए. एफ. विमानों का अण्डमान द्वीप समूह में उतरना

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या 395 पर अनुपूरकों के दौरान अपने द्वारा 13 अप्रैल 1972 को दिए गए एक आश्वासन के अनुसरण में आर. ए. एफ. विमानों के अण्डमान द्वीप समूह में उतरने के बारे में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1872/72]

आपत्ति संकट (माल) बीमा अधिनियम, आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, आदि

आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश) : मैं मिम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्न- लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात संकट (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस. ओ· 5571 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात संकट (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस. ओ. 208 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1873/72]

(2) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) आपात संकट (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस. ओ. 5572 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आपात संकट (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 209 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-1874/72]

3. आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 18 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 655, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० ओ० 656, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1875/72.]

4. उपर्युक्त मद (1), (2) और (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणो का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-1876/72].

5. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अर्न्गत डाक-घर बचत बैंक, (चौथा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 243 (ड.) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—1877/72.]

6. दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त बंगला वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 22 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ 4 (33)/67-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1878/72].

7. सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचिनाओं को (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 263 (ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 437, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 1879//72].

8. केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 436 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1880/72].

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के कार्य-संचालन की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन करने के बारे में संकल्प

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : मैं सरकारी संकल्प संख्या यू—23018/1/72—डब्ल्यू बी, दिनांक 28 अप्रैल, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा—पटल पर रखता हूं, जिसके द्वारा बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के कार्य—चालन की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1881/72].

गार्डन रीच वर्कशापस लिमिटेड कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गार्डन रीच वर्कशास लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी के वार्षिक प्रतिवेदन तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा—पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1882/72].

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने पांचवे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए :

(1) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(2) श्री सतीश चन्द्र
(3) श्री विक्रम महाजन
(4) श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला
(5) श्री सी० के० जफर शरीफ
(6) श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
(7) श्री टी० एच० गेविट
(8) श्री एस० आर० दामाणी

मैं समझता हूं कि सदन समिति की सिफारिशों से सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति और कार्यवाही सारांश

14 वां, 15 वां, 17 वां, और 21 वां, प्रतिवेदन

श्री एम. बी. राणा (बड़ौच): मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं:—

(1) (एक) सरकारी उपक्रमों में कार्मिक नीतियों और श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों के बारे में 17 वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 21वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों की कार्यवाही-सारांश।

(3) बोकारो इस्पात लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 68वें प्रतिवेदन (चौथी लोकसभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 14वां प्रतिवेदन

(4) अशोक होटल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 13वें प्रतिवेदन (चौथी लोकसभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(5) ग्यारह 'की-गयी-कार्यवाही, प्रतिवेदनों पर विचार किये जाने और उन्हें स्वीकार किये जाने के बारे में समिति (1970-71 और (1971-72) की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(6) प्रक्रिय जन्य और विधि विषयों के सम्बन्ध में समिति (1970-71) और (1971-72) की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

———

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

13वां, 14वां और 18 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री पीलू मोदी: मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं:—

(1) (एक) एक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) परिवार नियोजन कार्यक्रम-के सम्बन्ध में 13वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैटकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) (एक) विदेश व्यापार मंत्रालय-निर्यात सम्वर्धन उपायों, वाणिज्यिक प्रचार, प्रदर्णनियों और व्यापार मेलों के सम्बन्ध में 14वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

3) (एक) विदेश व्यापार मंत्रायल-चाय बोर्ड-के सम्बन्ध; 18वां प्रतिवेदन

दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
25वां, 47वां और 48वां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझीयान (कुम्बाकोणम): लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे:—

(1) प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में समिति के 117वें प्रतिवेदन (चौथी लोकसभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 25वां प्रतिवेदन ।

(2) विनियोग लेखे (रेल), 1967-68 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेल), 1969 के संबंध में समिति के 116वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 47वां प्रतिवेदन ।

(3) सूचाना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में समिति के 120वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 48वां प्रतिवेदन ।

अनुदानों की मांगे
DEMANDS FOR GRANTS
रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय: अब हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

SHRI CHHOTEY LAL (Chail) : Proper attention should be paid towards service conditions of conservancy sweepers working under Conforment Boards, like other class IV employees. The issue of conservancy staff should be referred to Pay Commission.

Agriculture land belonging to Millitary is distributed to those persons who already possess adequate land. In order to get land people obtain bogus certificates and get land allotted. I would request that while allotting such land it should be ensured that only land less people get it.

There is a Macfusrom Lake in Cantonment Board area adjacent to my constituency, for the storage of rain water. There was a dam over that lake but that dam broke during floods in the Ganges in the year 1948. Cantonment Board, Allahabad has submitted a proposal to the Ministry of Defence. Government should consider and implement it so that hardships of the people of the area are removed.

It is a matter of pleasure that a scheduled Castes and Scheduled Tribes Board has been set up by the Ministry of Defence in order to safeguard their interests. These people should be given opportunities for recruitment in the Military. Their present physical weakness is due to their poverty. Otherwise they are also fit for these jobs. I would request that reservation of quota for scheduled castes should be ensured in all the categories of services.

Union formed by the Civilian employees of the Ministry of Defence and affiliated to the INTUC should be recongnised. Unless it is done interests of the employees will not safeguarded.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : पिछले वर्ष अर्थात बंगलादेश का अभ्मयुदय, पाकिस्तान का बंटवारा, पाकिस्तान आक्रमण का सफल मुकाबला और बंगलादेश के लोगों के स्वातन्त्रय आंदोलन में योगदान जैसी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। हमने रक्षा मंत्रालय की मांगों पर विचार इस संभर्द में करनी है।

इस उप-महाद्वीप में सेनाओं के सन्तुलन में बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। भारत के पूर्वी सीमान्त पर अब तक एक मित्र देश पड़ौसी के रूप में है जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की आक्रमण शक्ति कम हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमरीकी साम्राज्यवाद का षडयन्त्र असफल हुआ है।

अतः राष्ट्रीय रक्षा के प्रश्न पर दीर्घकालीन कार्य क्रम की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों में आणविव शस्त्रों के निर्माण का सुझाव दिया है परन्तु हमें इस बात पर बल देना चाहिये कि पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य हों तो चीन तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध सामान्य हो। इस उप महाद्वीप में स्थायी शांति होनी चाहिये।

चीन के साथ भी हमारे संबंध सामान्य होने चाहिये फिर आणविव शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा रक्षा व्यय भी कम किया जा सकेगा।

भारत गरीब देश है तथा यहां इतनी अधिक बेरोजगारी है कि यदि आणविव अस्त्र बनाये गये तो हमारी अर्थ-व्यवस्था चरमरा जायेगी परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव उत्पन्न होंगे। वियतनाम के युद्ध से हमें यह संकेत लेना चाहिये कि यदि देश की जनता में एकता है तो कोई भी आणविव शक्ति उसे दासता के बंधन में नहीं बांध सकती।

भारत को हिन्द महासागर सहित इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के पहलू पर विचार करना चाहिये। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि शांति स्वतः ही कायम हो जायेगी। परन्तु यदि नैतिक बल होगा तो काई भी अणुशक्ति उसके सामने कुछ नहीं है। बंगला देश का अनुभव तथा वियतनाम का युद्ध इस बात को सिद्ध करते हैं।

भारत में गरीबी है तथा इसे दूर करने के लिये, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये भारतीय अर्थ-व्यवस्था को आत्म-निर्भर तथा सुदृढ़ बनाने के लिये रक्षा व्यय में धीरे-धीरे कमी करनी होगी। रूस हमारा मित्र है तथा हम रूस की सहायता से अमरीकी साम्राज्यवाद का प्रतिकार कर सकते हैं अतः रक्षा पर अधिक व्यय करना उचित नहीं है।

रक्षा व्यय में शनैः शनैः वृद्धि की जाती रही हैं। 1960-61 में रक्षा व्यय 280 करोड़ रुपये था जो अब 1408 करोड़ रुपये है। यदि इसी तरह रक्षा व्यय में वृद्धि की जाती रही तो गरीबी, बेरोजगारी तथा संकट को दूर करने की बात केवल कागजों पर ही रह जायेगी फिर भी सतर्क रहना आवश्यक है। हिन्द महासागर में अमरीका के अड्डे हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद का सामना करने के लिये हमें अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

निक्सन प्रशासन ने कांग्रेस से कहा है कि 1973 में सैनिक सहायता के रूप में भारत को 2,34,000 डालर तथा पाकिस्तान को 2,43,000 डालर देने को कहा है। परन्तु भारत को चाहिये कि वह अमरीका को अपना मित्र न समझे ।

रक्षा को विदेशी तथा साम्राज्यवादी निर्भरता से मुक्त किया जाना चाहिये ।

गैर-सरकारी पूंजीपतियों के समाजकार को किसी प्रकार भी पनपने नहीं दिया जाना चाहिये। मुझे पता चला है कि रक्षा कार्यों के लिये सामान की सप्लाई करने वाले गैर-सरकारी पूजीपति बहुत मुनाफ़ा कमाते हैं ।

रक्षा मंत्रालय के सचिव की आय 1,44,000 रुपये है जो कि 136 चतुर्थ क्षेणी के कर्मचारियों की आय के बराबर हैं । आपस में इतनी बड़ी असमानता को दूर किया जाना चाहिए ।

बंगला देश के संकट के समय जब श्रमिक अधिक उत्पादन करके देश की सहायता कर रहे थे उस समय भी रक्षा कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया । यह रक्षा मन्त्रालय की पुरानी अफसर शाही प्रवृत्ति है ।

पश्चिम बंगाल में 32 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था तथा अन्य स्थानों से भी ऐसे समाचार मिले हैं ।

जिन आपत्तकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को असैनिक सेवा में रोजगार दिया गया था उन्हें वेतन और भत्तों का पूरा लाभ नहीं दिया गया । इस भेद भाव को दूर किया जाना चाहिये ।

श्री पी. वी. जी.राजू (विशाखापत्तनम) : आज भारत को न केवल देश के तटों की रक्षा करने के लिए ही अपितु जब अपने व्यापारिक जहाज बाहर गये हुये होते हैं तो उनकी रक्षा के लिए भी आधुनिक नौसेना रखने की आवश्यकता है ।

बंगला देश में जो कुछ हमने देखा उसके पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी नौसेना तथा वायुसेना को और अधिक प्राथमिकता दें । इस सयय देश में जहाज बनाने के तीन कारखाने हैं । अधिक भार ढोने वाले जहाज बनाये जाने चाहियें तथा जहाज बनाने का एक कारखाना और खोला जाना चाहिये ।

भारतीय नौ सेना का विमान वाहक युद्ध पोत विक्रान्त 20 वर्ष पुराना है । आज लीडर श्रेणी के जहाज बनाने पर भी विक्रान्त पर जितना खर्च करना पड़ जाता है वैसे हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज बनाता है परन्तु भारत में टुरबो इंजन नहीं बनाये जाते हैं । उन्हें मित्र देश पौलैंड से आयात करना पड़ता है । हमें रक्षा के मामले में किसी देश पर निर्भर नहीं करना चाहिये अतः भारतीय नौ सेना में ही जहाज बनाये जाने चाहिये ।

भारतीय वायु सेना शक्तिशाली सेना है । हमें अच्छे प्रकार की समुद्री एरियल सर्वेक्षण सेवा रखनी चाहिये । यह कार्य अब तक कांस्टेल्लेशन के प्रयोग से दिया जाता है जिसकी गति केवल 310 मील प्रति घण्टा है । जबकि हमारे वर्तमान जेट विमानों की गति 500 मील प्रति घण्टा से कम नहीं है । इस सेवा को नये से नये उपकरणों द्वारा आधुनिक बनाया जाना चाहिए ।

समुद्री एरियल सर्वेक्षण सेवा नौ सेना की ओर से वायु सेना द्वारा की जाती है। परन्तु अमरीका तथा रूस में यह सेवा नौ सेना द्वारा ही की जाती है अतः इसमें नौ सेना के आदमी होने चाहियें।

हमारे यहां भारतीय नौ सेना 20 वर्ष पुरानी है परन्तु रूस के बेड़े में जो जहाज हैं वे 10 वर्ष पुराने हैं। अतः इस सम्बन्ध में हमें रूस से सबक लेना चाहिये।

रक्षा सेवाओं में 35 अथवा 40 वर्ष के कर्मचारियों को सेवा निकृत कर दिया जाता है। भारत सरकार को चाहिये कि रक्षा कर्मचारियों को इस समय जितना वेतन दिया जाता है उससे अधिक वेतन दे।

रक्षा मंत्रालय में सभी कर्मचारी असैनिक हैं अतः सेना के तीनों अंगों से कुछ लोगों को इसमें लिया जाना चाहिये। जो अधिकारी मेजर अथवा उससे ऊपर के रैंक से सेवा-निवृत होते हैं उन्हें रक्ष मंत्रालय से लिया जाना चाहिये ताकि वे रक्षा सेवाएं उनकी तकनीकी ज्ञान से लाभ उठा सके।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थागित हुई

(The Lok Sabha then adjourrned for lunch till fourteen of the Clock)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assmebled after lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[**उध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री चिंतामणी पणिग्रही (भुबनेश्वर) : मैं अपने देश के साहसिक राजनैतिक तथा सैनिक नेतृत्व को बधाई देता हूं जिसने बंगला देश की स्वतन्त्रता को संभव बना दिया। हमारे देश की रक्षा के मामले में जो दृष्टिकोण है उसे बहुत स्पष्ट रखा गया है। निर्णायक शक्ति राजनैतिक नेताओं के हाथ में छोड़ दी गई है तथा इसे भली भांति प्रयुक्त किया गया है।

एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। हमें अपनी रक्षा तैयारियों को अधुनातम बनाना होगा। हम सदैव अपनी रक्षा क्षमता का पाकिस्तान की रक्षा क्षमता के साथ तुलना करते रहे हैं परन्तु बंगला देश की स्वतन्त्रता के बाद एशिया में जिस नये शक्ति संतुलन का अभ्युदय हो रहा है उसे देखते हुए भारत को जो भूमिका निभानी है वह महत्व-पूर्ण है। रक्षा मन्त्रालय में ऐसी भावना घर कर रही है कि श्री भुट्टो एक भद्र पुरुष हैं तथा जनरल टिक्का खां शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। यह सोचना उचित नहीं होगा कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति पूर्णरूपेण सत-विसत हो गई है। यदि पाकिस्तान कीं कोई चीज नष्ट हुई है तो वह उसकी कुचेष्टा है। पाकिस्तान ने जो कुछ खोया था उसकी तो उसने क्षतिपूर्ति कर ली है। उसने सौगात में हथियार लेकर अद्भुत गति से शस्त्रास्त्र एकत्र कर लिये हैं।

अतः नये गुटों को देखते हुए हमें अपनी भूमिका को मापना होगा। एशिया में चीन अणु शक्ति सम्पन्न देश हो गया है। जापान भी अणु शक्ति वाले देश के रूप में शीघ्र ही उभरने वाला है। आज एशियाई महाद्वीप में चार अणु शक्तियां अमरीका, चीन, जापान तथा रूस सक्रिया हैं। इसलिये मैं यह तर्क दे रहा था कि भारत को भी अणु शक्ति वाला देश बनना चाहिये।

हिन्द महासागर को विश्व की बड़ी नौसैनिक शक्तियों की शक्ति प्रतिद्वन्द्विता से मुक्त कराना होगा।

रक्षा कार्यों के लिये जितनी राशि का नियतम किया गया है उसमें से नौसेना के लिये 100 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हिन्द महासागर के सामरिक महत्व को देखते हुए भारतीय नौसेना को प्रथम श्रेणी की नौसेना के रूप में परिणत करना आवश्यक है। हमारी सेना की संख्या गोला बारूद की मात्रा तथा गतिशीलता में वृद्धि की जानी चाहिये।

हमें सभी उत्पादन कारखानों में उत्पादन पूरा करना होगा। कोई भी क्षमता वेकार नहीं पड़ी रहनी चाहिये। हमें जल से वायु तथा वायु से वायु में चलने वाले अस्त्रों का अलग डिवीजन बनाना चाहिये।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। गतवर्ष इसका उत्पादन लगभग 6 करोड़ रुपये के मूल्य का था जो इस वर्ष केवल 3 करोड़ रुपये का होगा। गैर-सरकारी पार्टियों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की लाइसेंस की दाव्वरित गत दो वर्ष से विचाराधीन पड़ी है। मुझे आशा है कि रक्षा उत्पादन यूनिटों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी।

रूमानियां, जिसकी सेना में 1,30,000 सैनिक है, के पास 1700 बड़े और मझले टैंक है जबकि हमारे पास 10 लाख सैनिक वाली सेना के पीछे 1200 टैंक हैं।

बंगला देश के अभ्युदय के पश्चात् हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है। शायद श्रीलंका तथा नेपाल हमारी सहायता मांग सकते हैं। इन परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी रक्षा तयारियों को नया रूप देना होगा।

उड़ीसा में चिल्का में नौसैनिक पशिक्षण संस्थान के लिये परियोजना आरंभ की गई है। वहां जिन लोगों की जमीन ली हैं उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारत में पूर्व से पश्चिम तक बहुत बड़ा समुद्र तट है तथा हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की शक्ति प्रतिद्वन्द्विता को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम के अतिरिक्त चिल्का में भी नौसैनिक शिपयार्ड बनाया जाना चाहिये।

श्री एच. एम. पटेल (ढ़ुंढुका) : मैं रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सैनाओं को उनके द्वारा किये गए अच्छे कार्य के लिये बधाई देता हूं। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसके कुछ अध्यायों में बंगला देश की स्थापना में जो-जो घटनाएं सहायक हुई उनके बारे में कहा गया है। प्रतिवेदन के योजना वाले अध्याय को पढ़ कर मुझे असंतोष हुआ।

श्री भुट्टो ने बताया है कि वह एशिया में सर्वोत्तम प्रकार के युद्ध तंत्र की व्यवस्था करने जा रहा है। समाचार-पत्रों में समाचार है कि पाकिस्तान ने दो नये डिवीजन बना लिये हैं और अपेक्षित सामग्री शायद चीन तथा अमरीका से मिली हो। यदि हमने युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया तो उनके दो-तीन डिवीजन और हो जायेंगे।

ऐसा लगता है कि श्री भुट्टो कभी-कभी नासमझ बातें करते हैं परन्तु उन सब के पीछे एक उद्देश्य है। श्री भुट्टो पाकिस्तान में अन्तरिम संविधान की व्यवस्था करने में सफल हो गए हैं परन्तु वह अपनी सैनिक शक्ति सुदृढ़ करना चाहते हैं। जनरल टिक्का खां की नियुक्ति करके उन्होंने जान बूझ कर खतरा मोल लिया है। वह सशस्त्र सेनाओं को उचित प्रशिक्षण देकर युद्ध के लायक बनाना चाहते थे।

पाकिस्तानी रवैये में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः हमें जागरूक रहना चाहिये और युद्ध में हुई क्षति को शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिये। भविष्य में किसी भी युद्ध में चीन चुप नहीं रहेगा, अतः हमें अपना बल बढ़ाना होगा। हमें अपनी नौसेना की शक्ति में भी वृद्धि करनी होगी क्योंकि इसे न केवल इतने लम्बे तट की रक्षा करनी है अपितु हिन्द महासागर में भी अपनी भूमिका निभानी है। सरकार ने जो अनिश्चितता स्थल सेनाध्यक्ष की सेवावधि में वृद्धि का निर्णय करने में दिखाई हैं, शुक्र है कि वह भारत-पाक युद्ध में नहीं दिखाई दी। इससे हमारी सेनाओं के मनोबल पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा।

बार-बार यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें शीघ्रातिशीघ्र आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेनी चाहिये क्योंकि संकट अभी बना हुआ है।

हमारी वायु सेना और नौ सेना के पास आधुनिकतम विमान और जहाज होने चाहिए और उसे ऐसे ही शस्त्रास्त्रों से लैस रखा जाना चाहिए।

अब समय आ गया है जब कि हमें आणविक शस्त्र बनाने सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे हम उन देशों में भय की भावना जगा सकेंगे जो शान्ति भंग करने को तत्पर रहते हैं।

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur) : Sir, I congratulate all those who put their shoulders to the wheels of our Victory Chairot and thus brought glory to our country.

I am surprised that some members still talk of making the atom bomb after having seen the disgrace and humiliation to which the USA, a big Atomic power, has been subjected to by Vietnam and others. So, what is needed is national morale and unity. Reconstruction of the country is equally necessary. I am not against equipping our forces with latest arms and equipment but atomic weapons (Bomb) are needless with the recent treaty concluded with socialist countries we can face any power in the world. We cannot afford to remain weaker than anyone in the world.

We are not in favour of communal nomenclature of various regiments in the Army. Instead, the names should be after the great leaders of the country.

It is regrettable that very few Scheduled Castes/Tribes people are taken in our Ordnance Factories. In the Report of the Ministry itself it is stated that out of 43 such candidates only one was selected. They must get a proper place in the country.

Employees' representation must also be there in Defence Production Board as also in the Ordnance Factories in the country.

All the assurances given by the hon. Defence Minister in Poona should be implemented. The decisions of Industrial Council Meeting held in September, 1971 should also be implemented, as it has not been done so far. The powers of peace are quite strong today and I am happy that today all the socialist countries are giving a lead in this direction except China, which has gone mad.

Many employees in various Ordnance Factories have either been dismissed or suspended. If grievances are not redressed, such unrest shall continue. I understand that their cases are under the consideration of the hon. Minister and I am sure he would consider them sympathetically and shall give them another chance to behave properly.

Cantonments in the country have huge surplus land with them. Times have now changed and such land should be brought under the plough to grow food, fruits etc. and given to the landless for this purpose.

The pay etc. of jawans should be raised and the report of the Pay Commission should also come very soon as all Central Government employees are disturbed on this account,

The land distribution system for those exservicemen who return home after retirement o otherwise is very faulty and they do not get land at all. Something should be done in this direction.

Canteen Staff should be considered Government employees as per the decision taken at the last Industrial Council Meeting.

I am sure the suggestions given by me shall be considered by the hon. Minister.

In the end I would request the hon. Minister that the Scheduled Castes/Tribes people should not be absorbed in the armed forces only as conservancy staff but they should be given a chance to serve in the Army so that they may also feel that they are guardiance of our frontiers.

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार की यह घोषित नीति है कि रक्षा उत्पादन में उत्तरोत्तर आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाये और 1962 से हमने इस दिशा में काफी प्रगति प्राप्त की है यद्यपि आत्म निर्भरता सापेक्ष होती है जो देश के साधनों तकनीकी जानकारी आदि पर निर्भर होती है। इसके लिए आरम्भ में हमें कई प्रकार के सहयोग के करार भी करने पड़े। परन्तु 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान हमें बहुत निराशाजनक अनुभव हुआ जबकि बहुत से उन देशों ने, जो पहले अपने लाभ के लिए हमारे साथ सांझे उद्यम स्थापित करने के बहुत इच्छुक थे, अपना हाथ खींच लिया। अतः सरकार ने एक अलग विभाग स्थापित करने का निर्णय किया और मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि गत सात वर्षों में इसने बहुत ही अच्छा काम किया है।

हाल ही के पाकिस्तानी आक्रमण के समय हमारे 30 आयुध कारखानों ने न केवल लक्ष्मी की पूर्ति की बल्कि इससे कई गुना अधिक उत्पादन भी किया। यह उत्पादन न केवल मात्रा में अधिक था बल्कि बढ़िया किस्म का भी था यह बात युद्ध में सिद्ध हो चुकी है। हमारे निरीक्षण विभाग ने किस्म-नियंत्रण कर के बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमारे आयुध कारखानों में जहां 1970-71 में 94.25 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ, वहां यह 1971-72 में बढ़कर 120 करोड़ रुपये का था, कई नए शस्त्रास्त्र भी हमारे देश में बनने लगे हैं जिनमें 0.105 'फील्ड गन' का निर्माण उल्लेखनीय है क्योंकि इसका डिजाइन और उत्पादन हमारे अपने वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया है। इसे संसार भर में सबसे अच्छी 'गन' समझा जाता है। इसका उत्पादन अगले वर्ष से आरम्भ हो जाएगा। हवाई हमले से बचाव और हवा मार युद्ध के लिए हमने एल. 7040 मिली मिटर 'गन' का उत्पादन आरम्भ कर दिया है इसे 'राडार' से चलाया जाता है और यह गत युद्ध में बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है।

हमने निजी व्यापार साधनों पर अपनी निर्भरता कम से कम करने के लिए भी कई उपाय किए हैं जैसा कि वाहनों के उत्पादन से स्पष्ट है। जबलपुर स्थित कारखाने में शक्तिमान, निस्सान एक टन के पेट्रोल टेंक और जोंगा जीपें यहां गत वर्ष 18 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ। आशा है कि इसका उत्पादन 1975-76 में 13,000 वाहनों का हो जायेगा।

कच्चे माल के लिए हमें बहुत कठिनाईयां होती हैं। इसलिए हमने कानपुर में विशेष इस्पात और मिश्रित धातु परियोजना लगाई है। इस पर 46.1 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यहां विशेष इस्पात की 68 किस्में तैयार होंगी जिनका उपयोग विभिन्न आधुनिक शस्त्रों के निर्माण में किया जायेगा। इससे विदेशों पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जायेगी।

आवड़ी में हमारे कारखाने में भी अनेक कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन लक्ष्य-अनुसार ही हुआ और गत वित्तीय वर्ष में यहां 20 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। विजयंत टैंक में अब देशीय पुर्जे 68 प्रतिशत हैं और अगले वर्ष बढ़कर 85 प्रतिशत पुर्जे देशीय होंगे। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमने 5.69 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन सरकारी उपक्रमों के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां भी उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा है। 1969-70 में 146.28 करोड़ की अपेक्षा 1971-72 में इनमें 176.36 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ और आशा है कि 1972-73 में इसका मूल्य 223.65 करोड़ रुपए होगा। मैं हिन्दुस्तान ऐयरोनाटिक्स द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का उल्लेख करना चाहूंगा। यहां न केवल 'मिग-टा' का उत्पादन होता रहा, अपितु इसके सुधरे रूप मिग-टा एम का निर्माण भी आरम्भ हुआ जो हमारी वायु सेना को अगले बर्ष मिल जाएगा। यह कार्य बिना विदेशी तकनीशनों की सहायता से किया जा रहा है। इस कारखाने में कृषि-कार्य के लिये भी विमानों का उत्पादन होने लगेगा। अब तक इन विमानों का आयात करना पड़ता था।

अब हम विख्यात 'नैट' विमानो का सुधरा रूप 'मार्क-II' तैयार कर रहे हैं क्योंकि कुछ त्रुटियों के कारण हमारी वायु सेना इस विमान को रखने के पक्ष में नहीं थी परन्तु गत वर्ष के युद्ध में इसके काम को देखते हुये वायु-सेना ने अपना यह विचार बदल दिया है।

हम अपने विमान प्रथम बार फार्नबरों के दिसम्बर में होने वाले विश्व हवाई प्रदर्शन में भेजेंगे। वहां हम और भी कई उपकरण भेजेंगे ताकि संसार को हमारी प्रगति का पता चले। इसके पश्चात हमें निर्यात के लिए क्रयादेश मिलने की आशा है।

अब हमने फ्रिगेटों का उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है और प्रथम फ्रिगेट 'नीलगिरि' लगभग तैयार है और निकट भविष्य में हम प्रतिवर्ष एक फ्रिगेट अपनी नौसेना को दे सकेंगे। इस पोत में भी लगभग आधे पुर्जे देशीय हैं। इन उपक्रमों ने इस वर्ष 16.18 करोड़ रुपये का लाभ और लाभांश अर्जित किया तथा बांटा है।

एच. एफ.-24, अर्थात मारुत बमबार लड़ाकू विमान का डिजाइन तथा निर्माण पूर्णतया हमारे इन्जीनीयिरों द्वारा ही किया गया इसमें 70 प्रतिशत पुर्जे देशीय हैं। यदि हम इनके निर्माण में निजी व्यापार की सहायता लेते तो यह उत्पादन कहीं अधिक होता परन्तु हमने यह सहायता लेना उचित नहीं समझा।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में भी 60 प्रतिशत देशीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिशतता 1973-74 में बढ़कर 82 हो जाएगी। यहां जो उत्पादन होता है वह किस्म में और सूल्य में विदेशी उपकरणों जैसा ही अच्छा होता है और महंगा भी नहीं होता है।

यहां अब एस. ए-315 हैलीकाप्टरों का निर्माण भी होने लगा है। इनके लिए बंगलौर में एक पृथक कारखाना लगाया जायेगा। यह हैलीकाप्टर अधिक बड़े और बेहतर किस्म के हैं।

इसी का एक कारखाना लखनऊ में लगाया जा रहा है। जहां अंडर-कैरेज, वातानुकूलन उपकरण, प्रेशराइजिंग उपकरण, हाइड्रालिक उपकरण, ईंधन-इंजेक्शन सिस्टम आदि तैयार किए जायेंगे, जिनका अब तक आयात करना पड़ता था।

कानपुर के हमारे कारखाने में शीघ्र ही एवरो विमान बनने लगेंगे जिनका सैनिक और असैनिक दोंनों प्रयोजनों के लिए उपयोग होता है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स गाजियाबाद में अपना दूसरा कारखाना लगा रहा है जहां माइक्रो-वेव और राडार उपकरण तैयार होंगें जो हवाई हमले से रक्षा के काम आते हैं।

1965 में हमारे कटु अनुभव के कारण हमने अपने उत्पादन का 'भारतीयकरण' करने का निश्चय किया है और यह वर्ष 'आत्म-निर्भरता' प्राप्त करने करने का वर्ष कहा गया है। क्यों कि युद्ध में और शान्तिकाल में रक्षा-सामान की खपत में अत्यधिक अन्तर होता है। यह अन्तर 1:10 से 1:20 तक का हो सकता है।

हम श्रमिकों की जबरी छुट्टी या छटनीं नहीं कर सकते। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये हमने निर्यात का रास्ता अपनाया है और यथावश्यक उत्पादन में विविधता लाई है। इसका लाभ यह होगा कि जब शसस्त्र सेनाओं को हथियारों की कम आवश्यकता होगी तो हम विदेश मंत्रालय से परामर्श करके कुछ मित्र देशों को गोला-बारूद निर्यात कर सकेंगे। जब कभी आपात स्थिति पैदा होगी। इस पूरी क्षमता का उपयोग प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान तैयार करने के लिये की जा सकेगी। इन वस्तुओं के निर्यात की व्ययस्था करने के लिये हम सरकारी क्षेत्र में एक संगठन

बनाने पर विचार कर रहे हैं। हमने गत वर्ष 2.70 करोड़ रुपये का निर्यात किया था। हमारा अनुसंधान और विकास संगठन बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। हमारे देश में प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में लगभग 2000 वैज्ञानिक और तकनीशन काम कर रहे हैं। वे नये औद्योगिक अध्ययन के आधार पर आधुनिक प्रकार के नये उपकरणों के डिजाइन बनाते हैं और उनका विकास करते हैं। इस संगठन के बजट में धीरे-धीरे वृद्धि की जा रही हैं। हमारे प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की 1100 परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं।

प्रतिरक्षा सम्भरण विभाग ने हमें आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सराहनीय कार्य किया है। इस विभाग ने आरम्भ से ही देश में सामान बनाने की ओर ध्यान दिया है और इस प्रकार 110 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इस विभाग ने 12000 वस्तुओं को देश में बनाना आरम्भ कर दिया है जिनका पहले आयात किया जाता था। इस प्रकार हम काफी हद तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे। यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आयुध कारखाना लगाया जाये। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र के निकट आयुध कारखाना लगाया जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देहरादून में शिवालक की तराई में एक आयुध कारखाना लगाया गया है। यह ठीक है कि जबलपुर में मोटरगाड़ी बनाने वाला कारखाना संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। हम इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं और हमें आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में इसके कार्य में काफी सुधार हो जाएगा।

सरकारी क्षेत्र में 8 प्रतिरक्षा उपक्रमों में से 7 उपक्रमों को लाभ हो रहा है। कुछ उपक्रमों में 4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक का लाभ हो रहा है। यह कहा गया है कि इन उपक्रमों में हमें स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती करना चाहिए। हम भी स्थानीय व्यक्तियों को भर्ती करना चाहते हैं परन्तु विमान चालन सम्बन्धी उद्योग जैसे आधुनिक किस्म के उद्योग के लिये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि राज्य में किस प्रकार के व्यक्ति मिल पाते हैं। विमान चालन सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां तक सुपरसानिक विमानों के निर्माण का सम्बन्ध है, हम अध्ययन कर रहे हैं और यदि उनको बनाने का निर्णय किया गया तो उनका निर्माण भी किया जायेगा।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : क्या यह सच है कि विमान चालन सम्बन्धी कुछ आधुनिक पुर्जे यहां पर नहीं बनाये जा रहे हैं क्योंकि उनके निर्माण में कीमती सामान आयात करने की आवश्यकता है और इस सामान की लागत 65 करोड़ रुपये होगी तथा इस कारण सुपरसानिक विमान बनाने में रुकावट पड़ रही ?

मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह संभव है कि विदेशी मु.. क अभाव अथवा धन की कमी के कारण हम सब चीजों को प्राप्त न कर सकें। परन्तु अब ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यह भी कहा गया है कि ट्रक आदि खरीदने में उद्योगपति बहुत लाभ अर्जित करते है। हम ये वस्तुएं पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदते है जो बाजार की दर से कम होते हैं और उनको बहुत कम लाभ मिलता है। फिर मोटर गाड़ी कारखाना लग जाने के कारण हमें अब बहुत कम सामान खरीदना पड़ता है।

Shri K. N. TRIVEDY (Bettiah) : May I know whether Mercedes trucks are manufactured in the Vehicle Factory or not ? Tatas had sought permission to increase their capacity to meet the requirements of defence and the public demand. May I know the reason for delay in granting the permission ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : शक्तिमान ट्रक जमशेदपुर में बनाये जाने वाले ट्रकों के मुकाबले के हैं। जहां तक क्षमता बढ़ाने के अनुरोध का सम्बन्ध है, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वैसे हम गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता बढ़ाने के लिये अधिक उत्सुक है।

परागा टूल्स का कार्य संतोषजनक नहीं हैं। हमें आशा है कि लगभग एक वर्ष की अवधि में इसके कार्यकरण में सुधार हो सकेगा। वास्तव में यह केन्द्रीय सरकार का उपक्रम नहीं है । जब यह उपक्रम संकटग्रस्त हो गया तब हमने इसे आन्ध्र प्रदेश सरकार से अपने नियन्त्रण में ले लिया था । इस में कुछ ऐतिहासिक कठिनाइयां हैं। परन्तु मुझे आशा है कि एक या दो वर्ष के बाद इसके कार्यकरण में भी काफी सुधार हो जायेगा।

श्री ब्रजराज सिंह.कोटा (झालावाड़:) वर्ष 1971 की विजय के बाद भारत को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये यह कहना कठिन है कि इस विजय के बाद हमारी सीमाओं पर क्या स्थिति हो सकती है। इसके विश्वयुद्ध के बाद एशियाई उपद्वीप में हमेशा लाड़ाई होती रही है। पाकिस्तान भारत को हराने में सक्षम नही है। परन्तु वह अमरीका और चीन की सहायता से भारत को काफी नुक्सान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषण की थी कि वह एशिया में सर्वोत्तम सेना बनायेंगे। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने का इरादा अभी छोड़ा नहीं है। वह हार के लिये जनरलों को जिम्मेदार ठहरा कर यह सिद्ध कर रहे है कि पाकिस्तान सेना अब भी पहले की तरह अच्छी है। श्री भुट्टों का राजनीतिक गढ़ पंजाब में है और 60 प्रतिशत सेना इसी क्षेत्र की है। उनका सेनाध्यक्ष जनरल टिक्का खान भी पंजाबी है और फिर भारत के प्रति घृणा करने करने का अभिमान भी ज़ोरो पर है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कश्मीर में अथवा किसी अन्य स्थान पर आक्रमण कर सकता है। पाकिस्तान में एक और राजनीतिक दल तथा दूसरी ओर सेना उस देश के भाग्य का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। हमें इन घटनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि आगामी कुछ महीनों में इन घटनाओं का क्या रूख रहता है। हमें अपनी थल सेना और वायु सेना को पूरी तरह सतर्क रखना चाहिये।

भारत का रक्षा सम्बन्धी बजट धीरे धीरे कम हो रहा है। वर्ष 1963-64 में यह 4.5 प्रतिशत था। अब यह 3.6 प्रतिशत है। हमारा रक्षा सम्बन्धी प्रति-व्यक्ति व्यय विश्व में सब से कम है। यह लगभग 3 रुपये है। हम अपने रक्षा सम्बन्धी व्यय को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं परन्तु यह 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। वर्ष 1971 की विजय के बाद हमें सेना अध्यक्ष का दर्जा बढ़ा कर 5—स्टार जनरल कर देना चाहिये। हमें जवानों और अराजादिष्ट (नान-कमीशन) अधिकारियों की स्थिति में सुधार करना चाहिये। मैंने देखा है कि नेफा और लद्दाख में तेनात सेना अधिक संतुष्ट नहीं है। यदि जांच की जाये तो पता चलेगा कि लोग सेना में रहने की वजाये उसे छोड़ना चाहते हैं। अतः उनको स्थिति और वेतन में सुधार करना चाहिये। राजस्थान में स्थायी

रूप से सेना कोर तैनात की जानी चाहिये । जहां तक वीरता प्रदर्शित करने के लिये पुरस्कार दिये जाने का सम्बन्ध है । मेरे विचार में छम्ब की रक्षा करने वाले वीर जनरल को वीरता पुरस्कार मिलना चाहिये था । युद्ध में आगे बढ़ सकना आवश्यक नहीं है, कभी-कभी कुछ पीछे भी हटना पड़ता है । इसी प्रकार ढाका में दाखिल होने वाले पहले जनरल को भी वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिये ।

हाल ही के युद्ध से पता चला है कि नौसेना को युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है । नौ सेना में प्रक्षेपणास्त्रों से लैस नौकाओं और पनडब्की पर मार करने वाले जहाजो की सख्त अवश्यकता है । हमारे पास समुद्र में टोह लेने वाले विमान नहीं है । लींडर क्लास फ्रिगेट्स का काम तेज़ गति से किया जाना चाहिये ।

वायु सेना का कार्य सराहनीय रहा है । वायु सेना और थल सेना के कार्य में अभूतपूर्व समन्वय था हमें बम मारने वाले अधिक जहाज़ प्राप्त करने चाहिये । छम्ब सेक्टर में छंगा मंगा बन के सामने क्षेत्र का भारी जमाव था और हमें उसके लिये ए. एन. 12 विमानों का प्रयोग करना पड़ा था । हमें स्ट्राइकर बमवर्षक विमान प्राप्त करने चाहिये जो शत्रु के बीच उतर सके । वेमपायर विमान अब पुराने पड़ गये हैं । हमें इनके स्थान पर नये विमान लाने चाहिये जिनका सामथ्य और क्षमता उतनी ही हो । अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमारी सेना को सदा सतर्क रहना चाहिए ।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलावा) : मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं दिसम्बर, 1971 के तेरह दिनों की युद्ध से सिद्ध हो गया है कि भारत तटस्थ देशों में सब से अधिक शक्तिशाली देश है । हमें पता चला है कि तीसरा वेतन आयोग रक्षा सेवाओं के समस्त वेतन ढांचे में संशोधन कर रहा है । वेतन आयोग को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप जीवन निर्वाह कर सके और आयोग को शान्ति और युद्ध के समय उनके जोखिम पर भी ध्यान देना चाहिए । कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कम वेतन नहीं मिलना चाहिये । इसी प्रकार हमारे जवानों को आधुनिक किस्म के हथियारों और उपकरणों से लैस करना चाहिए । अब पाकिस्तान हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा परन्तु पाकिस्तान और चीन मिलकर हम पर आक्रमण कर सकते हैं और हमें इस प्रकार की सम्भावना का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये । इसीलिये हमें रक्षा पर अधिक धन-राशि खर्च करनी चाहिये । हमें नुक्लीयर हथियार भी तैयार करने चाहिये ।

हमारा अनुसन्धान और विकास विंग बहुत अच्छा काम कर रहा है । परन्तु इसे भी कई बार धन की कमी का सामना करना पड़ता है । बहुत से सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक विदेशों में इसलिये काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारे देश में उचित वेतन नहीं मिलता । उन्हें भारत में काम करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ।

हमें सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आश्रितों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । सरकार को भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिये । यदि वह काम कर सकते हो तो उन्हें खेती करने के लिये जमीन दी जानी चाहिये । कुछ ऐसे गांव है जिनके प्रत्येक

घर से एक न एक जवान सेना में है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे जवान सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके ।

सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्डों का पुनर्गठन करना चाहिये ।

और उन्हें भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए ।

SHRI JAGDISH CHANDRA DIXIT (Sitapur) : Keeping in view the new outlook should we not change our recruitment policy ? The pattern of recruitment remains the same that in 1778. We should charge this policy. I think we should revise the retirement age. Besides we should see that there is no discontentment in the army. I have come to know that some deserving cases have not been given gallantary awards. The hon'ble Minister should look into this matter. We should keep our forces on the alert because we have constant danger from our neighbouring countries. We should increase our air force.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

विधेयक पुनः स्थापित

BILLS INTRODUCED

श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संविधान (संशोधन) विधेयक

(नवम अनुसूचि का संशोधन)

Constitution (Amendment) Bill

Amendment of Ninth Schedule by Shri C. K. Chandrappan

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

रेल भूमि का (उपयोग विधेयक)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट का कृष्यकर

UTILISATION OF CULTIVABLE RAILWAY LAND BILL

by Shri Narendra Singh Bisht

SHRI NARENDRA SINGH BISHT (Almora) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the utilization of land on both sides of railway track and other railway land for agriculturel purposes."

उपध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल पटरी के दोनों ओर की भूमि तथा अन्य रेल भूमि का खेती बाड़ी के लिये उपयोग करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

SHRI NARENDRA SINGH BISHT : I introduce the Bill

श्री एस. सी. सामन्त. का चलचित्र उद्योग कर्मकार विधेयक वापस लिया गया विचार करने का प्रस्ताव

Film Industry Workers Bill Withdrawn by Shri S. C. Samanta

MOTION TO CONSIDER

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री राम सहाय पांडे द्वारा 14 अप्रैल, 1972 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि चलचित्र उद्योग में कर्मकारों की मजदूरी के नियतन के लिये तथा उनके कार्य की दशा में सुधार के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री डी. बी. चन्द्र गौडा (चिकमगलूर) : मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि वह इस उद्योग में कार्य करने वाले 10 लाख श्रमिकों से सम्बन्धित विधेयक को यहां पर लाये हैं ।

(श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair)

यह दु:ख की बात है कि इन श्रमिकों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा न्यूनतम मजूरी अधिनियम या उपदान के लाभ लागू नहीं होते हैं । हमारे देश में 57 स्टूडियों हैं । हमारे चलचित्र निर्माताओं को केवल भारतीय चलचित्र वित्त निगम से वित्तीय सहायता मिल सकती है । इस निगम के पास 1 करोड़ रुपये की पूंजी है और 50 लाख रुपये की कार्यकारी पूंजी है जिससे चलचित्र निर्माताओं की सभी आवस्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, इस लिये इन निर्माताओं को

वितरको पर अथवा कुछ हद तक सिनेमा मालिकों पर निर्भर करना पड़ता है। चलचित्र निर्माताओं को कुल आय का केवल 5 प्रतिशत भाग मिलता है। 95 प्रतिशत सिनेमा मालिकों या वितरकों को मिलता है या राजस्व के रूप में सरकार के पास चला जाता है। जब तक हम निर्माताओं की वित्त स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न नहीं करते तब तक श्रमिकों को राहत देने के बारे में सोचना बेकार है।

यह विधेयक व्यापक नहीं है। सरकार को इस विधेयक पर बिचार करना चाहिये ; वास्तव में सरकार को स्वयं एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये। सरकार को इस उद्योग से 150 करोड़ की आय होती है। सरकार को निर्माताओं को कम ब्याज पर ऋण देने की सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये। इस विधेयक का प्रयोजन इस उद्योग के श्रमिकों को कुछ राहत देने का है परन्तु यह प्रयोजन तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक चलचित्र निर्माण मशीनरी की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता।

SHRI SAT PAL KAPUR (Patiala) : This Bill should have been brought much earlier and I think Government has not paid due attention towards the problems of the small artists and the workers of the Film Industry.

I would like to suggest that their Bill should be referred to the select committee. If the hon. Minister is not prepared to do so he should at least give an assurance that he will bring a comprehensive Bill covering the workers of this Industry under the provisions of Industrial Disputes Act.

I have gone through certain clauses of the Bill brought forward by a Private Member and I have found them quite convincing. I, therefore, request that Government should give due consideration to this Bill.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : The condition of 10 lakhs of workers in the Film Industry is deplorable. They are being exploited specially casual workers are being victamised. If their grievances are not redressed a day may come when it might culminate into a revolution.

I admit that the Bill brought before the House is not so comprehensive as to solve all the disputes between the Industrialists and the employees. But the object of the Bill is to make the Government responsive to the difficulties and demands of the workers of Film Industry. For this we are obliged to the hon. Member.

So far as the producers, famous stars, Play-back singers, technicians, music directors, etc. are concerned they are leading a luxurious life. They are interested in producing box-office films without any regard to the moral values. Besides these people, there are casual workers, small artists and other employees in this Industry. The number of these workers is not less than 8 to 10 lakh. This class of employees must be given protection because they are being exploited. I would like to refer to the conditions of the casual artists, called extras who are treated as serfs in this Industry. The big *Guandas* manage to have their influence over young men and women and supply them to the Film producers who exhibit them according to their will. In this context I demand an assurance from the hon. Minister that this exploitation would be stopped.

It has been correctly pointed out that this is a big industry and that films leave permanent effect on the youth specially. But I am sorry to say that at present most of the producers are making films which lack in culture and art. They are full of obscenity and thus lowering the standard of entertainment. I, therefore, suggest that Government should take over this Industry in order to achieve the social objective.

* * **श्री विश्वनाथन** (वान्डी वाश): मुझे इस विधेयक पर बोलते समय प्रसन्ता है। चलचित्र उद्योग भारत का बहुत पुराना उद्योग है। क्या इस उद्योग के कर्मचारियों की निम्रतम मजूरी और उनके कार्य से सम्बन्धित शर्तों के बारे में बहुत पहले विधेयक लाया जाना चाहिये था पर फिल्म उद्योग के बारे में चर्चा करने के अवसरों पर चुम्बन और नरतता आदि की अनुमति दिये जाने पर सभा में अवश्य विचार विमर्श हुआ किन्तु इस उद्योग के लाखों श्रमिकों की कठिनाइयों पर कभी कोई प्रकाश नहीं डाला गया। सम्बन्ध मंत्रालय ने भी इस बारे में कोई चिंता नहीं की। अतः यह हर्ष का विषय है कि श्री सामंत ने इस विधेयक को सभा में पुनः स्थापित किया है।

फिल्म उद्योग के बारे में हमारे देश का स्थान विश्व में दूसरा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 400 फिल्में बनाई जाती हैं तथा देश में लगभग 10000 सिनेमा घर हैं। इसके अतिरिक्त हमारी बहुत सी फिल्में विदेशों में भी दिखाई जाती हैं। किन्तु हम फिल्म उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों की कठिनाइयों से अवगत नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनकी स्थिति में सुधार करने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है। इन लोगों का जीवन की मोलिक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। बम्बई मद्रास जैसे महानगरों में अनेक थियेटर हैं किन्तु उनके कार्य करने वाले कर्यचारियों के वेतन आदि के बारे में कोई कानून नहीं है। थियेटरों के मालिक उन्हें अपनी इच्छानुसार काम पर रखते हैं और निकाल देते हैं।

इस विधेयक में ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी आदि की सुविधा देने तथा उनके कार्य की शर्तों में सुधार करने की व्यवस्था की गई है तथा औधोणिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को इन पर लागू करने की भी व्यवस्था की गई है।

मैं यह मांग करता हूं कि अन्य उद्योग के कर्मचारियों की भांती फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिये भी कार्य के आठ घंटे निधारित किये जाने चाहियें। उन्हे निम्रतम मजूरी तथा उपदान भी मिलना चाहिये। कहा जाता है कि देश में केवल कृषकों को ही आराम नहीं मिलता। लेकिन सच यह है कि फिल्म उद्योग के इन छोटे कर्मचारियों को भी कोई आराम नहीं मिलता। उन्हे रात-दिन कार्य करना पड़ता है तथा फिल्म-निर्माता या बड़े-बड़े कलाकारों के इशारों पर नाचना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुवे सरकार को यह कानून बनाना चाहिये कि इन मजदूरों से निर्धारित घंटों से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता।

एक ओर तो बड़े-बड़े कलाकार 10 लाख रुपये लेकर केवल एक लाख रुपये की रसीद काटते हैं तथा इस प्रकार कालाधन इकट्ठा करते हैं और दूसरी ओर 'एक्स्ट्रास' को केवल दो रुपया या भोजन देकर ही काम चलाया जाता है। इन लोगों की स्थिति में सुधार करने के लियें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

* * तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

** Summarised Hindi Version of English Tranlation of the speech delivered in Tamil

इस उद्योग में करोड़ों रुपयों का काला धन जमा है किन्तु फिर भी फिल्म निर्माता वितरकों से 60 से 80 प्रतिशत राशि की वित्तीय सहायता लेते हैं। मैं वर्तमान प्रणाली की आलोचना न करके केवल सरकार से यह अनुरोध करता हूं इस उद्योग के लाखों श्रमिकों के कल्याण के लिये कोई निश्चित नीति बनाई जानी चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं जिनको सरकार स्वयं दूर कर सकती है। यदि सरकार इस विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करती है तो मुझे सरकार की नीयत नेक मालूम होगी। मुझे आशा है कि सरकार यह आश्वासन देगी कि इस वर्ष में एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा तथा इस उद्योग के श्रमिकों की हालत में सुधार किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : श्री राम सहाय पांडे द्वारा चलचित्र उद्योग श्रमिक विधेयक, 1972 के लाये जाने पर मुझे तथा सदन के सभी सदस्यों को प्रसन्नता हुई है।

आज फिल्म उद्योग में लगभग 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है तथा हम उद्योग में प्रति वर्ष लगभग 160 करोड़ रुपयों की आय होती। इसमें से 70 करोड़ रुपयों की राशि राज्य सरकारों को मनोरंजन कर के रूप में मिलती है। इस उद्योग में 10 लाख की वजाय केवल 2 लाख मजदूर कार्य करते हैं।

जहां तक हम उद्योग में काले धन, अनैतिक प्रक्रियाओं तथा अन्य बुराइयों का सम्बन्ध है, कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि इस उद्योग में यह बुराइयां रहे। इन बुराइयों को दूर करना ही होगा। फिल्म उद्योग का देश में काफी महत्व हैं। फिल्मों के द्वारा लाखों व्यक्तियों का मनोरंजन होता है। इसके अतिरिक्त इस उद्योग ने प्रगति भी बहुत की है, यहां तक कि 1971 में भारत ने इस क्षेत्र में जापान और अमरीका को भी पीछे छोड़ दिया।

1951 में सरकार ने पाटिल जांच समिति नियुक्त की थी किन्तु उसकी एक सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया। 1969 में यह सुना गया था कि सरकार फिल्म परिषद् बनाने जा रही हैं किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। इस वर्ष यह सुना गया कि फिल्म परिषद् की नियुक्ति सलाहकार वाडी के रूप में की जाएगी। किन्तु अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उसके निदेश यह क्या होंगे तथा उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा।

चलचित्र श्रमिक विधेयक के बारे में भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के 23 जनवरी, 1970 के परिपत्र में कहा गया था कि फिल्म उद्योग में रोजगार का विनियमन करने के लिये कानून का मसौदा फरवरी, 1960 में स्थाई श्रम समिति के समक्ष रखा गया था। इस सम्बन्ध में त्रिपक्षीय समिति बनाये जाने की भी सिफारिश की गई थी। इतना ही नहीं 1966 में भी एक त्रिपक्षीय समिति बनाई गई जिसने सितम्बर 1968 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भारतीय श्रम परिषद् की स्थाई श्रम समिति ने 1969 में इस प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया किन्तु

उसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतने समय तक इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लाने के क्या कारण हैं। इसके अतिरिक्त देश में कारखाना अधिनियम है, निम्नतम मंजूरी भुगतान अधिनियम है, औद्योगिक अधिनियम है, तथा ऐसे ही अन्य कई अधिनियम हैं। जब ये अधिनियम प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं तो स्टूडियों में कार्य करने वाले लोगों पर क्यों लागू नहीं हो सकते।

फिल्म उद्योग में लेखकों आदि को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कठिनाई यह है कि अध्यापकों या वकीलों की भांति पट-कथा लेखक या गीत लेखकों को भी श्रमिक नहीं माना जाता जिसके कारण उन्हें किसी कानून का सहारा प्राप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि उनके लिये भी कोई उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिये। ये लोगों को पूरे वर्ष में कुछ ही दिनों का कार्य मिलता हैं जिससे न उन्हें कोई बोनस मिलता है न अन्य सुविधाएं। अतः इन लोगों के कल्याण के लिये सरकार को कोई व्यापक विधेयक लाना चाहिये।

इस उद्योग में कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं। कई बार ऐसे चित्र फिल्माए जाते हैं। जिनमें कई कलाकारों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि प्रति व्यक्ति 14,000 रुपये का मुआवजा दिया जाये, जो सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित है तो बहुत से फिल्म निर्माता अपना कार्य बन्द कर देंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अवश्य कोई कदम उठाना चाहिए। साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि जब सरकार ने कानून का मसौदा तैयार कर लिया है तथा सभी साक्ष्य पूरे हो गये हैं तो व्यापक विधेयक लाने में देरी करने के क्या कारण हैं? इस उद्योग के कर्मचारियों की यूनियनें आन्दोलन कर रही हैं।

फिल्म उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा इसके सहारे सारे देश में हिन्दुस्तानी भाषा को समझना सरल हो गया है। इस उद्योग के 90 प्रतिशत कर्मचारियों की स्थिति दक्षनीय है फिर भी वे कंधे से कंधा मिलाकर उद्योग की प्रगति में जुटे हुए हैं। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये तथा एक निश्चित अवधि में एक व्यापक अधिनियम लाया जाये।

SHRI M.C. DAGA (Pali) : I am obliged to Shri R.S. Pandey who has brought forward Bill for the benefit of thousands of workers in film Industry. It is also a fact that unless middlemen are elimimated from all spheres exploitation of workers can never be stopped. Shri Sanghi has corretly stated that the innocent artists and writers are exploited by these middlemen. It is, therefore, the duty of this Government a bring a legislation for protecting the interets of these. Film industry workers.

Film Industy has an important role to play. Films have broken the bariers of Communilism. It is also a matter of pride that this industry is developing day by day in our country.

Certain hon. members have criticised the Film Industy saying that the Films are full of obscenity. Actually, it depends upon individuals and the angle with which they look at any thing. I think certain films have brought a revolution for which we should pay tributes to our artists who are being exploited by big Industrialists. Government should make arrangements to protect them.

I also demand that the hon. Minister should give a dead line by which comprehensive Bill giving protection to thousands of workers is the Industry will be brought forward.

SHRI VASANTRAO PURUSHOTTAM SATHE (AKOLA) :

I heartily support this Bill and the demend of nationalising the Industry.

Film Industry is an effective mass medium for educating people and for us ushering socialistic pattern of society in this country. Films have their impact on the youth and the old with equal force.

Several laws have been made for the industries other than film industry. As a result of which lakhs of workers in this industry could not be saved from exploitation.

The interests of the workers of this industry have been ignored by the Government. Perhaps with the idea that since it is an industry of big producers and actors who have black money with them, there is no need of bringing any legislation.

You are perhaps not aware of the plight of junior artistes, called extras. They rot in the studis day and night, waiting for jobs and to top it all they are not sure of getting their wages. Extras are widely used for trafficing and their plights is beyond redemption.

I am thankful to Shri Pandey for bringing forward this Bill and I would request Government to ensure wages to all those artistes who are called up for work like Industrial workers. I would urge Shri Pandey not to withdraw it unless Government gives specific assurance that workers of the Film Industry shall also be brought under the purview of Industrial Dispute Act.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : महोदयः अनेक सदस्यों ने फिल्म उद्योग में काम करने वालों की विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया और श्री हंसदा ने भी पीछे कहा था कि न्यूनतम मजूर अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है। परन्तु यह सच नहीं है। राज्य सरकारें इसमें संशोधन कर सकती हैं। यह ठीक है कि इन कर्मचारियों का बिचौलियों तथा अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है और महिलाओं आदि को अनैतिक आचरण पर बाध्य भी किया जाता है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि उन पर कोई श्रम विधि लागू नहीं होती। क्योंकि कारखाना अधिनियम, 1948, मजूरी का भुगतान अधिनियम, 1936, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश, 1946 आदि उन पर लागू होते हैं। तथापि, इनमें से कुछ विधियां फिल्म उद्योग पर लागू करने में कुछ कठिनाइयां हैं। छोटे कलाकार और तकनीशन जिनका संबंध निर्माण क्षेत्र से है शायद औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं और हमने इस बात को नोट कर लिया है। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 और 67 इस उद्योग पर लागू नहीं की जा सकती। इन सभी त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुए हम शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं। वास्तव में प्रस्तावित विधेयक ला रहे हैं। वास्तव में प्रस्ताव विधेयक अक्तूबर, 1965 में सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों एवं 55 संघों को मत जानने के लिए भेजा गया था। यह विधेयक फरवरी, 1966 में स्थायी श्रम समिति के सामने भी रखा गया था जिसने सिफारिश की थी

कि इसे एक त्रिपक्षीय उप-समिति के विचारार्थ उसे भेजा जाये। नवम्बर 1966 में यह उपसमिति बनाई गई जिसने सितम्बर, 1968 में अपनी रिपोर्ट दी जिसे जुलाई, 1970 में दिल्ली में हुई स्थायी श्रम समिति के 29वें सत्र में रखा गया। इस समिति ने उक्त उप-समिति द्वारा भेजे गए प्रारूप का अनुमोदन किया। यह रिपोर्ट राय जानने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और नियोजनों तथा कर्मचारियों के संघों को भेजी गई है। इन्हीं विचारों के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सलाह से एक विधेयक तैयार किया जायेगा। अतः श्री सामन्त के इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा, इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं अतः मैं इस विधेयक तथा इस पर आये सभी संशोधनों का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम शीघ्र ही एक विधेयक यहां लायेंगे। अतः मैं श्री पांडेजी से निवेदन करता हूं कि वह यह विधेयक वापस लेलें।

SHRI R. S. PANDEY (Rajnand Gaon): Sir, the main objective of my introducing the Bill on behalf of Shri Samanta was to focus the attention of the House towards the plight of ordinary workers of the film industry.

What is going on in the name of art and entertainment is before all of us to see. In possible crimes and sins are being induldged in the pursuit of success, fame and wealth. The prime motive of film producers is to make money. They are exploiting sex and their films cater only to the prurient tastes of cine goers. The first casualty is therefore our traditional culture. I strongly condemn this attitude.

I support the demand made by you in the past, when you used to sit with us, that the film Industry should be nationalised because what is needed is character—building and bringing up the purer and finer values of life, as was beautifully portrayed in a Japanese Silent film I recently saw.

Look at the plight of those young women and girls who flue to film production centres, live Bombay, Calcutta and Madras with high hopes and aspiration of becoming big stars one day. But soon they end up in brothels after serving as extras in not more than half-a-dozen films and die prematurally after leading a life of utter penury and frustration.

Similarly, the fate of technical staff in the film industry is also no better. While I call upon big 'stars' of the film industry to shun pomp and show and also to refuse to accept black money, I would call upon the hon. Minister to bring necessary legislation to provide job security, benefits of Provident Fund. Gratutiy etc. and better service-conditions for junior artists, technicians and other workers of the film Industry.

सभापति महोदय : इस विधेयक पर श्रीदास चौधरी और श्री हंसदा द्वारा संशोधन रखे गये हैं। क्या वे इन पर मत विभाजन चाहते हैं ?

श्री बी. के. दास चौधरी (कूच विहार) : जी हां। मेरा संशोधन इसे प्रवर समिति को सौंपने के बारे में है क्योंकि सरकार इस पर बहुत समय लगा रही है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संस्था। मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : क्या श्री सुबोध हंसदा अपने संशोधन सरकार पर मतदान चाहते हैं ?

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) मंत्री महोदय के आश्वासन पर मैं अपने संशोधन पर मतदान नहीं चाहता ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति प्राप्त है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Amendment No. 2 was by leave withdrawn

सभापति महोदय : श्री पांडे के भाषण से अन्तिम वाक्यों से मुझे लगता है कि वह यह विधेयक वापस ले रहे हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्रीराम सहाय पांडे : मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

श्री एस. सी. सामन्त का संविधान (संशोधन) विधेयक (सांतवी अनुरिची का संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव

Constitution Amendment Bills
AMENDEMENT OF SEVENTH SCHEDULE BY SHRI S.C. SAMANTTA
MOTION TO CONSIDER

श्री एस. सी. सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने बाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

शिक्षा क्योंकि राष्ट्रीय चित्तन का विषय है, अतः इस पर इसी दृष्किोण से विचार किया जाना चाहिये । शिक्षा के विकास में इसीलिए भारत सरकार को अपना दायित्व समझना चाहिये । अनेक समितियां और आयोग बनाने के बाद भी शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जा सका है ।

संविधान की सांतवी अनुरिची की प्रथम सूची की प्रविष्टी 63 से 66 और एकवर्ती सूची की प्रवृष्टी सूची 25 में शामिल विषयों पर ही संघ सरकार विधान बना सकती है और नियंत्रण रख सकती है । इसके अतिरिक्त शिक्षा के इतने विरपल क्षेत्र को राज्यों के क्षेत्राधिकार में छोड़ दिया गया है ।

इसी कारण शिक्षा आयोग सहित अनेक विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा परणाली में आमूल परिवर्तन नहीं किए जा सके हैं। यद्यपि शिक्षा आयोग शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के पक्ष में नहीं था, तथापि उसने इस प्रस्ताव को पूर्णतया नही ठुकराया था और उसी के अनुसार स्थिति का पुनर्विलोकन दसेक वर्षों के बाद किया जाना था। मेरे विचार से इस पुनर्विलोकन में और अधिक विलम्ब शिक्षा के हितों के प्रतिकूल होगा।

इस विधेयक द्वारा केन्द्र को शिक्षा नीति पर नियंत्रण रखने और देश का शैक्षणिक विकास करने का अधिकार मिल जाएगा।

श्री एस. एन. सप्र् की अध्यक्षता में वनी उच्चतर शिक्षा संबंधी संसद्-सदस्यों की समिति ने कम से कम उच्चतर शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, पर मैं चाहता हूं कि शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र इस सूची में रखा जाये।

शिक्षा संबंधी निदेशक सिद्धान्त को क्रियान्वित न करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह उपबन्ध 25 वर्ष पूर्व किया गया था परन्तु आप देखें कि इसमें क्या प्रगति हुई है? क्या यह सच नहीं है कि संविधान में दिए गए वचन का पालन करने के लिए राज्य पर्याप्त धन नहीं जुटा पाते? अतः यह कार्य केन्द्र ही कर सकता है।

विभिन्न राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में असंतुलन इतने अधिक हैं कि इन पर ध्यान जाये बिना नहीं रह सकता। अतः केन्द्र को इस संबंध में राज्यों की यथेष्ट सहायता करनी चाहिये।

केन्द्र, इच्छा होते हुए भी इस क्षेत्र में विधिक उपबन्ध के अभाव में, अधिक सहायता नहीं कर पाता मेरा विश्वास है कि केन्द्र ही इस क्षेत्र में वांछनीय सुधारा ला सकता है और अनेक समितियों और सम्मेलनों में की गई सिफारिशों को कार्यक्रम दे सकता है। मुझे आशा है कि यह विधेयक सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान संशोधन का और करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिनमें 8 सदस्य हों, अर्थात :—

1. श्री अरबिन्द नेताप
2. श्री सुबोध हंसदा
3. श्री बिक्रम चन्द महाजन
4. श्री नीतिराज सिंह
5. श्री अर्जुन सेठी
6. श्री राजा राम शास्त्री
7. श्री बी. आर. शुक्ल
8. श्री राम चन्द्र विकल

और समिति को 1 अगस्त, 1972 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

श्री सुबोध हंसदा (मिदना पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पर 23 अक्तूबर, 1972 तक राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय : मैं यह संशोधन का सभा के समक्ष हैं।

* **श्री एम. पी. भट्टाचार्य** (अनुवेरिया) : यह विधेयक मेरे मित्र श्री सामान्त द्वारा पुरा-स्थापित किया गया है। इस का उद्देश्य शिक्षा के प्रसार में सहायता करना तथा शिक्षा में विषय को समवर्ती सूची में शामिल करना है।

श्री सामन्त का कहना है कि राज्यों के पास पर्याप्त साधन नहीं है। अतः वे शिक्षा का पूरी तरह प्रसार नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि राज्यों के पास धन की कमी है परन्तु इसके लिए हमें यहां देखना है कि हम किस प्रकार उनकी अधिक धन उपलब्ध करा सकते हैं जिससे राज्य अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा सकें। यदि इस विषय का केन्द्र द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है तो इससे राष्ट्रीय एकता और देश की सांस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः केन्द्रीय सरकार का इस बिषय को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और राज्यों को शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार शिक्षा के विभिन्न बस्तुओं के समन्वय में अपना भाग अदा कर सकती है परन्तु शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार को उसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

देश में अनेक पिछड़े क्षेत्र है और इन क्षंत्रों के लोगों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षा सभी राज्यों में निःशुल्क हों। यदि कोई राज्य शिक्षा प्रसार के अपने लक्ष्य में असफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार को इसकी सहायता करनी चाहिए। अतः में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सुबोध सहंदा : मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। 6 मार्च 1962 को श्री सिद्देश्वर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें यह मांग की गई थी कि शिक्षा के बिषय को केन्द्रीय विषय माना जाय। उस समय यह विचार किए गए थे कि उस शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार को अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और देश में शिक्षा की समान पद्धति होनी चाहिए।

अनुसंधान वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा सहित उच्च अध्ययन के लिए समन्वय तथा शिक्षा स्तर निर्धनीह करने हेतु सप्रू समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अनेक सिफारिशें की थी। उसकी एक मुख्य निर्धारित यह थी कि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा को राज्य सूची से निकाल-कर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाये।

---

*बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech deliversed in Bangal.

राज्यों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं हैं जिन का सार भी अलग अलग है और पाठ्य-क्रम भी अलग अलग हैं। अध्यापकों के वेतनमान भी अलग-अलग हैं। आवश्यकतानुसार अनुदान देने की भी एक समस्या है। यदि हमें इन सभी समस्याओं पर काबू पाना है और शिक्षा की बेहतर तथा समान पद्धति अपनानी है तो शिक्षा के विषय को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के निदेशों की क्रियान्वित के लिए राज्य सरकारों को कार्यकारी शक्तियां दी जा सकती हैं।

देश में इस समय अनेक कान्वेन्ट स्कूल हैं जहां कि साधारण लोगों के बच्चे नहीं जा सकते। कुछ लोग ही अपने बच्चों को इन स्कूलों में शिक्षा दिलवा सकते हैं। बेहतर शिक्षा के कारण इन लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। यदि इस भेदभाव को समाप्त करना है तो देश में शिक्षा की समान सद्धति अपनानी होगी।

राज्यों के पास साधन बहुत कम हैं। इनके लिए वे केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के साधनों को एकत्र कर ले तो देश में शिक्षा की समान पद्धति अपनाने में राष्ट्र सफल हो सकता है। यह आम जनता के लिए एक चिन्ता का विषय हैं। इस लिए मैंने यह सुझाव दिया है कि इसे पर राय जानने के लिए इस परिचालित किया जाय। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री जी० विश्वनाथन (बान्डीवाश) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विधेयक में शिक्षा के विषय को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल करने की बात कही गई है। विवरण में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा में समानता का होना आवश्यक है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि भारत में विविधता में ही एकता की है यदि भावानात्मक एकता बात कहीं जाती है तो मैं उसकी सराहना कर सकता था।

इस में संदेह नहीं कि शिक्षा पद्धति में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे इसमें सुधार किया जा सके। वर्तमान पद्धति बहुत पुरानी है। आजकल में अर्थशास्त्र के स्नातक किसी राज्य अथवा केन्द्र के बजट को समझ नहीं सकते। शिक्षा पद्धति के मामले में और अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या शिक्षा के विषय को केन्द्रीय विषय बनाकर ऐसा किया जा सकता है? पहले केन्द्रीय सरकार को संघ सूची की यह 63 से 66 में अनेक शक्तियां दी गई है। इन से केन्द्रीय सरकार देश में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के लिए निदेश दे सकती है अथवा उनका स्तर नियत कर सकती है।

केन्द्रीय सरकार निर्णय न लेने तथा असाधारण बिलम्ब करने के लिए प्रसिद्ध है जिससे अन्याय, असुविधा तथा भ्रष्टाचार आदि फैलता हैं। इस बारे में छोटी कार परियोजना का उदाहरण दिया जा सकता है। क्या कोई मंत्री बता सकता हैं कि इस बारे में निर्णय लेने में दस वर्ष लगने के क्या कारण हैं। श्री पं० सनथानम ने कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकार को बहुत शक्तियां दे दी गईं तो वह इतनी कमजोर हो जायेगी जिसका उपचार करना कठिन होगा। अतः मैं कमजोर केन्द्रीय सरकार के पक्ष में नहीं हूं।

इस में संदेह नहीं कि संविधान में कहा गया है कि उद्घोषणा के दस वर्ष के भीतर समूचे देश प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य किया जाना चाहिए, परन्तु मेरा निवेदन है कि संविधान में मद्य-निबंध जैसी अनेक ऐसी मदें है जिनकी ओर से हमने आंखें मूंद ली हैं। यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो वह उनको क्रियान्वित कर सकती है। उच्च शिक्षा के बारे में राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग आदि आयोगों ने अनेक सिफारिशें की हैं जिसको क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

हाल ही में सप्रू पुस्तकालय के विभाजन पर मयभेद उत्पन्न हो गया है। यह देश में सर्वोतम पुस्तकालय है। अनेक संसद सदस्यों ने इस मामले को समाप्त करा के जिस प्रधान मंत्री से अपील की है परन्तु इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

मेरे विचार में संविधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के पास पहले ही अनेक शक्तियां हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का बिरोध करता हूं।

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीर पुर) : मेरे विचार में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा राज्यों के अधीन रहनी चाहिए और उसके बाद अर्थात विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर कर देना चाहिए। मेरे एक पत्रक उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा आयोग ने उच्च शित्रा को समपवर्ती सूची में शामिल करने का विरोध किया है।

देश में अनेक विश्वविद्यालय हैं और सरकार इनकी गतिविधियों को सम्त्वित करने में असफल रही है। गत वर्ष पंजब में तीन विश्विद्यलयलयों में एक संकट उत्पन्न हो गया था। प्री-मैडिकल पास करने वाले विद्यार्थियों को पात्रता प्रणामपत्र जारी करने के बारे में था। मैं ने इस ओर तत्कालीन शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया था उनका कहना था कि वह इस ममले में हस्त्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि उच्च शिक्षा राज्य विषय है। कुछ विद्यार्थी न्यायालय में गये। न्यायालय का निर्णय था कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है बाद में श्री सिद्धार्थ शंकर राम ने कहा था कि विश्वविद्यालय ने उनका यह सुझाव स्वीकार कर लिया है कि विद्यार्थियों को दाखिल दे दिया जाये और पात्रता का पूरा बाद में हल किया जा सकता है। मेरे कहने का ताप्पर्य यह है कि यद्यपि इन तीनों विश्विद्यलयों को पंजाब सरकार से धन मिलता है तथापि इनमें कोई समन्बय नहीं है। पंजाब सरकार इसका हल ढूढने में असमर्थ है।

कुछ समय पूर्व डी. ए. वी. कालेजों को भी न्यायालय में जाना पड़ा था। बिद्यार्थियों को भी न्यायलय में जाना पड़ता है। इस का कारण केवल मात्र यह है कि शिक्षा के बारे में हमारी कोई समान नीति नहीं है ।

उच्चत्तर माध्यामिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब तक सभी स्थनों पर तथा समूचे देश में शिक्षा की समान पद्धति न हों उन के लिए ऐसा करना कठिन है।

यदि हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करना है और अंग्रजी को पुस्तकालय की भाषा के रूप में जारी रखना है तो शिक्षा के तीनों माध्यमों के लिए देश के सभी विश्विद्यालयों में

व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु मुख्य मंत्री अथवा विश्वविद्यालयों के उपाकुलपति ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा केन्द्रीय सरकार की किसी एजेंसी द्वारा ही किया जा सकता है।

सरकार विभिन्न कालेजों परिषदों तथा संस्थाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है परन्तु फिर भी प्राइवेट कालेजों के परिणाम उनसे अच्छे होते हैं।

इस का कारण यह है कि सरकारी मामलों में अध्यापक लगन से कार्य नहीं करते क्योंकि वे वार्षिक वृद्धि पदोन्नति आदि के बारे में आश्वसत होते हैं।

चीन में अध्यापक जो भी पुस्तक लिखते हैं उसको विश्वविद्यालय की सम्पत्ति माना जाता है परन्तु गहां पर अध्यापक विश्वविद्यालय तथा सरकार के खर्च पर पुस्तकें लिखते हैं और बाद में उन्हें बाजार में बेच देते हैं।

बिहार में राज्य सरकार ने पांचों विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इससे पता लगता है कि शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। यदि इसके सुधार के लिए कोई प्रयापी कार्यवाही नहीं की गई तो विश्वविद्यालय राजनयिकों के लिए खेल का मैदान बन जायेंगे। यह सिफारिश की गई थी कि विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में भागीपार बनाया जाये। वर्तमान नियम के अनुसार एक अध्यापक विश्वविद्यालय के न्यायालय का सदस्य नहीं बन सकता। अतः शिक्षा का स्तर हमारे देश में गिरता जा रहा है। एक समय था जब विदेशों से लोग भारत में पढ़ने आते थे परन्तु आज स्थिति कुछ और है। आज कल शिक्षा नियमों द्वारा चलाई जाती है जिन्हें दसवीं कक्षा पास क्लर्क बनाते है।

हस शिक्षा की वास्तविक भावना को भूल गये हैं जिससे शिक्षा प्राप्त करने वालों को हानि हो रही है। यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो कश्मीर में अनुसंधान कार्य करने वाला व्यक्ति केरल में अनुसंवान कार्य करने वाले को नहीं समझ सकेगा। हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाया जा सकता है।

मैं इस विधेयक का इस शर्त के साथ समथर्न करता हूं कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाये और माध्यमिक शिक्षा को राज्य विषय ही रहने दिया जाये।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक से हमें शिक्षा सम्बन्धी कुछ समास्याओं पर बिचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे विचार में इसमें शिक्षा सम्बन्धी कुछ मूल नीति, मूल समस्याएं अन्तग्रर्स्त हैं। हम सदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में तथा शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एक उपकरण बनाने की बात कहते हैं।

परन्तु प्रश्न यह है कि इन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा। इस समय हमारे समक्ष जो समास्याएं हैं उनके प्रति सभी अपनी मजबूरी प्रगट कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि यह राज्य विषय है और वह इस में हास्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सरकारों का कहना है कि इनको हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः मेरे विचार में वह अधिक अच्छी होगी जिसमें केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सके।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति उत्पन्न करना तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार करना है जिनके लिए आज देश वचनबद्ध है। राष्ट्रीय लक्ष्य समाज वाद, लोकतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षेता के हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से युवा पीढ़ी को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं किया जा सकता।

अभी हाल में ओस्मानिया विश्वविद्यालय में जार्ज रेड्डी नामक छात्र की हत्या कर दी गई थी ऐसा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसका केन्द्रीय मुख्य मंत्री यही उत्तर देंगे कि यह राज्य का विषय है और राज्य सरकार को इसकी जांच करने दी जाये। यदि धर्म निरपेक्षता के संरक्षण के उद्देश्य से गतिशील नीति अपनाई जाये तो केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किसी सीमा तक सहन किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग ने सिफारिशें की थीं। प्रबन्ध में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने सम्बन्धी सिफारिश को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी लागू नहीं किया गया है। परन्तु केरल राज्य में इस सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है। इससे अनेक समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी।

विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को लोकतंत्रात्मक अधिकार देने के बारे में कोई समान नीति नहीं है। केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में कानून बनाने की भी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह इन चीजों को क्रियान्वित कर सके। मेरे विचार में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में इस विधेयक से कुछ सहायता मिलेगी।

सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों को प्रोत्साहन दिये जाने का कोई कारण नहीं है। इनको समाप्त करने के लिए समान नीति अपनाई जानी चाहिए। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाया जाना चाहिए।

पिछली बार प्रति व्यक्ति फीस के बारे में पूछे जाने पर माननीय मंत्री ने कहा था कि यह विषय स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित है। परन्तु इससे शिक्षा मंत्री का भी उतना ही संबंध है जितना स्वास्थ्य मंत्री का प्राइवेट कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति फीस इतनी अधिक ली जाती है कि वह सहन नहीं होती। केरल के एक प्राइवेट मेडिकल कालेज ने प्रति व्यक्ति फीस ली थी। केन्द्रीय सरकार अथवा चिकित्सा परिषद ने निर्णय लिया था कि विद्यार्थियों को डिग्रियां न दी जायें। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष था। दोष तो अधिकारियों का था। मैं इस बात से सहमत हूं कि शिक्षा के उच्चतम स्तर तक राज्यों को शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा अपनाने की अनुमति दी जाये। इससे देश का विघटन नहीं होगा। हमारी नीति सभी प्रादेशिक भाषाओं तथा सम्पर्क भाषा के विकास की होनी चाहिए।

हमें हिन्दी को इस हद तक विकसित करना चाहिये जिससे वह अति आधुनिक भाषा बन सके और सम्पर्क भाषा का रोल अदा कर सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हू।

इसके पश्चात लोकसभा मंगलवार 2 मई, 1972/12 वैशाख 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 2, 1972/ Vaisakha 12, 1894 (Saka)

Printed at The Bengal Press Delhi 6.